ISSN 2455-6181

o"k % 14 vd % 6 tu 2016 ` 10

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

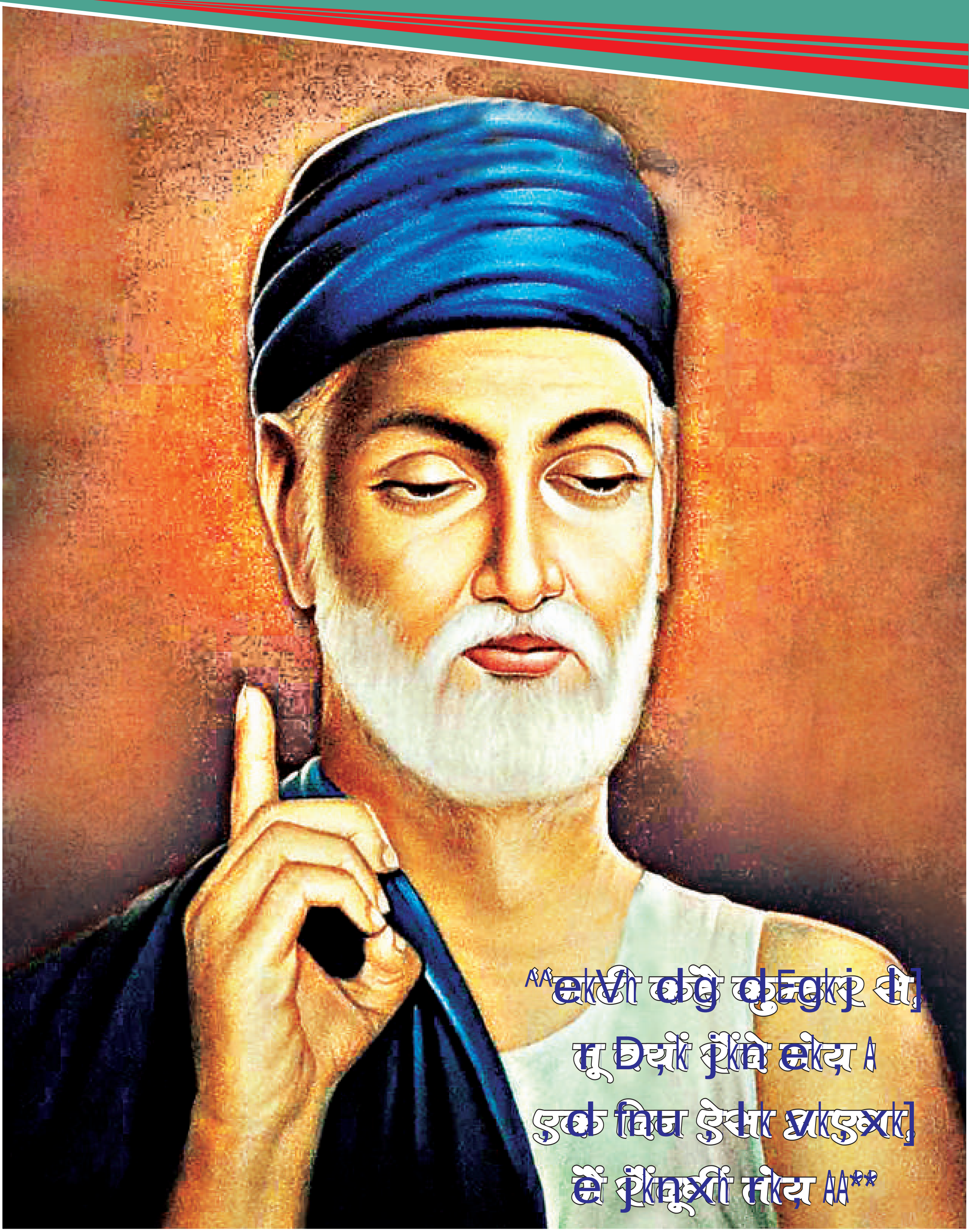

lkekftd U;k; vkj vfèkdkfjrk e=h Jh Fkkojpn xgykr] 1 twu 2016 dks ubZ fnYyh esa jkT;ksa dh ekxZn'kZd ,tsfUl;ksa & jk"Vªh; vuqlwfpr tkfr foÙk ,oa fodkl fuxe ¼,u,l,QMhlh½] jk"Vªh; lQkbZ deZpkjh foÙk ,oa fodkl fuxe ¼,u,ld,QMhlh½ vkSj jk"Vªh; fiNM+k oxZ foÙk ,oa fodkl fuxe dh cSBd esa ^^u'kuy vokMZ QkWj iQkseZl ,fDlysal ¼,uihbZ½** Ldhe ykap djrs gq,A bl volj ij f'kjdr djrs gq, lkekftd U;k; vkSj vfèkdkfjrk jkT; ea=h Jh d".k iky xqtZj vkSj lkekftd U;k; vkSj vfèkdkfjrk foHkkx dh lfpo Jherh vuhrk vfXugks=h] vij lfpo Jh v:.k dqekjA

lkekftd U;k; vkSj vfèkdkfjrk ea=h Jh Fkkojpn xgykr jkT;ksa ,oa dsUnz'kkflr izns'kksa ds lkekftd U;k; foHkkx ds iz/ku lfpoksa dh cSBd dh vè;{krk djrs gq,A bl volj ij f'kjdr djrs gq, Mh,uVh deh'ku ds vè;{k Jh fHkdw jke th bnkrs ,oa Mh,uVh deh'ku ds lnL; Jh ,l-,l- jkFkkSV ,oa Mh,uVh deh'ku ds lnL; lfpo Jh ,p-ds- nk'k lkekftd U;k; vkSj vfèkdkfjrk foHkkx dh] lfpo Jherh vuhrk vfXugks=h] vij lfpo Jh v:.k dqekjA

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 14 ★ अंक : 6 ★ जून 2016 ★ कुल पृष्ठ : 60

सम्पादक
सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल
प्रो. राजकुमार फलवारिया
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय
सामाजिक न्याय संदेश
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 **जनपथ, नई दिल्ली-**110001
सम्पादकीय सम्पर्क **011-23320588**
सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-**23357625**
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com
वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in
(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)
आवरण परिकल्पना : सुधीर हिलसायन

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन,** सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

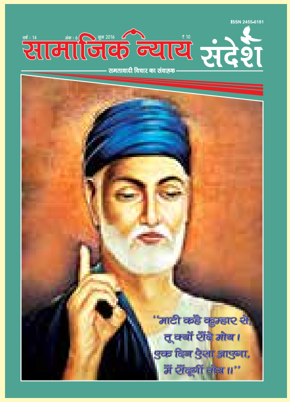

इस अंक में

❖ सम्पादकीय/ "माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूगीं तोय।।"		2-3
❖ क्रांतिदर्शी कबीर ज्ञानी गुरु	कन्हैयालाल चंचरीक	4
❖ कबीर की भक्ति का स्वरुप	डॉ. प्रभु चौधरी	7
❖ कबीर समरसता के पक्षधर	डॉ. ओ.पी. कोली	9
❖ कबीर कल और आज	आर.के. वर्मा	12
❖ 24 अप्रैल 2016 का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन	श्री नरेन्द्र मोदी	13
❖ तेइसवीं किस्त/बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर-जीवन चरित	धनंजय कीर	19
❖ दलित आत्मकथा या अम्बेडकरी स्वकथन	डॉ. अनिल सूर्या	24
❖ सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षधर : बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर	रत्ना ओझा 'रत्न'	27
❖ पुस्तक अंश/कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	31
❖ कहानी/छुट्टियां	विपिन बिहारी	36
❖ वैकल्पिक चिकित्सा/मुद्रा चिकित्सा : कमाल उंगलियों का	ओशो सिद्धार्थ औलिया एवं डॉ. रमेश पुरी	42
❖ लघुकथाएं/सबक, कलंक, चरित्र संस्कार, समय	भेरू सिंह 'क्रान्ति'	44
❖ बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष 2015-16 के दौरान डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रमों/आयोजनों का ब्यौरा		45
❖ जाति प्रथा एक समस्या : कारण और निवारण	प्रो. अजमेर सिंह काजल	50

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250
डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588 सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

"माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोय,

संत कबीरदास हिंदी साहित्य- भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने आजीवन देश-समाज और आम लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों/दकियानूसी विचारों पर गहरा कुठाराघात किया है। संत कबीर ऐसे शख्सियत हुए हैं जिन्होंने विद्यालय/विश्वविद्यालयों का कभी मुंह नहीं देखा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, समाज के विरोधाभासों से टकराते हुए उन्होंने ऐसा अनुभव पाया जिससे उन्हें ऐसी रचनात्मकता प्राप्त हुई जिसके कारण वे पोंगापंथियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने वाले महानायक साबित हुए। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ तौर पर देखी-समझी जा सकती है, उनका जीवन लोक कल्याण को समर्पित था। समाज में व्याप्त शोषण के वे मुखर विरोधी थे। अपने दोहों, छन्दों आदि के द्वारा आम लोगों में जागरूकता पैदा करने में वे पूरी तरह सफल रहे। उनके दोहों, छन्दों, शब्दों को समझने के लिए दिमाग पर बहुत जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बल्कि उनके शब्दों में उसके स्पष्ट अर्थ निहित होते हैं, इसलिए देश-समाज का साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनके विचारों को भली-भांति समझने में सक्षम होता है। अगर संत कबीर को शब्दों का ऐसा वैज्ञानिक कहा जाए जिसे शब्दों व आम जनों के मन-मस्तिष्क का बहुत गहरा ज्ञान था तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दरअसल संत कबीर का जीवन दर्शन, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी प्रतिभा से ओतप्रोत है। वे कवि भी हैं, समाज वैज्ञानिक भी हैं, मनोविज्ञानी-मनोचिकित्सक भी है, संत भी हैं, साधु भी हैं। जीवन को जीने की अद्भुत कला उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व-प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत भी कहा जाता है।

कबीर को समझने के लिए एवं उनके दोहों से कुछ सीख लेने के लिए हम यहां उनके कुछ दोहों को प्रस्तुत कर रहे हैं:-

माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोय,
एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूगी तोय।

उर्पयुक्त पंक्तियों में– माटी और कुम्हार की काल्पनिक वार्ता का जिक्र करते हुए कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, उसे अपनी इच्छा अनुसार आकार देता है, उसी प्रकार एक दिन ऐसा अवसर मिट्टी को भी मिलेगा जब जीवन के बाद कुम्हार का नश्वर शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा वह अपने अनुसार उसे आकार देगा उस दिन मिट्टी उस कुम्हार को रौंदेगी। इस संसार में प्रत्येक को अवसर प्राप्त होता है। सब समय पर निर्भर करता है, इसलिए व्यक्ति को अहंकार से बचना चाहिए।

नहाये धोये क्या हुआ, जो मन मैल ना जाय,
मीन सदा जल में रही, धोये बांस ना जाए।

अर्थात प्रतिदिन नहाने से कोई लाभ नहीं होता, कोई स्वच्छता नहीं आती जब तक कि मनुष्य अपने मन की मैल को साफ़ नही करता तन की स्वच्छता से अधिक मन की स्वच्छता का महत्त्व है। कबीर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तन मात्र की स्वच्छता रखने वाला मनुष्य मछली के समान है जो सदैव पानी में रहती है यदि उसे निकालने के बाद भी साफ़ पानी से धो लिया जाए फिर भी उसकी दुर्गन्ध नहीं जाती, इसलिए कबीर मनुष्य को मन (विचारों) को स्वच्छ रखने हेतु प्रेरित करते हैं।

एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूगी तोय''

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नही, फल लागे अति दूर।

अर्थात दौलत-शोहरत को प्राप्त कर समाज में एक बड़ा नाम बनाने वालों पर कटाक्ष करते हुए कबीर ने उन्हें उस खजूर के पेड़ के समान माना है जो लम्बाई में बहुत ऊँचा है तथा सबसे बड़ा प्रतीत होता है। कबीर कहते हैं खजूर का पेड़ बड़ा तो है लेकिन किसी राहगीर को ठंडी छाया दे पाने में समर्थ नहीं है और उसके फल भी बहुत उंचाई पर हैं जिन्हें तोड़ पाना कठिन है, इसीलिए समाज में ऐसे बड़े लोगों को दिल और कर्मो से भी बड़ा होना चाहिए।

कबीरा खड़ा बाज़ार में, मांगे सबकी खैर,
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।

उर्पयुक्त पंक्तियों में कबीर दास स्वयं से कहते हैं कि इस संसार में वे सभी मनुष्यों का भला चाहते हैं, वे संसार को एक बाज़ार की संज्ञा देते हुए एक ऐसा स्थान बताते हैं जहां लोग अपने अपने कार्यो में व्यस्त हैं तथा जीवनयापन के लिए संघर्षरत हैं। कबीर सबका भला चाहते हैं तथा कहते हैं कि यदि आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के लिए दिल में बैर भी मत रखो। यदि दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन भी मत बनाओ।

ऐसा कोई ना मिला, हमको दे उपदेश,
भौ सागर में डूबता, कर गहि काढै केस।

उर्पयुक्त दोहों में कबीर कहते हैं कि इस सम्पूर्ण संसार में उन्हें ऐसा एक भी सज्जन नहीं मिला जो उनका पथ प्रदर्शन कर सके उन्हें उपदेश रुपी ज्ञान दे सके वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक पथ प्रदर्शक अपने उपदेशों से संसार का उसी प्रकार भला कर सकता है जैसे अज्ञान रुपी समन्दर में डूबते प्राणी को उनके केश पकड़ कर डूबने से बचा लिया जाए।

चाह मिटी, चिंता मिट्टी, मनवा बेपरवाह,
जिसको कछु नहीं चाहिए, वो है शहंशाह।

उर्पयुक्त पंक्तियों में कबीर जीवन के सार को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक सुखों के पीछे तेजी से दौड़ रहा है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पहले व्यक्ति वस्तुओं को पाने के लिए चिंतित होता है, उसे पा लेने के बाद उन्हें खो देने की चिंता सताने लगती है। कबीर कहते हैं इस संसार में वह व्यक्ति जो कोई इच्छा नही रखता, कोई चाह नही रखता, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, वह सबसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा होता है, और वास्तव में ऐसी ज़िन्दगी जीने वाला व्यक्ति ही दुनिया का शहंशाह है।

संत कबीर पर केन्द्रित इस अंक में विद्वान लेखकों ने उनके जीवन, मिशन पर सूक्ष्मता से प्रकाश डाला है। आशा है यह अंक कबीर को समझने में मददगार होगी।

(सुधीर हिलसायन)

माटी और कुम्हार की काल्पनिक वार्ता का जिक्र करते हुए कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, उसे अपनी इच्छा अनुसार आकार देता है उसी प्रकार एक दिन ऐसा अवसर मिट्टी को भी मिलेगा जब जीवन के बाद कुम्हार का नश्वर शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। वह अपने अनुसार उसे आकार देगा उस दिन मिट्टी कुम्हार को रौंदेगी। इस संसार में प्रत्येक को अवसर प्राप्त होता है। सब समय पर निर्भर करता है, इसलिए व्यक्ति को अहंकार से बचना चाहिए।

क्रांतिदर्शी कबीर ज्ञानी गुरु

■ कन्हैयालाल चंचरीक

कबीर महान सुधारक, तत्त्वदर्शी और ज्ञानी गुरु थे। मध्यकालीन इतिहास में ऐसा अदभुत, प्रभावी विचारक युग परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। मुस्लिम कट्टर पंथियों ने उनका विरोध किया, जिनके वे खिलाफ थे।

कट्टरता समर्थक पुरोहित वर्ग ने भी कबीर का घोर विरोध किया। कारण एक नहीं अनेक थे। कबीर सामाजिक बुराइयों, दिखावा, जाति भेद के खिलाफ थे। बुद्ध को अपने जमाने में केवल कट्टर बाह्मण और वेद से लोहा लेना पड़ा था। कबीर को ब्राह्मणी सत्ता, यवनों के इस्लामीकरण, तमाम सामाजिक बुराइयों, भेद-विभेदों, जातीय विद्वेष, सामंती प्रथा से लड़ना पड़ा था। कबीर अकेले थे। केवल संत-कवियों का साथ था। साधारण जनता उनके साथ थी। पर लोग सल्तनत, काजियों से भयभीत थे। जनता भी दब्बू थी। विद्रोह की भावना नहीं थी। इतना होते हुए भी कबीर के दोहे-पद-वाणी, भजन इतने लोकप्रिय हो गए कि मृत प्राय हिन्दू जनता प्राणवंत हो उठी। कबीर का राम, बह्म-सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, लोक कल्याणकारी था। जिसका नाम स्मरण स्फूर्ति देता था, नई रोशनी देता था। जबकि पुरोहितवाद को यवन-सुल्तानों ने कुचल दिया था। मंदिर तोड़े गए। चैत्य बौद्ध मठ तोड़े गए।

बनारस की झोपड़ी से उठी कबीर की आवाज को कोई दबा नहीं पाया। उनके बारे में ब्राह्मणों ने गलत प्रचार किया कि कबीर मुस्लिम जुलाहा हैं। दीनहीन बेसहारा हैं। इस पर कबीर ने पुरोहितों को ललकारा, भारत में नए बसे शासकों की जाति मुसलमानों को ललकारा कि वे मानव मूल्यों को समझें मुल्ला-मौलवियों के बहकावे से दूर रहें। प्राणिहिंसा से विरत रहें।

कबीर ने कोई मठ, मंदिर, महल नहीं बनाया। कोई जागीर नहीं पाई न कोई धनार्जन किया। उनकी झोंपड़ी में चरखा चलता था, गाढ़ में करघे पर कपड़ा बुना जाता था। सुबह शाम बनारस के झोंपड़ेनुमा आश्रम में जनसाधारण आने वाले अनुयायियों में रामगुणगान निर्गुण बह्म के उपदेशात्मक भजन, दोहे गाए जाते थे जिन्हें यह धर्मगुरु खुद रचता था। सब कुछ मौखिक था। कबीर ने पंडितों के गढ़ काशी में उन्हें नीच जाति विरोधी होने पर फटकारा, कूपमंडूक कहा। ज्ञान-पांडित्य, योग साधना, कर्म धर्म, नामजप में कोई भी कबीर की बराबरी नहीं कर पाया। कबीर तो वैरागी, महाविरक्त ऊंचे दर्जे के संत थे। शोषित, उपेक्षित किसान, शिल्पी, बुनकर उनके अनुयायी बने।

कबीर की आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंग प्रदेश तक पूरे भारत में गूंजती थी।

करोड़ों कोली बुनकरों के चरखे-करघे की धुन पर कबीर भजन दुहराए जाते थे। यह क्रम हिन्दू-मुसलमान-जुलाहों, बुनकरों के घर आज भी जारी है। राजा-रंक सभी उनके अनुयायी बने।

उन्होंने स्पष्टतया कहा :-

भक्ति के वश भाई हरि,
मेरी भक्ति के वश भाई।

जाति वरन कुल रीझत नाही,
ना रीझे चतुराई॥

करमा कवन विचार किया है,
कब काशी कर आई।

छप्पन भोग को पीछे अरघै,
पहिले रवीचढ़ खाई।

शबरी कौन ऊंच कुल कहिए,
जूठे बेर ले आई।

प्रीति जानि बाके फल चाखे,
तीनों लोक बड़ाई॥

त्रिलोचन, नामदेव, गुरु पीपा।
हरि सों हेत लगाई॥

सेन रूप होय मर्दन कीन्हों
आप बनै हरि नाई।

सहस अठासि मुनि यज्ञ में जी में,
बहन घंटा बाजे।
कहहिं कबीर श्वपच के
जीमे घंटा अधर पर बाजे॥

इससे स्पष्ट है प्रेम छोटे लोगों नीच, जाति के भक्तों के वशीभूत हैं, ढोंगी पंडित-पुरोहितों के चक्कर में नहीं फंसते। ऐसे अमृत वचन कबीर ही दे सकते थे। कबीर का ब्रह्म जाति-पांति नहीं मानता। ऊंच नीच नहीं मानता। वह तो प्रेम, भक्ति का भूखा है।

ऊँची मीनार पर चढ़कर मुस्लिम मौलवी सुबह-दोपहर-शाम जोर- जोर से समाज अदायगी देता है। कबीर ने कहा क्या अल्लाह (खुदा) या ईश्वर बहरा है जो गला फाड़ उसे याद किया जा रहा है।

हिन्दू पाखंडी पुजारी-पुरोहित तिलक छापे लगाते हैं रामनामी चादर ओढ़ते हैं। घंटी-घंटानाद करते हैं। दूसरी ओर मेहनतकश, श्रमिक वर्ग, अस्पृश्य जातियों को मंदिर में फटकने नहीं देते।

इसी बात को ध्यान में रखकर आठवीं सदी के प्रारंभ में अरब जातियां भारत में चढ़ आईं। मंदिर तोड़े गए। लोगों को इस्लाम में दीक्षित किया गया। जो बचे वे जुर्माना चुका कर झूठे ईमान बचा पाए। इसलिए कबीर ने समदर्शी प्रभु का गुणगान किया। टूटे-बिखरे समाज को जोड़कर। हिंदू धर्म को बचाया। यवनों को सीख दी वे मानवता का अर्थ समझें। सौहार्द, समरसता के दर्शन को जानें। सूफीमत का इसीलिए भारत में प्रादुर्भाव हुआ। मुसलमान फकीर-औलिया जगह-जगह फैले। कुछ को छोड़ दिया, लेखकों ने जल भुनकर कबीर को भटका हुआ मुस्लिम जुलाहा कहा। उन्हें कोली बुनकर कबीर के यशोगान की जगह कुतर्क द्वारा इस महाज्ञानी, धर्मगुरु, उच्चकोटि के सुधारवादी विधवा ब्राह्मणी, मुस्लिम जुलाहे की संतान तक बताया। यह सब उनका भ्रम है। कोली-कबीर पंथी बताया। यह सब उनका भ्रम है। कोली-कबीर पंथी, साधारण कबीर प्रेमी, समरसता के पोषक कबीर को महान पथ प्रदर्शक, हिन्दू पैगम्बर मानते हैं। कितने राज परिवर्तन हुए, सल्तनते मिटी, मुगल खत्म हुए, साम्राज्यवाद मिटा। कबीर और कबीर की वाणी आज भी जीवंत, प्राणवान बनी हुई है। प्रेरक बनी हुई है।

जहां-जहां भारतवासी बसे वहां पहले से ही कबीर के बोल मिट्टी में सुगंध फैला रहे हैं। आश्चर्य नहीं, कबीर ने बोए वचनों के आधार पर यही काम वर्तमान शासक वर्ग कर रहा है। हिन्दुओं में वंचित दलित समाज को दिशा प्रदान कर रहा है। आत्म-चेतना, चारित्रिक बल, आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। निस्संदेह कबीर वाणी पद दलित हिन्दुओं के सशक्तिकरण का जनांदोलन था जिसे साम्राज्यवाद ने भी दिग्भ्रमित किया। आज दलीय राजनीतिक कुचक्र के चलते वंशवाद, परिवारवाद हावी है। अरबों-खरबों की संपत्तियां बटोर सत्ता

का परकोटा तान करोड़ों लोगों के खुदा बन बैठे हैं।

इसलिए कबीर कहते थे-

सुमिरन सुरत लगाइ के,
मुखते कछु न बोल

बाहर के पट देखकर,
अंतर के पट खोल।

अगर इन सत्ताधारियों के अंदर के पट खुल जाएंगे तो समरसता, सौहार्द, सच्ची मानवता, सम्राज्यवाद धरती पर साकार होगा। इनकी कथनी करनी को कबीर आज भी उजागर करते नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं-

एकै पवन एक ही पानी
एकै जोति संसारा।

एक ही खाक गढ़े सब भांडे
एक ही सिरिजन हारा

एकै बूंद एकै मल मूत्रा
एक चाम, एक गूदा,

एकै जोति सै सब उत्पन्ना
को बामन को सूदा॥

कबीर नाम स्मरण अमृत के झरने जैसा आनंदित करने वाला है। कबीर अपने युग से बहुत आगे व्यवस्था परिवर्तन के हामी थे। उनके पद, वाणी बगावत के मंत्र हैं।

कबीर निर्बल के सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने महल, फार्महाउस, विदेशी बैंकों में खातों, बैकों से अरबों-करोड़ों के कर्ज मंदिर-मस्जिद के झूठे झगड़ों की कोई बात नहीं की। उन्होंने राम रसायन, रामामृत की एक-एक बूँद समदर्शी की भांति अपनी निर्मल वाणी द्वारा सर्वहारा से लेकर शक्तिमान् तक एकरस हो बांटी, उन्होंने सर्वप्रथम दलित क्रांति, सर्वहारा क्रांति का सपना देखा था, काशी-मगहर की झोपड़ियों में बैठकर करघे की तान पर युग संदेश प्रचारित किया था। परमसहिष्णु महानतम वैष्णवजन कबीर ने कहा :-

मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो
यह तो खेल मुजाका है।

दिल मत तोड़ किसी का बंदे
यह घर खास खुदा का है॥

मध्ययुग में सक्रांतिकाल में सल्तनतों सामंतों की यातनाओं, राजा रजवाड़ों की कुटिल चालों-खुराफातों, ब्राह्मणी और मुल्ला मौलवियों की पोंगापंथी समाज विभेदात्मक रीति नीतियों से त्रस्त साधारण जनता को कबीर और उनके समकालीन संत-कवियों ने अपने अमृत वचनों से योगियों जैसी पूर्णानंद प्रदान करने वाली अमृतमयी वाणी से प्रभावित किया। उनका एक प्रसिद्ध भजन है:

रस भंवर गुफा में अमृत झरै
गंगा यमुना मध्य सरस्वती
नांद बिन्दु गांठ जुरै।

आसन मारि अमृतरस
चाखै दिल की दुविधा दूर करै।

दस दरवाजे तारी लागी,
कोई कोई हंसा ध्यान धरै।

कहहिं कबीर सुनौ भई साधों
अजर अमर कबहुन करै॥

इस पद से कबीर योगियों की तरह सहज समाधि से दिव्य रस की अनुभूति कराते हैं। समाधिकाल में सहस्त्रदल कमल में योगानंद स्वरूप दिव्यरस अविनाशी रूप में झरता प्राप्त होता है।...

यही नहीं कबीर ने महाज्ञानी के रूप में मोह माया को महाठगिनी के रूप में वर्णित करके संसार की असारत्व सिद्ध कर दिखाई है।

माया महाठगनि हम जानी।
तिरिगुन फांस लिए कर डोले,
बोले मधुरी बानी।

केशव के कमला होई बैठी,
शिव के भवन-भवानी।

पंडा के मूरति होई,
बैठी तीरथ हूँ मई पानी॥

जोगी के जोगिन होई बैठी,
राजा के घर रानी॥

काऊ के हीरा होई बैठी,
काहू के कौड़ी कानी।

भगता के भगतनि होई
बैठी-ब्रह्मा के ब्रह्मानी॥

कहहिं कबीर सुनहु हे
संतोई सब अकथ कहानी।

इसी माया ने वर्तमान सत्ताधारियों को मोह फांस में फंसकर अपार धन दौलत, संपत्ति, यश, विदेश यात्रा सुख के कुचक्र में जनधन की लूट और जनसाधारण की उपेक्षा के लिए प्रेरित कर रखा है। यह तिलस्म शीघ्र टूटने वाला है।

"कहहिं कबीर सुनो भाई साधो
जम दरवाजा बोधल जैसे बकरा।"

यमराज का ग्रास राजा-रंक सभी को बनना है।

आज भी भारत की पहचान बुद्ध, कबीर, अम्बेडकर जैसे महापुरूषों की वजह से है।

कबीर जैसे महान संत भक्त कवियों, योगियों, परम् ज्ञानियों की स्मृति में आज भी श्रद्धा सुमन चढ़ाए जाते हैं। जयंतियां मनाई जाती हैं, खजाने लूटने वालों, आततायी शासकों को कोई याद नहीं करता। उनकी कब्रगाहों पर फूलहार नहीं चढ़ते।

कबीर करोड़ों लोगों के मनप्राण में आज भी बसे हुए हैं। उनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। सर्वहारा की क्रांति को कबीर के पद सफल बनाने में आज भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ हैं।

कबीर का जितना अध्ययन करोगे नए-नए विचार प्रस्फुटित होने लगेंगे। उनकी संसार की असारता क्षणभंगुरता और रामनाम के रसात्मक अक्षय स्रोत का निर्मल निर्झर है। ■

(लेखक समतावादी चिंतक हैं।)

मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।
-डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

कबीर की भक्ति का स्वरूप

■ डॉ. प्रभु चौधरी

'न साध्यति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धत।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भर्त्त्मिोर्जिता॥'

हे उद्धव ! योग, सांख्या, धर्म, स्वाध्याय, तप, संन्यास आदि मुझे उस प्रकार वशीभूत नहीं कर सकते जैसे मेरी अनन्य प्रेम भक्ति मुझे वशीभूत करती है।

'न वेद यज्ञाध्ययनैर्नदानैर्नच क्रियामिर्नतपोमिरूग्रे:।
एवंरूप: शक्य अहंनृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरूप्रवीर॥'

हे अर्जुन ! मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और उग्र तप से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ।

'नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।
शक्य एवं विधों द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुन।
ज्ञातुं द्रष्टुं व तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतंप॥'

हे अर्जुन! न वेदों से, न तप से, न दान से और यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है, परन्तु हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिये और तत्त्व से जानने के लिये तथा प्रवेश करने के लिये अर्थात् एकीभाव से प्राप्त होने के लिये भी शक्य हूँ।

'कबीर कहता जात हौं, सुणता है सब कोइ।
राम कहैं भला होइगा, नहिंतर भला न होइ॥

मैं कबीर बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ और सारी दुनिया मेरी बात को सुनती भी जा रही है जिसका सारांश इतना ही है कि स्वात्मत्व का साक्षात्कार रूप भला राम नाम स्मरण करने में ही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन से नहीं होगा।

कबीर ने उक्त डिण्डिमघोष को सुनकर पूर्वपक्षी कहता है, आपके कथन को सत्य मानने में क्या प्रमाण है। तब कबीर पुन: पूर्ण उत्साह के साथ अपनी बात को कहते है।

'तत तिलक तिहूँ लोक मैं, राम नाम निज सार।
जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार

तीनों लोकों में सारों का सार, तत्त्वों का शिरोमणि तत्त्व राम का नाम है। मुझ भक्त कबीर ने इस नाम के नाम को अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया है अर्थात् इसको ही जीवन का सर्वस्व मान लिया है जिससे मेरी शोभा अत्यधिक अपरम्पार हो रही है।

यहाँ पूर्व पक्षी कबीर के समक्ष एक उलझन और खड़ी करते हुए कहता है परात्पर परब्रह्म परमात्मा जिसे तुम राम के नाम से संबोधित करते हो वह नाम और रूप से रहित है। "अस्ति भाति प्रिय रूप है नाम रूप व्यभिचार।" फिर तुम कैसे उसे नाम वाला बताकर उसके नाम जप का व्याख्यान करते हो।

यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर कबीर की वाणी में नहीं मिलता किन्तु दादू के सर्वाधिक व्युत्पन्नमति शिष्य रज्जब इसका उत्तर देते हैं।

'नाम निनामे के धरै, संतों सोध सभाइ।
रज्जब मानै रामजी, सुमस्त्रौं करी सहाइ॥'

परब्रह्म परमात्मा अनाम था। उसको पुकारने के लिये संतों ने सोच-विचार कर उसके कुछ नाम 'ऊँ', 'राम', 'हरि' निश्चित कर लिये और उन्हीं से उसको बुलाने लगे। परमात्मा के द्वारा संतों द्वारा निश्चित नाम को स्वीकार कर लिया गया। इसका पक्का प्रमाण यह है कि जब भी भक्तों द्वारा विपत्ति के समय उस परमात्मा को उस नाम से पुकारा गया तब ही वह सहायता करने को दौड़ा आया, सहायता की।

अत: सिद्धान्त निष्पन्न होता है कि निर्गुण-निराकार, निर्विशेष परमात्मा का नाम संभव है और उसको उसके नाम से पुकारने पर वह तत्काल सहायता करने को तत्पर हो जाता है। अत: इस दुष्काल कालिकाल में परमात्मा की प्राप्ति को सरलतम तथा सुगमतम उपाय रामनाम स्मरण ही है।

कबीर रामनाम स्मरण को ही भक्ति बताते हुए कहते हैं-

'भगति भजन हरि नाँडँ है, दूजा दुक्ख अपार।
मनसा वाचा क्रमना, कबीर सुमिरण सार

परात्पर परब्रह्म परमात्मा हरि के नाम का भजन स्मरण ही भक्ति का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त मूर्ति सेवा-पूजा, तीर्थ-व्रत-सेवन आदि सभी अपरिमित दु:खों को देने वाले हैं, दु:ख रूप हैं। अत: मुझ कबीर के अनुसार मनसा, वाचा

और कर्मणा रामनाम का अहर्निश तैलघारावत् स्मरण ही सार है। उक्त बात कबीर ने ही कही हो, सो बात नहीं है। भक्ति सिद्धांत के आचार्य श्री गोस्वामी ने भक्तिरसाम्तसिन्धु में भी यही बात इस प्रकार कही है– 'रागानुगायां स्मरणस्य मुख्यता' रागानुगा भक्ति में भगवन्नाम स्मरण की ही मुख्यता है। अन्य सभी गौण हैं। रागानुगा भक्ति में न विधि है और न निषेध है। इसमें तो मात्र उपास्य का उसी प्रकार सतत चिंतन अभिप्रेत है जिस प्रकार गंगा का जल बिना रूके समस्त रूकावटों को समाप्त करता हुआ समुद्र में मिलने को सरपट दौड़ता है।

'मद्गुणश्रुतिमात्रेण मवि सर्वगुहाशये।
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसाऽम्ब्रधो॥
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य खुदाहृतम।
अहैतुक्यव्यह्रहिता या भक्तिः पुरूषोत्तमे॥'

जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखण्ड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार भगवान् के गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति तैल धारावत् अविच्छिन्न रूप से भगवान की ओर उन्मुख हो जाना तथा उस पुरूषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम हो जाना यह निगुण भक्ति का लक्षम कहा गया है।

कबीर उक्त जैसे ही विचार व्यक्त करते हुए कहते है–

'कबीर मेरा मन सुमिरै राम कूँ, मेरा मन रामहि आहि।
इब मन रामहि हैव रह्या, सीस नवावौं काहि

कबीर कहता है, मेरा मन अहर्निश राम का स्मरण करता है जिससे मेरे मन में राम का स्थायी निवास हो गया है। परिणामस्वरूप अब मेरा मन राम ही हो गया है। जब मैं स्वयं ही रामरूप हो गया हूँ तब किसके समक्ष मस्तक झुकाकर प्रणाम करूँ।

एक अन्य साखी में कबीर कहते हैं–

'कबीर जैसे माया मन रमैं, यौं जे राम रमाइ।
तो तारामंडल छाडि करि, जहाँ कैसौ जाइ।

जिस प्रकार नट दो बाँसों के शिरों पर बंधी रस्सी पर चलते हुए नाना करतब दिखाता है किन्तु उसकी चित्तवृत्ति रस्सी में ही लगी रहती है कि कहीं मेरा पैर रस्सी से हट न जाये और मैं गिर न जाऊँ। इसी प्रकार साधक शरीर निर्वाह के लिये समस्त कार्य करते हुए भी अपनी चित्तवृत्ति रामनाम स्मरण में लगाकर रखे जिससे इसका तादारम्य रामनाम से हो जाये। यही अनन्य भक्ति का स्वरूप है, कबीर के अनुसार।

श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही बात इस प्रकार कही है–

'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।
मयार्पित मनोबुद्धिर्मामेवैशष्यसंश्यम॥

इसलिए अपने कर्त्तव्यकर्म युद्ध को करता हुआ भी सर्वकाल में मेरा ही स्मरण करे। मेरे में व बुद्धि को समर्पित कर देने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ■

(लेखक सम्पादक मंडल के सदस्य हैं।)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर पर शोधपरक, गंभीर व विश्लेषणात्मक लेख। कविताएं, कहानियां, आदि रचनाएं और दलित-स्त्री-आदिवासी साहित्य व विमर्श पर सामग्री भेजें। अपने लेख, डाक द्वारा भेजें या ई-मेल करें। ई-मेल करने के लिए, वॉकमैन चाणक्य (Walkman-chankya-905) फोंट का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्ड ओपन फाईल को hilsayans@gmail.com अथवा editorsnsp@gmail.com पर भेजें। रचनाओं के मौलिक, अप्रसारित व अप्रकाशित होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

–सम्पादक
सामाजिक न्याय संदेश
15 जनपथ, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन : 011-23320588

कबीर समरसता के पक्षधर

■ डॉ. ओ.पी. कोली

वर्तमान युग में सामाजिक सौहार्द, समरसता और सहअस्तित्व का बड़ा भारी महत्व है। सामाजिक विषमताएं, प्राचीन मान्यताएं, धार्मिक कट्टरता, रूढ़ियां अभी भी विषबेल की तरह समाज में कटुता उत्पन्न कर रही है। ऐसे में कबीर की अगर वाणी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। संत कबीर को महान समाज सुधारक, ज्ञानी पुरुष, लोक चेतना का पक्षधर माना जाता है जिसने बुद्ध दर्शन से प्रभावित बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय अपनी निस्पृहवाणी से कोटि-कोटि दिग्भ्रमित जनता में नवजागरण की ज्ञान गंगा प्रवाहित की।

भारत के इतिहास की किताबों में भले ही कबीर की उपेक्षा हुई हो, लेकिन साहित्य के पृष्ठों में कबीर का नाम अजर अमर है। वे कट्टरता, सांप्रदायिकता, जाति-भेद, ब्राह्मण और मौलवियों की संकुचित उपासना, पूजा पद्धति के संकुचित तरीकों के खिलाफ थे। कबीर मानवीय मूल्यों के पोषक थे। धर्म निरपेक्षता, समरसता के पक्षधर थे। सामाजिक एकता के प्रतीक थे। दार्शनिक संत, पर पेशे से बुनकर कबीर मध्यकालीन सामाजिक इतिहास की ऐसी महान शख्सियत थे जिनके गांव-गांव, नगर-नगर में अनुयायी फैले हुए थे। जिसका मुख्य कारण उनकी वाणी, उनकी रचनाएं हैं, जिनमें उनकी विचारधारा, दार्शनिक मान्यताएं छिपी हुई हैं। वे पढ़े-लिखे नहीं थे, बहुश्रुत थे, लेकिन उनकी बानियों-पदों में वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख आते हैं। उनका मानना था–

"पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ,
पंडित भया न कोय
ढ़ाई आखर प्रेम के,
पढ़े सो पंडित होय।"

अर्थात् प्रेम के ढ़ाई अक्षर पांडित्य के कारक हैं। कबीर के प्रेमी, अनुयायी भारत के अलावा सूरीनाम, अफ्रीका, मारीशस, फिजी, बंगदेश में भारी तादाद में आज भी मिलते हैं। ये वे लोग हैं जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के चलते मजदूरी और बड़े कृषि फार्मों में 'गिर मिटिया श्रमिक' के रूप में अंग्रेज भारत से भर्ती कर उन्हें ले गए थे। उत्तरी भारत के मूलत: ये लोग बिहार, पूर्वांचल निवासी हैं और भोजपुरी, मगधी तथा अवधी पर इनका अधिकार रहा है जिन्हें विरासत के रूप में कबीर की वाणियां याद हैं। कई पीढ़ी बीतने पर भी वे कबीर को नहीं भूले हैं। भारत की सीमा से हजारों मील दूर इन देशों में कबीर के स्वर आज भी गूंजते हैं। यद्यपि ये प्रवासी भारतीय उन देशों की भाषा, संस्कृति, उच्च विज्ञान और तकनिकी के साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र में भी शिखर पर हैं और काफी समृद्ध हैं।

उन देशों में कबीर मंदिर हैं, कबीर उत्सव होते हैं। कबीर साहित्य पर चर्चा होती है। यह बड़ी बात है। खेद है कबीर जैसे महान संत, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, मानवता के प्रबल पक्षधर को हिंदी के तथाकथित विद्वानों ने मुस्लिम जुलाहा, अनाथ बालक सिद्ध करने का प्रयास किया है जो भ्रामक है। जो माथे पर मोर पंख धारण करता हो, संत भेष-भूषा में साधारण गृहस्थ की तरह कपड़ा बुनकर रोजी रोटी चलाता हो, नित्य प्रति सुबह-सुबह निराकार ब्रह्म जो अपनी रचनाओं में कोरी/कोली बुनकर हिंदू जुलाहा कहने में गर्व का अनुभव करता हो वह मुसलमान कैसे हो सकता है। इस्लामिकरण के दौरान बुनकर को जुलाहा कहा गया क्योंकि कबीर ने पोंगापंथी पुरोहितों, ब्राह्मणों को फटकारा, उसी तरह धर्म विद्वेष फैलाने वाले मौलवियों की अच्छी खबर ली जो भोली-भाली जनता को बहकाते थे। इसलिए धार्मिक ठेकेदारों ने उन्हें मुस्लिम जुलाहा, अनाथ कहा, तिरस्कृत समझा। यहां तक कि काशी के पंडितों ने उन्हें काशी छोड़कर मगहर जाने के लिए मजबूर किया। काशी पंडितों का भ्रामक प्रचार उन्हें मुस्लमान बनाने पर आमादा था।

कबीरपंथी आचार्य उनका जन्म काशी के लहरतारा स्थान पर संवत 1455 में और मृत्यु बस्ती जिले के पास मगहर में संवत् 1559 मानते हैं। उन्होंने अपने पद बानियों की रचना संवत् 1490 के आस-पास शुरू की और मृत्यु पर्यंत संवत 1559 तक उनका रचना काल चलता रहा। वे जो बोलते, गाते थे, भक्त, अनुयायी, संत मण्डली उन्हें टीप लेती थी। हस्तलिखित पोथियों में संग्रहीत उनके पद पूरे भारत में गाए जाते थे। साधारण गृहस्थ भी उनका पाठ करते थे। उनके बारे में कहा जाता है दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उनके प्राण हरण की दो बार कोशिश की जो उनके विचारों से आहत था, क्योंकि कबीर इस्लामिकरण के खिलाफ थे। सुल्तान के कारनामों से खफा थे। वे निडर रहकर भजन मंडली

में अपने पद-वाणी का गायन करते थे। उन्होंने गर्व से कहा -

"तू बामन है काशी का कोरी,
चीन्ह न मोर गियाना।"

कहीं-कहीं कोरी की जगह जुलाहा आया है। देश के कोली-कोरी हिंदू बुनकर आज भी उन्हें अपना पूर्वज पुरुष (पुरखा) मानते हैं और भगत या कबीर पंथी कहने में गर्व का अनुभव करते हैं।

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, डॉ. राम कुमार वर्मा आदि हिंदी के विद्वानों ने मनगढ़ंत बातें करके कबीर को संत, महात्मा, दार्शनिक, समाज सुधारक की जगह हिंदू-मुसलमान जाति के पेंच में फंसाने की कोशिश की है। कबीरपंथी आचार्य इन बातों को परे रखते हुए उन्हें हिंदू जाति का संरक्षक, हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर, महान ज्ञानी, शिल्पी जातियों और साधारण गृहस्थजनों को सद्मार्ग दिखाने वाला, खोखली पूजा पद्धति का घोर विरोधी युग प्रवर्तक मानते हैं। कबीर बुद्ध की परंपरा के मानव शरीर में पैगंबर, देवदूत थे। वे अपने युग से बहुत आगे थे। आगे चल कर समाज सुधारों का जो श्रृंखला-बद्ध कार्य भारत के सुधारकों ने किया उसके मूल में कबीर की सदाशयता समरसता की विमल वाणी ही थी। इसलिए आज भी कबीर भारत की आत्मा बने हुए हैं।

डॉ. अम्बेडकर भी कबीर पंथी थे और कबीर के योगदान के प्रबल प्रशंसक थे। नोबेल पुरस्कार विजेता और महान कवि और दार्शनिक, शिक्षा और संस्कृति के सूत्रधार रवींद्रनाथ टैगोर ने भी कबीर की भूरी-भूरी सराहना करते हुए उन्हें युग मनीषी कहा है और कबीर के सौ पदों का अंग्रेजी-बांग्ला में अनुवाद करके कबीर को विश्व कवि, विश्व गुरू सिद्ध करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। यह बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबीर की मान्यता है। कबीर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से चलता है कि हर ग्रामीण और शहरी जो हिंदी भाषा-भाषी अंचल में निवास करता है कबीर भजन-दोहे कंटस्थ किए हुए है। यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। स्कूल, कॉलेज आदि विश्वविद्यालयों के

> **डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, डॉ. राम कुमार वर्मा आदि हिंदी के विद्वानों ने मनगढ़ंत बाते करके कबीर को संत, महात्मा, दार्शनिक, समाज सुधारक की जगह हिंदू-मुसलमान जाति के पेंच में फंसाने की कोशिश की है। कबीरपंथी आचार्य इन बातों को परे रखते हुए उन्हें हिंदू जाति का संरक्षक, हिंदू-मुस्लिम एकता का पक्षधर, महान ज्ञानी, शिल्पी जातियों और साधारण गृहस्थजनों को सद्मार्ग दिखाने वाला, खोखली पूजा पद्धति का घोर विरोधी युग प्रवर्तक मानते हैं। कबीर बुद्ध की परंपरा के मानव शरीर में पैगंबर, देवदूत थे।**

पाठ्यक्रमों में कबीर के पद पढ़ाए जाते हैं। विश्वविद्यालयों में कबीर पर जितने शोध हुए हैं उतने किसी पर नहीं हुए।

यहां तक कि राष्ट्रपति भवन में भी कबीर की छठवीं जन्म शताब्दी पर भव्य आयोजन हो चुका है जब डॉ. शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और ज्ञानी जैलसिंह कबीर के भारी प्रशंसक थे। एक बात बड़ी अखरने वाली है मगहर में जहां कबीर ने अंतिमवास किया और जहां उनका निर्वाण हुआ उस स्थल को हिंदू-मुस्लिम एकता, सामाजिक समरसता, जातीय सौहार्द के रूप में एक राष्ट्रीय स्मारक के रूम में अभी तक विकसित नहीं किया गया। कुछ वर्ष पूर्व बड़े लेकिन शालीन स्तर पर प्रसिद्ध फिल्मी लेखक-गीतकार कैफी आजमी, अभिनेत्री शबाना आजमी ने काशी से मगहर तक की एक विद्वतजनों, कबीर प्रेमियों, साहित्यकारों की पदयात्रा आयोजित की थी। कबीर ने अकेले और अपने समकालीन संत कवियों के साथ लेकर हिंदी भाषा, राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता का जितना काम किया है वह करोड़ों रुपये व्यय करके विदेशों में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे आयोजन भी नहीं कर सके।

कन्हैयालाल चंचरीक के कथन को यहां उद्धृत करना ठीक होगा, लिखा है–

"कबीर का ब्रह्म समदर्शी है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वव्यापी है। ज्ञान और निर्वाण का संदेश कबीर को बुद्ध से मिला था, लेकिन बुद्ध के अनात्मवाद की जगह कबीर ने जीव (आत्मा) और ब्रह्म परमात्मा को एकाकार किया।"

चंचरीक जी ने आगे लिखा "कबीर ने निराशा के सागर में डूबी कोटि-कोटि जनता में प्राण फूंके। कबीर ने तमाम पाखण्डों, सामाजिक बुराइयों को नकारा। वे मुस्लिम कट्टरता, ब्राह्मणी पाखंड से लड़े। उन जैसी खरी बात कोई नहीं कह सकता था। सुधारकों में वे पहली पंक्ति में आते हैं। आज दुनिया भौतिकता के पीछे भाग रही है। सत्ता का सबको लालच है, इसलिए संसार समस्याओं से घिरा है। अगर यही क्रम रहा और बुद्ध, कबीर और अम्बेडकर

के वचनों पर नहीं चले तो भौतिकवादी देशों की तरह अध्यात्मिक, धर्म दर्शन और योग तथा त्याग-तपस्या विरक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध यह ऋषि भूमि भी विनाश की राह पर चल पड़ेगी। वर्तमान नेतृत्व बड़ी लगन और राष्ट्र प्रेम के साथ सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। इसे सभी जानते हैं। पूरा संसार ही इस समय बारूद के ढेर पर है। कबीर ने स्पष्ट कहा था–

"खबर नहिं या जग में पल की,
सुकृत कर ले नाम सुमिर
ले को जाने कल की।
कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी
बात करै छल की,
पाप गठरिया है सिर ऊपर,
कैसे होय हल की।"

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मस्त मौला फकीर, युगसंगत धर्मगुरू, बुद्ध परंपरा का विरक्त महापुरुष मान्य है। कबीर हिंदू धर्म की उदारवादी परंपरा के प्रतीक थे। मुसलमानों का शासन होते हुए भी उनके रोजे-नमाज के ढंग की खिलाफत की। जीव हत्या, कसाई कर्म की निंदा की। कबीर से प्रभावित संत कवियों में जो उनके समकालीन थे, धन्ना, पीपा, सेन, रविदास आदि प्रमुख हैं जो संत परंपरा के अनमोल रतन हैं। कबीर को स्मरण करो तो यम मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है।

महान कबीर मानव धर्म के परिपोषक थे। शुद्ध वैष्णव थे। वे न हिंदू थे, न मुस्लमान – वे कोली बुनकर थे जिसका मूल उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। वे महामानव थे। किसान अन्न देता है इसलिए प्रजापति है। बुनकर कोली वस्त्र देता है इसलिए सांस्कृतिक प्रहरी है। महाप्राण है, पर वैष्णव है।

उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया। एक ऐसे ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया जो सब जगह विद्यमान है। एक जगह वे कहते हैं–

"जाति जुलाहा मति का घोर
सहजि सहज गुन रमै कबीर।"

कबीर कपड़ा बुनने वाला सहज ज्ञानी, धैर्यधारणा करने वाला गुणवान संत है। विश्व बुनकर (विश्व प्रजापालक) के रूप में वह चादर भी ऐसी बुनता है वैसी किसी ने नहीं बुनी। भजन (पद) के शब्दार्थ परम् योगियों की तरह चयन करना कबीर की विशेषता है। निम्न पद में यही भाव है –

"झीनी-झीनी बिनी चदरिया
झीनी-झीनी बीनी
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी,
ओढ़ि के मैली कीनी
दास कबीर जतन से ओढ़ी
ज्योंकि त्यों धर दीनी चदरिया
झीनी-झीनी बीनी......................"

कबीर का भाव यही है कि मानव जीवन को उन्होंने बिना दाग के पवित्रता, शुचिता का आचरण करके जिया है।

ईसाई ईसा मसीह को ईश्वर का युवा देवदूत पैगम्बर मानते हैं। ईसाईयों की विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर पैगम्बर मुहम्मद साहिब हैं, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इनके भी विश्वभर में अनुयायी हैं।

भारत बहुदेववाद से ग्रसित है, जितने लोग उतने देवी-देवता। मध्यकालीन संतों में जिनमें कबीर अग्रणी हैं निराकार ब्रह्म की उपासना का समर्थन किया। वेद-उपनिषद भी ईश्वर को नहीं पा सके। हिंदू धर्म में विष्णु पूजा बुद्ध की बोधि प्राप्ति के बाद की परंपरा है।

पहले बुद्ध मूर्तियां तराशी गई। बाद में हिंदू देवताओं को उकेरा गया। छह सौ साल पूर्व कबीर ने सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली, प्रजापालक, निराकार ब्रह्म की प्रथा चलाई, ऐसी मान्यता है।

कबीर पूर्ण बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। हिंदुओं की वैष्णवी पद्धति, उदारवादी परंपरा को भी उन्होंने अपनाया। वैदिक कर्मकांडों, पंडितों की कट्टरवादिता, रूढ़ियों और यवन जाति के मजहबी सिद्धांतों तरीकों से भी कबीर सहमत नहीं थे।

अपने विचारों से कबीर ने हिंदू धर्म को उदार, वैष्णवी पद्धति पर ढालने का प्रयास किया। कबीर ने सोई हुई हिंदू जनता में नवजागृति का संदेश भरा। उनके पद पूरे भारत में मौखिक परंपरा में लोगों की जुबान पर कंठस्थ हो गए। यह एक बड़ी सांस्कृतिक क्रांति थी। अद्वैतवाद-एकेश्वरवाद को कबीर ने अपने पदों द्वारा गांव-गांव में फैलाया।

मंदिर, मठ, पूजा सामग्री, फूलमाला, प्रसाद और चढ़ावा सब फालतू की चीजें बन गई। इससे ब्राह्मण वर्ग चिढ़ गया। मौलवी भी नाराज हुए, क्योंकि कबीर मस्जिद में अल्लाह की अज़ान की तीखी आवाज के सख्त खिलाफ थे।

कबीर के भजनों की पोथियां हाथ से लिखी जाती थी, बहियों के रूप में वे घर-घर में प्रचलित हो गई। पूरे भारत में संत महात्मा, फकीर, कबीर के दोहे गाते थे, जिन्हें जनता चाव से सुनती थी। कबीर के समकालीन संत भक्त कवियों के भजन पद, भाव-भाषा, अर्थ-शैली में मिलते जुलते हैं।

कबीन ने हिंदू जागरण, समरसता की जो लहर छह शताब्दी पूर्व प्रवाहित की वह आज भी उसी गति से बह रही है। कबीर आज भी अमर हैं। उनकी रचनाएं आज भी उसी चाव से पढ़ी जाती हैं। जैसे उनके जीवित रहते प्रचलित थी। ■

संदर्भ सूची :

1. रवीन्द्रनाथ टैगोर (1915), 'कबीर के गीत' मैकमीलन प्रेस, न्यूयार्क, अमेरिका
2. गिरीराजशरण अग्रवाल (2004), महात्मा कबीर, डायमण्ड बुक्स, नई दिल्ली- 110020
3. हजारीप्रसाद द्विवेदी (2015), 'कबीर' राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली – 110002
4. कन्हैयालाल चंचरीक (2015), 'महात्मा कबीर' यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली – 110002
5. रामकुमार वर्मा (1944), 'कबीर का रहस्यवाद : कबीर के दार्शनिक विचारों का गंभीर विवेचन', साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद
6. देवकी नंदन दास (2011), 'कबीर बीजक' मोतीलाल बनारसीदास पब्लिसर्स, नई दिल्ली – 110007

कबीर कल और आज

■ आर.के. वर्मा

आज भारतीय समाज में जिस उग्र साम्प्रदायिकता का दौर चल रहा है, धर्म के नाम पर, घृणा, द्वेष और उन्माद फैल रहा है, धर्म के नाम पर ही हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। जातिवाद अपने खुंखार चेहरे को लेकर, अपनी कट्टरताओं और संकीर्णताओं का प्रचार-प्रसार कर रहा है, ऐसे समय में कबीर कितने प्रासंगिक हो गए हैं। क्या हम उसी समाज से हैं, जिसमें कबीर पैदा हुए थे।

कबीर जिस समय पैदा हुए थे वह बहुत ही उथल-पुथल भरा समय था। उस समय संस्कृति और विचार की अनेक धारायें परस्पर टकराती हुई चल रही थी। एक और हिन्दू समाज की भेद-भाव पर आधारित जाति व्यवस्था की संरचना थी, उस संरचना की शक्ति का स्त्रोत शास्त्रीय धर्म था। उस संरचना और धर्म के विरोध में, बौद्ध, जैन, नाथ, शाक्त, सिद्ध आदि धर्म और मत थे।

वहीं दूसरी ओर उग्र इस्लाम था जिसमें कट्टरता थी। धार्मिक स्तर पर समानता के बावजूद विषमता थी, सूफी संत भी प्रेम का संदेश दे रहे थे।

हिन्दू जनता जाति की व्यवस्था के भेद-भाव और धार्मिक कर्मकांड की चक्की में पिस रही थी। वहीं मुस्लिम जनता इस्लाम की कट्टरता और आंतक की चक्की में पिस रही थी। ऐसी तर्कविहीन चक्की में पिसती हुई जनता को देखकर ही कबीर ने कहा।

चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय।
दुई पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोय॥

उस कठिन समय में भारतीय मनुष्य की मनुष्यता खतरे में थी। वह हिन्दू की गुलाम होकर, अपनी चेतना और संवेदना को धर्म के हाथों गिरवी रखकर ही बच सकता था। उसमें स्वतंत्रता और मनुष्यता की रक्षा का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था। वही स्थिति आज भी है।

कबीर ने अपने समय के भारतीय समाज में धर्मों, जातियों और सम्प्रदायों के बीच में फैले ऊँच-नीच के भेदभाव और उससे उपजे द्वेष और घृणा के भीषण सच को देखा था, घर में रहकर ही, जंगल में जाकर नहीं, बाजार में खड़े होकर उसका साक्षात्कार किया था। उसके लिए वह दुःखी थे।

सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे।
दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे॥

कबीर ने जिस भीषण सच और उसकी भयावह संभावनाओं का साक्षात्कार किया था जिससे भारतीय समाज बच सके, ऐसे धर्म का विकास चाहते थे, जिसका आधार प्रेम से, "ढाई आखर प्रेम का पढ़ें सो पंडित होय।"

श्री शुकदेव सिंह के शब्दों में—

मनुष्य के दमन और अपमान के खिलाफ कबीर एक आक्रामक शब्द हैं इस शब्द के अर्थ में किसी को कोई संशय नहीं है। सत्य के बल के साथ जब कोई स्वर, जब कोई विद्रोह, जब कोई निर्भय आवाहन सक्रिय होता है— वह "कबीर" शब्द के भीतर होता है। हर तीखा और तेज आदमी "कबीर" के आइने में अपना चेहरा देखता है।

"कबीर" शब्द एक ऐसा शब्द है, जो एक लड़ाई और इन्सानियत के ख्वाबों से अनिवार्य रूप से जुड़ चुका है।

"कबीर" मनुष्य की विजय यात्रा का ध्यान चिन्ह है।

हम न भरब मरिहै संसारा।
हमका मिला जियावन हारा॥

कबीर और इंसानियत हम शक्ल चीजें हैं। कबीर का मार्ग स्वसंवेदमार्गी है। जो अपनी तकलीफ के पैमाने पर दूसरों की तकलीफ को देखता है जो अपनी भूख, प्यास, उपेक्षा और सामाजिक अत्याचार के वजह पर आम आदमी को समझने की कोशिश करता है और वही उनके शास्त्र विरोधी शास्त्र को समझ सकता है, उनके धर्म विरोधी धर्म को धारण कर सकता है।

कबीर की पूजा विरोधी, पूजा की प्रासंगिकता उसी आदमी के लिए है जो सबसे पहले आदमी है और सबसे बाद में आदमी ही है। ■

24 अप्रैल 2016 का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित,

‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन

मेरे प्यारे देशवासियो,

आप सबको नमस्कार। छुट्टियों में कई कार्यक्रम हर कोई बनाते है। और छुट्टियों में आम का सीजन होता है, तो ये भी मन करता है कि आम का मजा लें और कभी ये भी मन करता है कि कुछ पल दोपहर को सोने का मौका मिल जाए, तो अच्छा होगा। लेकिन इस बार की भयंकर गर्मी ने चारों तरफ सारा मजा किरकिरा कर दिया है। देश में चिंता होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें भी, जब लगातार सूखा पड़ता है, तो पानी-संग्रह के जो स्थान होते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं। कभी-कभार इनक्रोचमेंट के कारण, सिल्टिंग के कारण, पानी आने के जो प्रवाह हैं, उसमें रुकावटों के कारण, जलाशय भी अपनी क्षमता से काफी कम पानी संग्रहीत करते हैं और सालों के क्रम के कारण उसकी संग्रह-क्षमता भी कम हो जाती है। सूखे से निपटने के लिए पानी के संकट से राहत के लिए सरकारें अपना प्रयास करें, वो तो है, लेकिन मैंने देखा है कि नागरिक भी बहुत ही अच्छे प्रयास करते हैं। कई गाँवों में जागरूकता देखी जाती है और पानी का मूल्य क्या है, वो तो वही जानते हैं, जिन्होंने पानी की तकलीफ झेली है। और इसलिए ऐसी जगह पर, पानी के संबंध में एक संवेदनशीलता भी होती है और कुछ-न-कुछ करने की सक्रियता भी होती है। मुझे कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार ग्राम पंचायत और वहाँ के गाँव वालों ने पानी को गाँव के एक बहुत बड़े संवेदनशील मुद्दे के रूप में एड्रेस किया। जल संचय करने की इच्छा करने वाले तो कई गाँव मिल जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो किसानों के साथ बातचीत करके पूरी क्रोपिंग पैटर्न बदल दी। ऐसी फसल, जो सबसे ज्यादा पानी उपयोग करती थी, चाहे गन्ना हो, केला हो, ऐसी फसलों को छोड़ने का निर्णय कर लिया। सुनने में बात बहुत सरल लगती है, लेकिन इतनी सरल नहीं है। सबने मिल करके कितना बड़ा संकल्प किया होगा? किसी कारख़ाना वाला पानी का उपयोग करता हो, कहोगे, तुम कारख़ाना बंद करो, क्योंकि पानी ज्यादा लेते हो, तो क्या परिणाम आएगा, आप जानते हैं। लेकिन ये मेरे किसान भाई, देखिए, उनको लगा कि भाई, गन्ना बहुत पानी लेता है, तो गन्ना छोड़ो, उन्होंने छोड़ दिया। और पूरा उन्होंने फलों और सब्जियों, जिसमें कम-से-कम पानी की जरूरत पड़ती है, ऐसी फसलों पर चले गए। उन्होंने इस्प्रींकलर, ड्रिप, इरीगेशन, विड, सिंचाई, वाटर हारवेस्टिंग वाटर रिचार्जिंग- इतने सारे इनिशिएटिव लिये कि आज गाँव पानी के संकट के सामने जूझने के लिए अपनी ताकत पर खड़ा हो गया। ठीक है, मैं एक छोटे से गाँव हिवरे बाजार की चर्चा भले करता हूँ, लेकिन ऐसे कई गाँव होंगे। मैं ऐसे सभी गाँववासियों को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ आपके इस उत्तम काम के लिए।

मुझे किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश में देवास जिले में गोरवा गाँव पंचायत। पंचायत ने प्रयत्न करके फार्म पॉन्ड बनाने का अभियान चलाया। करीब 27 फार्मपॉन्ड्स बनाए और उसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोत्तरी हुई, पानी ऊपर आया। जब भी पानी की जरूरत पड़ी फसल को, पानी मिला और वो मोटा-मोटा हिसाब बताते थे, करीब उनकी कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पानी तो बचा ही बचा

और जब पानी का वाटर लेवल ऊपर आता है, तो पानी की क्वालिटी में भी बहुत सुधार होता है। और दुनिया में ऐसा कहते हैं, शुद्ध पीने का पानी जीडीपी ग्रोथ का कारण बन जाता है, स्वास्थ्य का तो बनता ही बनता है। कभी-कभार तो लगता है कि जब भारत सरकार रेलवे से पानी लातूर पहुँचाती है, तो दुनिया के लिए वो एक ख़बर बन जाती है। ये बात सही है कि जिस तेजी से रेलवे ने काम किया, वो बधाई की पात्र तो है, लेकिन वो गाँव वाले भी उतने ही बधाई के पात्र हैं। मैं तो कहूँगा, उससे भी ज्यादा बधाई के पात्र हैं। लेकिन ऐसी अनेक योजनाएँ, नागरिकों के द्वारा चलती हैं, वो कभी सामने नहीं आती हैं। सरकार की अच्छी बात तो कभी-कभी सामने आ भी जाती है, लेकिन कभी हम अपने अगल-बगल में देखेंगे, तो ध्यान में आएगा कि सूखे के खिलाफ किस-किस प्रकार से लोग, नये-नये तौर-तरीके से, समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते रहते हैं।

मनुष्य का स्वभाव है, कितने ही संकट से गुजरता हो, लेकिन कहीं से कोई अच्छी ख़बर आ जाए, तो जैसे पूरा संकट दूर हो गया, ऐसा मिमस होता है। जब से ये जानकारी सार्वजनिक हुई कि इस बार वर्षा 106 प्रतिशत से 110 प्रतिशत तक होने की संभावना है, जैसे मानो एक बहुत बड़ा शान्ति का सन्देश आ गया हो। अभी तो वर्षा आने में समय है, लेकिन अच्छी वर्षा की ख़बर भी एक नयी चेतना ले आयी।

लेकिन मेरे प्यारे देशवासियो, अच्छी वर्षा होगी, ये समाचार जितना आनंद देता है, उतना ही हम सबके लिए एक अवसर भी देता है, चुनौती भी देता है। क्या हम गाँव-गाँव पानी बचाने के लिये, एक अभी से अभियान चला सकते हैं! किसानों को मिट्टी की जरुरत पड़ती है, खेत में वो फसल के नाते काम आती है। क्यों न हम इस बार गाँव के तालाबों से मिट्टी उठा-उठा करके खेतों में ले जाएँ, तो खेत की जमीन भी ठीक होगी, तो उसकी जल-संचय की ताकत भी बढ़ जायेगी। कभी सीमेंट के बोरे में, कभी फर्टिलाइजर के खाली बोरे में, पत्थर और मिट्टी भरके जहाँ से पानी जाने के रास्ते हैं, उस पानी को रोका जा सकता है क्या? पाँच दिन पानी रुकेगा, सात दिन पानी रुकेगा, तो पानी जमीन में जाएगा। तो जमीन में पानी के लेवल ऊपर आयेंगे। हमारे कुओं में पानी आएगा। जितना पानी हो सकता है, रोकना चाहिए। वर्षा का पानी, गाँव का पानी गाँव में रहेगा, ये अगर हम संकल्प करके कुछ न कुछ करें और ये सामूहिक प्रयत्नों से संभव है। तो आज भले पानी का संकट है, सूखे की स्थिति है, लेकिन आने वाला महीना - डेढ़ महीने का हमारे पास समय है और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कभी हम पोरबंदर महात्मा गाँधी के जन्म-स्थान पर जाएँ, तो जो वहाँ अलग-अलग स्थान हम देखते हैं, तो उसमें एक जगह वो भी देखने जैसी है कि वर्षा के पानी को बचाने के लिए, घर के नीचे किस प्रकार के जंदा दो सौ से अधिक साल पुराने बने हुए हैं और वो पानी कितना शुद्ध रहता था।

कोई श्रीमान कुमार कृष्णा, उन्होंने माई गव पर लिखा है और एक प्रकार से जिज्ञासा भी व्यक्त की है। वो कहते हैं कि हमारे रहते हुए कभी गंगा सफाई का अभियान संभव होगा क्या! उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि करीब-करीब 30 साल से ये काम चल रहा है। कई सरकारें आईं, कई योजनायें बनीं, ढेर सारा खर्चा भी हुआ और इसके कारण, भाई कुमार कृष्णा जैसे देश के करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल होना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग धार्मिक आस्था में रहते हैं, उनके लिए गंगा मोक्षदायिनी है। लेकिन मैं उस माहात्म्य को तो स्वीकार करूंगा ही, पर इससे ज्यादा मुझे लगता है कि गंगा ये जीवनदायिनी है। गंगा से हमें रोटी मिलती है। गंगा से हमें रोजी मिलती है। गंगा से हमें जीने की एक नयी ताकत मिलती है। गंगा जैसे बहती है, देश की आर्थिक गतिविधि को भी एक नयी गति देती है। एक भगीरथ ने गंगा तो हमें ला कर दे दी, लेकिन बचाने के लिए करोड़ों-करोड़ों भगीरथों की जरूरत है। जन भागीदारी के बिना ये काम कभी सफल हो ही नहीं सकता है और इसलिए हम सबने सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, एक चेंज एजेंट बनना पड़ेगा। बार-बार बात को दोहराना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास चल रहे हैं। गंगा तट पर जो-जो राज्य हैं, उन राज्यों का भी भरपूर सहयोग लेने का प्रयास हो रहा है। सामाजिक, स्वैच्छिक संगठनों को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। सरफेस क्लीनिंग और इण्डस्ट्रीयल प्रदूषण पर रोकने के लिए काफी कदम उठाए हैं। हर दिन गंगा में बड़ी मात्रा में, नालों के रास्ते से ठोस कचरा बह करके अन्दर आता है। ऐसे कचरे को साफ करने के लिए वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, पटना- ऐसे स्थानों पर ट्रास स्कीमर पानी में तैरते-तैरते कचरा साफ करने का काम करते हैं। सभी लोकल बॉडीज को ये मुहैया कराया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि इसको लगातार चलाएँ और वहीं से कचरा साफ करते चलें। और पिछले दिनों मुझे जो बताया गया कि जहाँ बड़े अच्छे ढंग से प्रयास होता है, वहाँ तो तीन टन से ग्यारह टन तक प्रतिदिन कचरा निकाला जाता है। तो ये तो बात सही है कि इतनी मात्रा में गंदगी बढ़ने से रुक ही रही है। आने वाले दिनों में और भी स्थानों पर ट्रैस स्कीमर लगाने की योजना है और उसका लाभ गंगा और यमुना तट के लोगों को तुरंत अनुभव भी होगा। इण्डस्ट्रियल प्रदूषण पर नियन्त्रण के लिए पल्प एण्ड पेपर डिस्टिलेरी एवं शुगर इण्डस्ट्री के साथ एक एक्शन प्लान बन गया है। कुछ मात्रा में लागू होना शुरू भी हुआ है। उसके भी अच्छे परिणाम निकलेंगे, ऐसा अभी तो मुझे लग रहा है।

मुझे इस बात की ख़ुशी है कि मुझे

बताया गया कि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश, वहाँ जो डिस्टिलेरी का जो डिस्चार्ज होता था, तो पिछले दिनों कुछ अफसर मुझे बता रहे थे कि जीरो लीक्यूड डिस्चार्ज की ओर उन्होंने सफलता पा ली है। पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्री या ब्लैक लिकॅर की निकासी लगभग पूरी तरह ख़त्म हो रही है। ये सारे इस बात के संकेत हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और एक जागरूकता भी बढ़ी है। और मैंने देखा है कि सिर्फ गंगा के तट के नहीं, दूर-सुदूर दक्षिण का भी कोई व्यक्ति मिलता है, तो जरूर कहता है कि साहब, गंगा सफाई तो होगी न! तो यही एक जो जन-सामान्य की आस्था है, वो गंगा सफाई में जरूर सफलता दिलाएगी। गंगा स्वच्छता के लिये लोग डोनेशन भी दे रहे हैं। एक काफी अच्छे ढंग से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है।

मेरे प्यारे देशवासियो, आज 24 अप्रैल है। भारत में इसे 'पंचायती राज दिवस' के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन पंचायती राज व्यवस्था का हमारे देश में आरम्भ हुआ था और आज धीरे-धीरे पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

14 अप्रैल बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे थे और आज 24 अप्रैल, 'पंचायती राज दिवस' मना रहे हैं। ये ऐसा सुभग संयोग था, जिस महापुरुष ने हमें भारत का संविधान दिया, उस दिन से लेकर के 24 तारीख़, जो कि संविधान की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है, वो हमारा गाँव - दोनों को जोड़ने की प्रेरणा और इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग के साथ 14 अप्रैल से 24 अप्रैल, 10 दिन ग्रामोदय से भारतोदय अभियान चलाया। ये मेरा सौभाग्य था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर जी के जन्मदिन मुझे बाबा साहब आंबेडकर का जन्म स्थान महू, वहाँ जाने का अवसर मिला। उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। आज 24 तारीख़ को मैं झारखण्ड में, जहाँ हमारे अधिकतम आदिवासी भाई-बहन रहते हैं, उस प्रदेश में आज जा करके 'पंचायती राज दिवस' मनाने वाला हूँ और दोपहर को 3 बजे फिर एक बार 'पंचायती राज दिवस' पर मैं देश की सभी पंचायतों से बातचीत करने वाला हूँ। इस अभियान ने एक बहुत बड़ा जागरूकता का काम किया है। हिन्दुस्तान के हर कोने में गाँव के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ कैसे मजबूत बनें? गाँव स्वयं आत्मनिर्भर कैसे बनें? ग्राम स्वयं अपने विकास की योजना कैसे बनाएँ? इंफ्रास्ट्रेक्चर का भी महत्व हो, सोशल इंफ्रास्ट्रेक्चर का भी महत्व हो। गाँव में ड्रोप आउट न हों, बच्चे स्कूल न छोड़ दें, 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' अभियान सफलता पूर्वक चले। बेटी का जन्मदिन गाँव का महोत्सव बनना चाहिये, कई ऐसी योजनायें, कुछ गाँव में तो फूड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ। शायद ही एक साथ हिन्दुस्तान के इतने गाँवों में इतने विविध कार्यक्रम 10 दिन चले हों, ये बहुत कम होता है। मैं, सभी राज्य सरकारों को, ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही मौलिक तरीक़े से नवीनता के साथ, इस पूरे अवसर को गाँव की भलाई के लिये, गाँव के विकास के लिये, लोकतंत्र की मजबूती के लिये, एक अवसर में परिवर्तित किया। गाँवों में जो जागरूकता आयी है, वही तो भारत-उदय की गारंटी है। भारत-उदय का आधार ग्राम-उदय ही है और इसलिए ग्राम-उदय पर हम सब बल देते रहेंगे, तो इच्छित परिणाम प्राप्त करके ही रहेंगे।

मुम्बई से शर्मिला धारपुरे, आपने मुझे फोन कॉल पर अपनी चिंता जतायी है–

"प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं, शर्मिला धारपुरे बोल रही हूँ, मुम्बई से। मेरा आपसे, स्कूल और कॉलेज एज्यूकेशन के बारे में सवाल है। जैसे एज्यूकेशन सेक्टर में पिछले बहुत वर्षों से सुधार की जरुरत पाई गयी है। पर्याप्त स्कूलों का या कालेजेज का न होना या फिर शिक्षा में एज्यूकेशन की क्वालिटी न होना। ऐसा पाया गया है कि बच्चे अपना एज्यूकेशन पूरा भी कर लेते हैं, उन्हें फिर भी अक्सर बेसिक चीजों के बारे में पता नहीं होता है। उससे हमारे बच्चे दुनिया की दौड़ में पीछे पड़ जाते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं और आप इस सेक्टर को किस तरह से इसमें सुधार लाना चाहते हैं? इसके बारे में कृपया हमें बताइए। धन्यवाद!"

ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। आज हर परिवार में माँ-बाप का अगर पहला कोई सपना रहता है, तो वो रहता है बच्चों की अच्छी शिक्षा। घर-गाड़ी, सब बाद में विचार आता है और भारत जैसे देश के लिए जन-मन की ये भावना है, वो बहुत बड़ी ताकत है। बच्चों को पढ़ाना और अच्छा पढ़ाना। अच्छी शिक्षा मिले, उसकी चिंता होना - ये और अधिक बढ़ना चाहिये, और अधिक जागरूकता आनी चाहिए। और मैं मानता हूँ, जिन परिवारों में ये जागरूकता होती है, उसका असर स्कूलों पर भी आता है, शिक्षकों पर भी आता है और बच्चा भी जागरूक होता जाता है कि मैं स्कूल में इस काम के लिए जा रहा हूँ। और इसलिये, मैं, सभी अभिभावकों से, माँ-बाप से सबसे पहले यह आग्रह करूँगा कि बच्चे के साथ, स्कूल की हो रही गतिविधियों से विस्तार से समय देकर के बातें करें। और कुछ बात ध्यान में आए, तो खुद स्कूल में जा करके शिक्षकों से बात करें। ये जो विजिलेंस है, ये भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में कई बुराइयों को कम कर सकता है और जन भागीदारी से तो ये होना ही होना है। हमारे देश में सभी सरकारों ने शिक्षा पर बल दिया है और हर कोई सरकार ने अपने-अपने तरीके से प्रयास भी किया है। और ये भी सच्चाई है कि काफी अरसे तक हम लोगों का ध्यान

इसी बात पर रहा कि शिक्षा संस्थान खड़े हों, शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, स्कूल बनें, कालेजेज बनें, टीचर्स की भर्ती हो, अधिकतम बच्चे स्कूल आएँ। तो, एक प्रकार से, शिक्षा को चारों तरफ फैलाने का प्रयास, ये प्राथमिकता रही और जरूरी भी था, लेकिन अब जितना महत्व विस्तार का है, उससे भी ज्यादा महत्व हमारी शिक्षा में सुधार का है। विस्तार का एक बहुत बड़ा काम हम कर चुके हैं। अब हमें, क्वालिटी एज्यूकेशन पर फोकस करना ही होगा। साक्षरता अभियान से अब अच्छी शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता बनानी पड़ेगी। अब तक हिसाब-किताब आउटले का होता था, अब हमें आउटकम पर ही फोकस करना पड़ेगा। अब तक स्कूल में कितने आये, उस पर बल था, अब स्कूलिंग से ज्यादा लर्निंग की ओर हमें बल देना होगा। इनरोलमेंट, इनरोलमेंट, इनरोलमेंट – ये मंत्र लगातार गूँजता रहा, लेकिन अब, जो बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं, उनको अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षा, इसी पर हमने ध्यान केन्द्रित करना होगा। वर्तमान सरकार का बजट भी आपने देखा होगा। अच्छी शिक्षा पर बल देने का प्रयास हो रहा है। ये बात सही है कि बहुत बड़ी लम्बी सफर काटनी है। लेकिन अगर हम सवा-सौ करोड़ देशवासी तय करें, तो, लम्बी सफर भी कट सकती है। लेकिन शर्मिला जी की बात सही है कि हम में आमूलचूल सुधार लाने की जरूरत है।

इस बार बजट में आपने देखा होगा कि लीक से हटकर के काम किया गया है। बजट के अन्दर, दस सरकारी यूनिवर्सिटी और दस प्राइवेट यूनिवर्सिटी- उनको सरकारी बंधनों से मुक्ति देने का और चैलेन्ज रुट पर उनको आने के लिए कहा है कि आइये, आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बनने के लिए क्या करना चाहते हैं, बताइये। उनको खुली छूट देने के इरादे से ये योजना रखी गयी है। भारत की यूनिवर्सिटीज भी वैश्विक स्पर्धा करने वाली यूनिवर्सिटी बन सकती हैं, बनानी भी चाहिए। इसके साथ-साथ जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही महत्व स्किल का है, उसी प्रकार से शिक्षा में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। लोंग डिस्टेन्स एज्यूकेशन, टेक्नोलॉजी- ये हमारी शिक्षा को सरल भी बनाएगी और ये बहुत ही निकट भविष्य में इसके परिणाम नजर आएँगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बड़े लम्बे समय से एक विषय पर लोग मुझे पूछते रहते हैं, कुछ लोग वेब पोर्टल mygov. पर लिखते हैं, कुछ लोग मुझे नरेन्द्रमोदीऐप पर लिखते हैं, और ज्यादातर ये नौजवान लिखते हैं।

“प्रधानमंत्री जी नमस्कार! मैं मोना कर्णवाल बोल रही हूँ, बिजनौर से। आज के जमाने में युवाओं के लिए पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत महत्त्व है। उनमें टीम स्प्रिट की भावना भी होनी चाहिए और अच्छे leader होने के गुण भी होने चाहिए, जिससे कि उनका ओवरआल होलिस्टिक डेवलॅपमेंट हो। ये मैं अपने एक्सपेरिएंस से कह रही हूँ, क्योंकि, मैं, खुद भी भारत स्काउट एण्ड गाइड में रह चुकी हूँ और इसका मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मोटिवेट करें। मैं चाहती हूँ कि सरकार भी ज्यादा से ज्यादा एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट एण्ड गाइड्स को प्रमोट करे।”

आप लोग मुझे इतने सुझाव भेजते रहते थे, तो एक दिन मुझे भी लगा कि मैं आप लोगों से बात करूँ कि इससे पहले मैं इन सबसे बातचीत करूँ। तो आप ही लोगों का दबाव था, आप ही लोगों के सुझाव थे, उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने ऐसी एक अभी मीटिंग बुलायी, जिसमें एनसीसी के मुखिया थे, एनएसएस के थे, स्काउट एण्ड गाइड के थे, रेड क्रॉस के थे, नेहरू युवा केंद्र के थे। और जब मैंने उनको पूछा कि पहले कब मिले थे, तो उन्होंने कहा, नहीं-नहीं भाई, हम तो देश आजाद होने के बाद इस प्रकार की मीटिंग ये पहली हुई है। तो मैं सबसे पहले तो उन युवा-मित्रों का अभिनन्दन करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर दबाव डाला इन सारे कामों के संबंध में। और उसी का परिणाम है कि मैंने मीटिंग की और मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैं मिला। बहुत को-ऑर्डिनेट की आवश्यकता लगी मुझे। अपने-अपने तरीके से बहुत-कुछ हो रहा है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से, संगठित रूप से हमारे भिन्न-भिन्न प्रकार के संगठन काम करें, तो कितना बड़ा परिणाम दे सकते हैं। और कितना बड़ा फैलाव है उनका, कितने परिवारों तक ये पहुँचे हुए हैं। तो मुझे इनका व्यवहार देखकर के तो बड़ा ही समाधान हुआ। और उनका उमंग भी बहुत था, कुछ-न-कुछ करना था। और ये तो बात सही है कि मैं तो स्वयं ही एनसीसी का केडेट रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि ऐसे संगठनों से एक नई दृष्टि मिलती है, प्रेरणा मिलती है, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण पनपता है। तो मुझे तो बचपन में वो लाभ मिला ही मिला है और मैं भी मानता हूँ कि इन संगठनों में एक नया प्राण भरना चाहिए, नई ताकत भरनी चाहिए। इस बार अब मैंने उनके सामने कुछ विषय रखे हैं। मैंने उनको कहा है कि भाई, इस सीजन में जल-संचय का बड़ा काम हमारे युवा, सारे संगठन क्यों न करें। हम लोग प्रयास करके कितने ब्लॉक, कितने जिले, खुले में शौच जाना बंद करवा सकते हैं। ओपन डिफेक्शन फ्री कैसे कर सकते हैं? देश को जोड़ने के लिए ऐसे कौन से कार्यक्रमों की रचना कर सकते हैं, हम सभी संगठनों के कॉमन युवा-गीत क्या हो सकता है? कई बातें उनके साथ हुई हैं।

मैं आज आपसे भी आग्रह करता हूँ, आप भी मुझे बताइए, बहुत सटीक सुझाव बताइए कि हमारे अनेक-अनेक युवा संगठन चलते हैं। उनकी कार्यशैली, कार्यक्रम में क्या नई चीजें जोड़ सकते हैं? मेरे नरेंद्रमोदीऐप पर आप लिखोगे, तो मैं उचित जगह पर पहुँचा दूँगा और मैं

मानता हूँ कि इस मीटिंग के बाद काफी कुछ उन में गति आएगी, ऐसा तो मुझे लग रहा है और आपको भी उसके साथ जुड़ने का मन करेगा, ऐसी स्थिति तो बन ही जाएगी।

मेरे प्यारे देशवासियो, आज हम सब को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात मुझे करनी है। मैं इसे हम लोगों को झकझोरने वाली बात के रूप में भी देखता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे देश की राजनैतिक अवस्था ऐसी है कि पिछले कई चुनावों में इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि कौन पार्टी कितने गैस के सिलेंडर देगी? 12 सिलेंडर कि 9 सिलेंडर? ये चुनाव का बड़ा मुद्दा हुआ करता था। और हर राजनैतिक दल को लगता था कि मध्यम वर्गीय समाज को चुनाव की दृष्टि से पहुँचना है, तो गैस सिलेंडर एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरी तरफ, अर्थशास्त्रियों का दबाव रहता था कि सब्सिडी कम करो और उसके कारण कई कमेटियाँ बैठती थीं, जिसमें गैस की सब्सिडी कम करने पर बहुत बड़े प्रस्ताव आते थे, सुझाव आते थे। इन कमेटियों के पीछे करोड़ों रुपए के खर्च होते थे। लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती थी। यह अनुभव सबका है। लेकिन इसके बाहर कभी सोचा नहीं गया। आज मेरे देशवासियो, आप सब को मेरा हिसाब देते हुए मुझे आनंद होता है कि मैंने तीसरा रास्ता चुना और वो रास्ता था जनता-जनार्दन पर भरोसा करने का। कभी-कभी हम राजनेताओं को भी अपने से ज्यादा अपनों पर भरोसा करना चाहिये। मैंने जनता-जनार्दन पर भरोसा करके ऐसे ही बातों-बातों में कहा था कि अगर आप साल भर के पंद्रह सौ, दो हजार रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं, तो आप ही सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते, किसी ग़रीब के काम आएगी। ऐसे ही मैंने बात कही थी, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, मुझे नाज हो रहा है मेरे देशवासियों पर।

एक-करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी। और ये एक करोड़ परिवार अमीर नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ, कोई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड क्लर्क, कोई किसान, कोई छोटा-सा दुकान चलाने वाला – ऐसे निम्न मध्यम-वर्ग के परिवार हैं, जिन्होंने छोड़ा। दूसरी विशेषता देखिए कि सब्सिडी छोड़ने के लिए मोबाइल फोन की ऐप से कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते थे, टेलीफोन पर मिस्ड काल करके कर सकते थे, बहुत तरीके थे। लेकिन, हिसाब लगाया गया तो पता चला कि इन एक-करोड़ परिवारों में 80 परसेंट से ज्यादा लोग वो थे, जो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ खुद गए, कतार में खड़े रहे और लिखित में देकर के उन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी।

एक-करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस-सब्सिडी सरेंडर कर दी। और ये एक करोड़ परिवार अमीर नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ, कोई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड क्लर्क, कोई किसान, कोई छोटा-सा दुकान चलाने वाला – ऐसे मध्यम-वर्ग, निम्न मध्यम-वर्ग के परिवार हैं जिन्होंने छोड़ा। दूसरी विशेषता देखिए कि सब्सिडी छोड़ने के लिए मोबाइल फोन की ऐप से कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते थे, टेलीफोन पर मिस्ड काल करके कर सकते थे, बहुत तरीके थे। लेकिन, हिसाब लगाया गया तो पता चला कि इन एक-करोड़ परिवारों में 80 परसेंट से ज्यादा लोग वो थे, जो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ खुद गए, कतार में खड़े रहे और लिखित में देकर के उन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी।

मेरे प्यारे देशवासियो, ये छोटी बात नहीं है। सरकार अगर कोई एक जगह में थोड़ी-सी भी रियायत दे दे, छूट दे दे, तो हफ्ते भर टी.वी. और अखबारों में उस सरकार की वाह-वाही सुनाई देती है। एक-करोड़ परिवारों ने सब्सिडी छोड़ दी और हमारे देश में सब्सिडी एक प्रकार से हक़ बन गया है, उसे छोड़ दिया। मैं सबसे पहले उन एक-करोड़ परिवारों को शत-शत नमन करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ। क्योंकि उन्होंने राजनेताओं को नये तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस एक घटना ने देश के अर्थशास्त्रियों को भी नये तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और दुनिया के अर्थवेत्ता भी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा निकलेगा, इस प्रकार जो आर्थिक समीकरण बनाते हैं, उनके लिये भी उनकी सोच की मर्यादाओं से बाहर की ये घटना है। इस पर कभी-न-कभी सोचना पड़ेगा। एक-करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ना, बदले में करोड़ों ग़रीब परिवारों को गैस सिलेंडर मिलना, एक करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ने से रुपयों की बचत होना, ये बाहरी दृष्टि से बहुत सामान्य बातें हैं। असामान्य बात ये है कि जनता पर

भरोसा रखकर के काम करें, तो कितनी बड़ी सिद्धि मिलती है। मैं ख़ासकर के पूरे पॉलिटिकल क्लॉस को आज आग्रह से कहना चाहूँगा कि हम हर जगह पर जनता पर भरोसा रखने वाली एक बात जरूर करें। आपने कभी सोचा नहीं होगा, वैसा परिणाम हमें मिलेगा, और हमें इस दिशा में जाना चाहिए, और मुझे तो लगातार लगता है कि जैसे मेरे मन में आया कि ये वर्ग 3 और 4 के इन्टरव्यू क्यों करें भई, जो अपना एग्जाम देकर के मार्क्स् भेज रहा है, उस पर भरोसा करें, कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हम कभी घोषित करें कि आज रेलवे की वो जो रूट है, उसमें कोई टिकट चेकर नहीं रहेगा, देखिये तो, देश की जनता पर हम भरोसा करें, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, एक बार देश की जनता पर हम भरोसा करें, तो अप्रतिम परिणाम मिल सकते हैं, खैर, ये तो मेरे मन के विचार हैं, इसको कोई सरकार का नियम तो नहीं बना सकते, लेकिन माहौल तो बना सकते हैं, और ये माहौल कोई राजनेता नहीं बना रहा है। देश के एक करोड़ परिवारों ने बना दिया है।

रवि करके किसी सज्जन ने मुझे पत्र लिखा है– ''गुड न्यूज ऐवरी डे'' वो लिख रहे हैं कि कृपया अपने अधिकारियों से कहिए कि हर दिन कोई एक अच्छी घटना के बारे में पोस्ट करें, प्रत्येक न्यूजपेपर और न्यूज चैनल में हर ब्रेकिंग न्यूज, बुरी न्यूज ही होती है, क्या सवा-सौ करोड़ आबादी वाले देश में हमारे आस-पास कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? कृपया इस हालत को बदलिए, रवि जी ने बड़ा गुस्सा व्यक्त किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद वो मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हालात पर गुस्सा कर रहे हैं, आप को याद होगा, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हमेशा ये बात कहते थे कि अख़बार के पहले पन्ने पर सिर्फ पॉजिटिव ख़बरें छापिए, वे लगातार इस बात को कहते रहते थे, कुछ दिन पहले मुझे एक अख़बार ने चिट्ठी भी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि हमने तय किया है कि सोमवार को हम एक भी नेगॅटिव ख़बर नहीं देंगे, पॉजिटिव ख़बर ही देंगे, इन दिनों मैंने देखा है, कुछ टी. वी. चैनेल पॉजिटिव ख़बरों का समय स्पेशिएली तय करके दे रहे हैं, तो ये तो सही है कि इन दिनों अब माहौल बना है पॉजिटिव ख़बरों का, और हर किसी को लग रहा है कि सही ख़बरें, अच्छी ख़बरें लोगों को मिलती रहें, एक बात सही है कि बड़े-से-बड़ा व्यक्ति भी उत्तम-से-उत्तम बात बताए, अच्छे-से-अच्छे शब्दों में बताए, बढ़िया-से-बढ़िया तरीके से बताए, उसका जितना प्रभाव होता है, उससे ज्यादा कोई अच्छी ख़बर का होता है। अच्छी ख़बर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती है, तो ये तो सही है कि जितना हम अच्छाई को बल देंगे, तो अपने आप में बुराइयों के लिए जगह कम रहेगी, अगर दिया जलायेंगे, तो अंधेरा छंटेगा ही और इसलिए आप को शायद मालूम होगा, सरकार की तरफ से एक वेबसाइट चलाई जा रही है 'ट्रान्स्फॉर्मिंग इण्डिया' इस पर सकारात्मक ख़बरें होती हैं, और सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भी होती हैं और ये एक ऐसा पोर्टल है कि आप भी अपनी कोई अच्छी ख़बर है, तो उसमें आप भेज सकते हैं, आप भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा सुझाव रवि जी आपने दिया है, लेकिन कृपा करके मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, हम सब मिल करके पॉजिटिव करने का प्रयास करें, पॉजिटिव बोलने का प्रयास करें, पॉजिटिव पहुँचाने का प्रयास करें।

हमारे देश की विशेषता है – कुंभ मेला, कुंभ मेला ट्यूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र बन सकता है, दुनिया के बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि इतने लंबे समय तक नदी के तट पर करोड़ों-करोड़ों लोग आए, शांतचित्त शांतिपूर्ण वातावरण में अवसर संपन्न हो, ये घटनायें अपने आप में संगठन की दृष्टि से, इवेन्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से, जन भागीदारी की दृष्टि से बहुत बड़े नए मानक सिद्ध करने वाली होती हैं, पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग 'सिंहस्थ कुंभ' की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि भारत सरकार का ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट, राज्य सरकार का ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी कम्पटीशन करे 'फोटो कम्पटीशन'. और लोगों को कहे कि बढ़िया से बढ़िया फोटो निकाल करके आप अपलोड कीजिए, कैसा एक दम से माहौल बन जायेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि कुंभ मेले के हर कोने में कितनी विविधताओं से भरी हुई चीजें चल रही हैं। तो जरूर इसको किया जा सकता है। देखिये, ये बात सही है। मुझे बीच में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिले थे, वो बता रहे थे कि हमने स्वच्छता पर विशेष बल दिया है और स्वच्छता वहीं रहे, ऐसा नहीं, वहाँ से लोग स्वच्छता का संदेश भी ले के जाएँ, मैं मानता हूँ, ये 'कुंभ मेला' भले धार्मिक-आध्यात्मिक मेला हो, लेकिन हम उसको एक सामाजिक अवसर भी बना सकते हैं। संस्कार का अवसर भी बना सकते हैं। वहाँ से अच्छे संकल्प, अच्छी आदतें लेकर के गाँव-गाँव पहुँचाने का एक कारण भी बन सकता है, हम कुंभ मेले से पानी के प्रति प्यार कैसे बढ़े, जल के प्रति आस्था कैसे बढ़े, जल-संचय का संदेश देने में कैसे इस 'कुंभ मेले' का भी उपयोग कर सकते हैं, हमें करना चाहिए।

मेरे प्यारे देशवासियो, पंचायत-राज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर, शाम को तो मैं आपको फिर से एक बार मिलूँगा ही मिलूँगा, आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद! और हर-हमेशा की तरह आपके मन की बात ने मेरे मन की बात के साथ एक अटूट नाता जोड़ा है, इसका मुझे आनंद है, फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद! ■

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर–जीवन चरित

■ धनंजय कीर

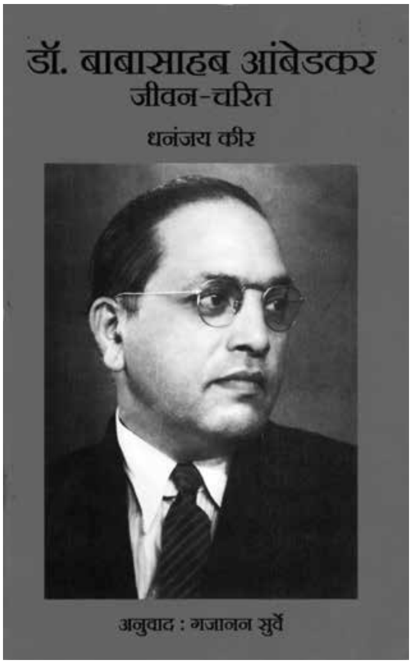

सन् 1940 के अंत में अम्बेडकर का प्रमुख ग्रंथ 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' (पाकिस्तान संबंधी विचार) प्रकाशित हुआ। भारत की मनः स्थिति बहुत बावली और संकटग्रस्त हुई थी और उस तपे वातावरण में इस ग्रंथ ने एकदम बड़ा विस्फोट किया। भारत के एक महान विद्याभ्यासी, महान संविधान पंडित और राजनीति में रमें हुए एक कूटनीतिज्ञ ऐसे प्रथम श्रेणी के विचारक के भारत के प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों के बारे में दीर्घ चिंतन के उपरान्त बाहर निकले हुए विचार उसमें व्यक्त हुए थे। भारत के हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो टुकड़े करो और हिंदुओं के उत्कर्ष का, शांति का और उद्धार का मार्ग खोला; यह भी उस ग्रंथ की रट। ग्रंथ हिंदुओं को ही परिलक्षित कर लिखा गया था।

यह मिथ्या वाद-विवाद किए बिना स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुसलमान एक राष्ट्र है, यह कह कर ग्रंथ आगे कहता है, पाकिस्तान का जन्म हुआ तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमें सुरक्षित सरहद नहीं रहेगी, यह शंका रखकर हिंदू कदापि न घबराएँ। क्योंकि भौगोलिक कारण आधुनिक विश्व में और आधुनिक यांत्रिक युग में निर्णायक नहीं बनते। पाकिस्तान की तुलना में हिन्दुस्तान में विपुल साधन हैं इसलिए पाकिस्तान की निर्मित हिंदुस्तान को कमजोर बना देगी, ऐसा नहीं लगता। ग्रंथ हिंदुओं के मन पर यह बात प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है कि जिनकी भारत-निष्ठा संशयास्पद है वे मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर दुश्मनी करने की अपेक्षा हिंदुस्तान से बाहर रहकर दुश्मनी करते रहे, तो भी चलेगा। मुसलमानों के वर्चस्व से रहित फौज पास में रखना, सुरक्षित सरहद की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है।

पाकिस्तान के जहर पर भी यह ग्रंथ उपाय सुझाता है। आपस के खानाजंगी युद्ध नष्ट करने के लिए जिस तरह तुर्किस्तान ग्रीस और बल्गारिया देशों के अदला-बदली विधर्मी लोगों की अदला-बदली की गई, वैसे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की और संकल्पित पाकिस्तान से हिंदुओं की अदला-बदली की जाए। शांति प्रस्थापित करने के लिए और एक संघ-राष्ट्र का निर्माण होने के लिए यह एक रामबाण उपाय है।

किन्तु मानवेंद्र रॉय के 'हिस्टॉरिकल रोल ऑफ इस्लाम' ग्रंथ की भाँति इस्लामी मन और संस्कृति का गुणगान न करते हुए अम्बेडकर ने उनकी प्रतिगामी प्रवृत्ति पर काफी प्रकाश डाला है। अम्बेडकर के ग्रंथ का मत यह है कि, मुसलमानों के दिल पर लोकतंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। मुसलमानों को अगर किसी विषय के बारे में प्रबल आस्था लगती है, तो वह धर्म के बारे में; उनकी राजनीति मुख्यतः धर्मनिष्ठ होती है। मुस्लिम समाज सुधार का विरोधी है और सारे विश्व में वह प्रतिगामी वृत्ति से ही बर्ताव करता है। यह ग्रंथ आगे कहता है कि, मुसलमानों को इस्लाम धर्म विश्वधर्म लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वह धर्म सारी मनुष्य जाति को सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में उपयुक्त है। लेकिन इस्लाम का बंधुत्व सर्वव्यापक नहीं। सार्वत्रिक नहीं। वह बंधुत्व मुस्लिम समाज के अनुयायियों तक ही मर्यादित होता है। मुसलमानेतरों के संबंध में उसमें तिरस्कार और शत्रुत्व ही होता है। मुसलमानों की राष्ट्रनिष्ठा जहाँ मुसलमान राज्य करते हैं, उन देशों के साथ ही होती है। जिस देश पर मुसलमान राज्य नहीं करते हैं, वह उनकी शत्रुभूमि। इसलिए इस्लाम धर्म सच्चे मुसलमान को हिंदुस्तान मातृभूमि है और हिंदू अपना इष्ट मित्र है, इस तरह के विचार उसके मन को भी स्पर्श नहीं करने देगा यह इस ग्रंथ का कहना है। आक्रामक वृत्ति मुसलमानों को प्राप्त हुई प्राकृतिक देन है। वे हिंदुओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर तानाशाही का अवलंबन करते हैं।

मुसलमानों की प्रतिगामी प्रवृत्ति का वर्णन करने वाला कुछ तीखा और चुभने वाला हिस्सा मित्रों के आग्रह के खातिर अम्बेडकर ने निकाल दिया अन्यथा विख्यात अंग्रेज ग्रंथकार एच.जी. वेल्स

को मुसलमानों के बारे में जो अनुभव प्राप्त हुआ, वैसा ही अम्बेडकर को प्राप्त हो गया होता।

अम्बेडकर का ग्रंथ हिंदुओं को बताता है कि मुसलमानों को अब एक नयी जिंदगी की जाग आ गई है। अपना स्वतंत्र राष्ट्र प्रस्थापित करने का ही उन्होंने फैसला किया है। अब तक वे अपने को एक अल्पसंख्यक जमात मानते थे, किन्तु उन्हें अपनी भवितव्यता मालूम हो गई है। जिस मुसलमान को इस नई भवितव्यता का मोहक सौदर्य नहीं दिखेगा, वह मूर्ख ही होगा। पाकिस्तान उनकी नई भवितव्यता, नए दृश्य, पूरे प्रकाश से प्रज्वलित उनकी भावुकता का सूरज है।

पाकिस्तान का तात्त्विक और गंभीर समर्थन कर मुसलमानों के लिए उनकी विशाल और उज्जवल भवितव्यता का स्पष्ट वर्णन करके और हिन्दुओं के सम्मुख वाद-विवाद निर्माण कर ग्रंथ हिंदुओं को निर्मलता से बताता है कि, 'जिसके लिए लड़ा जाए ऐसा अखंड भारत, यह ध्येय है क्या? सख्ती कोई उपाय नहीं। अगर आपने पाकिस्तान को स्वीकृति दी तो उसकी वजह से एक-दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और गुलामी में गिरने के डर से आप मुक्त होंगे। आप ग्रीक, तुर्किस्तान और अन्य देशों के इतिहास के सूक्ष्म अध्ययन से कुछ लाभान्वित होकर भारत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्से करें। भरे सागर में जहाज डूब न जाए इसलिए जरूरत से ज्यादा माल को फेंक दिया जाना चाहिए। इसका ख्याल रखना चाहिए कि जहाज का पानी के ऊपर का भाग तली पर न जाए। प्रबल केंद्रीय सरकार चाहिए तो भारत के टुकड़े कीजिए; अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। जबरदस्ती निर्माण की गई एकता उन्नति के लिए रुकावट डालेगी। भारत की स्वतंत्रता की सभी आशाएँ व्यर्थ जायेंगी। अगर कोई यह आग्रह करेगा कि भारत अखंड रहे, तो उसको पूरी निराशा ही मिलेगी। अखंड हिन्दुस्तान कभी भी एक संघ नहीं होगा। तीसरा पक्ष जो ब्रिटिश सत्ता है वह यह समस्या हल नहीं कर सकेगी। द्वैत मत का जहर फिर से उमड़ आएगा। भारत एक रक्तक्षयी रोगकारी राज्य होगा। जीते जी ही मृतवत् पड़ा रहेगा और भारत यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजित होगा, तो जो दृश्य दिखाई देगा उससे तुलना करें। विभाजन की वजह से हर एक को अपनी भविष्यव्यता प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार उपनिवेशी स्वराज्य या संपूर्ण स्वातंत्र्य-इनमें से कुछ भी प्राप्त करने के लिए जो मार्ग स्वीकार करना हो, वह खुला रहेगा।'

अम्बेडकर का ग्रंथ हिंदुओं को बताता है कि मुसलमानों को अब एक नयी जिंदगी की जाग आ गई है। अपना स्वतंत्र राष्ट्र प्रस्थापित करने का ही उन्होंने फैसला किया है। अब तक वे अपने को एक अल्पसंख्यक जमात मानते थे, किन्तु उन्हें अपनी भविष्यव्यता मालूम हो गई है। जिस मुसलमान को इस नई भविष्यव्यता का मोहक सौदर्य नहीं दिखेगा, वह मूर्ख ही होगा। पाकिस्तान उनकी नई भविष्यव्यता, नए दृश्य, पूरे प्रकाश से प्रज्वलित उनकी भावुकता का सूरज है।

इस ग्रंथ के प्रकाशन के बाद ग्रंथकार अम्बेडकर ने राजगोपालाचारी का वर्णन अपने 'गांधी और अस्पृश्यों का उद्धार' (मिस्टर गांधी एण्ड दि इमेन्सिपेशन ऑफ दि अनटचेबल्स) ग्रंथ में कैसे किया है, देखिए। वे कहते है, 'राजगोपालाचारी के राजनीतिक महत् कार्य इतने ताजा है कि उन्हें भूलना असंभव हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग के सैनिक के रूप में अपना नाम दर्ज कराया और अपने स्नेही मित्रों के खिलाफ युद्ध जाहिर किया और वह किसलिए? उन्होंने मुसलमानों की योग्य मांगे अस्वीकार की इसलिए नहीं, मुसलमानों की बेशुमार पाकिस्तान की मांग अस्वीकार की इसलिए।

यहाँ एक बात याद आ जाती है- साइमन कमीशन को देशभक्ति और बुद्धिवाद का आवाहन करने वाली जो भिन्न मतपत्रिका अम्बेडकर ने प्रस्तुत की थी, उससे उनकी सभी देशों में वाहवाह हुई थी। उसमें उन्होंने मुसलमानों के अलग मतदाता संघ की मांग पर हमला किया था। उस पर विदारक प्रकाश डाला था। परंतु अब वे ही अम्बेडकर मुसलमानों के पाकिस्तान का समर्थन कर उसका समर्थन करें, यही अचरज की बात है। जीवन सुसंगत नहीं होता, यही सच है। महामानव भी मानव ही होते है ना तथापि डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं ही इस संबंध में यह निर्णय दिया है कि, 'सुसंगति के नाम पर पहले व्यक्त किए गए विधान से विचारक व्यक्ति कभी भी चिपका नहीं रहता। पुनर्विचार करने का और तदनुसार मतांतर करने का साहस भी जिम्मेदार व्यक्ति में होना अवश्यंभावी है।' नि:स्वार्थ बुद्धि से और देशहित बुद्धि से कार्य करने वाले विचारकों की जिंदगी में जब ऐसे प्रसंग आते हैं, तब वे इसी तरह बर्ताव करते हैं।

सच कहा जाए तो अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ में भारत के रोग का निदान पूरी तरह से वैद्य के विकारविहीन मन से

किया। तथापि, अति ओजस्वी व्यक्तिमत्त्व के व्यक्ति का ग्रंथ नि:पक्षपाती न होना संभव है। ग्रंथ में समाहित विषय का विवेचन स्पष्टोक्ति, अधिकारवाणी, विद्वत्ता, धीरज और सौंदर्य से तेजोपुंज है। 'पाकिस्तान संबंधी विचार' नामक ग्रंथ में विद्वत्ता, और विचार एक दूसरे के साथ समरस हो गए हैं। उनके उच्च स्तर का आविष्कार यहां देखने को मिलता है। उसका जादू मति मोहित कर डालने वाला है। उसकी रचना चक्रव्यूह जैसी है। भाषा-शैली साफ-सुथरी है और विवेचन पद्धति स्फोटक है। शास्त्रोक्त पद्धति से किसी विषय का प्रसार कैसे किया जाए, इसका यह ग्रंथ एक आदर्श है।

राजनीतिक विचारकों में से एडमंड बर्क अम्बेडकर का सबसे प्रिय विचारक था। उसके तत्त्वज्ञान की प्रतिध्वनि अम्बेडकर की वाणी और कलम में दिखाई देती है। अमरीका में उपनिवेश का विद्रोह पुकारा गया, तब बर्क ने 'विद्यमान असंतोष की कारणमीमांसा' (थॉट्स ऑन दि कॉज ऑफ दि प्रेज़ेंट डिसकंटेन्टस्) ग्रंथ लिखा। इंग्लैंड से सैकड़ों मील दूर स्थित उपनिवेशों का बर्क ने जोरदार पक्ष लिया और उसका समर्थन किया। अम्बेडकर ने अस्तित्त्व में स्थित हुए एक देश के दो टुकड़े करने के लिए कहा। फ्रेंच राज्यक्रांति पर विचार' (रिप्लेक्शन्स ऑन दि रिवोल्यूशन इन फ्रांस) नामक अपने ग्रंथ में बर्क द्वारा फ्रेंच राज्यक्रांति पर निंदा की वर्षा और हमला करने में उसके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई। भावी इतिहासकार अम्बेडकर के 'पाकिस्तान संबंधी विचार' ग्रंथ के बारे में भी वैसा ही अभिप्राय देंगे। अम्बेडकर ने राजाजी के पाकिस्तान प्रचारक की भूमिका के बारे में जो अभिप्राय व्यक्त किया है, वही अभिप्राय भावी इतिहासकार 'पाकिस्तान संबंधी विचार' ग्रंथ के ग्रंथकर्ता को प्रदान करेंगे-ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं।

इस ग्रंथ का बड़ा भयंकर असर हुआ। इस ग्रंथ ने अनेक हिंदू नेताओं के विचारतंतु छिन्न-विछिन्न कर दिए। भारतीय राजनीति में इस ग्रंथ द्वारा अपने ध्येय का समर्थन किये जाने से मुसलमानों का हर्ष काफी बढ़ गया। 'हम स्वीकारते नहीं, और धिक्कारते नहीं', इस निद्य तत्त्वज्ञान में रमें हुए कांग्रेसी नेता एक दूसरे की ओर देखकर आँखें मिचकाने लगे। राजगोपालाचारी का पाकिस्तान प्रचार के लिए संचार जोर से शुरू हुआ। हिंदू महासभा के जो नेता राष्ट्रीय और बुद्धिवादी विचार-प्रणाली की वजह से पाकिस्तान योजना के कट्टर दुश्मन बने हुए थे, उनमें से कुछ नेताओं के मन में यह ग्रंथ पढ़कर हलचल पैदा हुई। तथापि उनके नेता वीर सावरकर ने हिंदुस्तान के अखंडत्व के लिए अपना सर्वस्व बाजी पर लग दिया और बड़े धीरज के साथ पाकिस्तान की योजना की खबर संकट से पलायन कर आक्रामक की शरण में जाना न कूटनीतिज्ञता है, न शूरता। आक्रामक लोग कभी भी न संतुष्ट होते हैं, न शांत। यदि पाकिस्तान अस्तित्त्व में आया तो हिंदुओं के इस खुले दुश्मन के हाथ और मजबूत होंगे और उनकी टोलियाँ भारत पर हमला करेंगी। अगर पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो भारत की शांति, सुरक्षा, स्वतंत्रता और उन्नति को बड़ा ही धोखा निर्माण होगा-ऐसा वीर सावरकर ने देश को धोखे का इशारा दिया। अब यह भी कारुणिक सत्य है कि, अम्बेडकर के प्रबंध का खंडन उतनी ही शक्ति, विद्वत्ता, धीरज और तेजस्विता से करने के लिए प्रथम श्रेणी का हिंदू नेता आगे नहीं आया। दो महाराष्ट्रीय समाचारपत्र पंडितों ने अम्बेडकर को उत्तर देने का प्रयत्न किया। लेकिन ग्रंथ एक तो मराठी में थे और दूसरे यह कि वे 'पाकिस्तान संबंधी विचार' ग्रंथ पर ही लिखे गये भाष्य थे। इस विषय पर विद्वत्ता प्रचुर ऐसा ग्रंथ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा। परंतु उसका तेज चाँद के प्रकाश जैसा था। यह परिस्थिति ध्यान में लेकर डॉ. मुंजे ने साहित्य सम्राट केलकर को अम्बेडकर के प्रबंध का उत्तर देने का अनुरोध किया। परंतु अनेक लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि, केलकर का न्यायप्रिय लेकिन निर्णयात्मकता के अभाव वाला स्वभाव इस काम के लिए

इस ग्रंथ का बड़ा भयंकर असर हुआ। इस ग्रंथ ने अनेक हिंदू नेताओं के विचारतंतु छिन्न-विछिन्न कर दिए। भारतीय राजनीति में इस ग्रंथ द्वारा अपने ध्येय का समर्थन किये जाने से मुसलमानों का हर्ष काफी बढ़ गया। 'हम स्वीकारते नहीं, और धिक्कारते नहीं', इस निद्य तत्त्वज्ञान में रमें हुए कांग्रेसी नेता एक दूसरे की ओर देखकर आँखें मिचकाने लगे। राजगोपालाचारी का पाकिस्तान प्रचार के लिए संचार जोर से शुरू हुआ। हिंदू, हिंदू महासभा के जो नेता राष्ट्रीय और बुद्धिवादी विचार-प्रणाली की वजह से पाकिस्तान योजना के कट्टर दुश्मन बने हुए थे, उनमें से कुछ नेताओं के मन में यह ग्रंथ पढ़कर हलचल पैदा हुई।

उपयुक्त नहीं था। यह दायित्व अखंड हिंदुस्तान के लिए झगड़ने वाली हिंदू महासभा का था। किंतु उस दल ने उस आपातकालीन समय में शोर मचाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया।

अम्बेडकर के स्वतंत्र मजदूर दल का कार्य में व्यस्त रहने के कारण धर्मान्तरण की समस्या पीछे रह गयी। उस समय अम्बेडकर अकेले या प्राय: अपने मित्रों के साथ भायखला बम्बई में मिस ड्रेसर नामक अमरीकी स्त्री के यहाँ जाते थे। वह स्त्री अमरीका के किसी मिशन से संबंधित रही होगी। उसने अपनी संस्था की भारतीय शाखा खोली थी। अम्बेडकर कभी-कभी उसके यहाँ खाना खाते थे। अम्बेडकर के बुद्धिवैभव की ओर आकृष्ट हुई वह स्त्री उनकी बड़ी भक्त थी। जब डॉ. अम्बेडकर कोई नई किताब या लेख प्रकाशित करते थे, तब उसकी एक प्रति वे उस स्त्री को भेज देते थे। अम्बेडकर के मंत्री बनने पर उनकी भेंट में दरार पड़ गई। अम्बेडकर के कार्य के प्रति उस स्त्री को अभिमान और आत्मीयता थी। आगे वह स्त्री अमरीका वापस लौट गई।

संदर्भ

1. Ambedkar, Dr. B.R., Federation Versus Freedom, p. 153.
2. जनता, 8 जुलाई 1939
3. The Times of India, 30 October 1939.
4. Ambedkar, Dr. B.R., Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables.
5. केलकर, य.न., केलकरांचा खासगी पत्रव्यवहार, पृ. 33.

अध्याय–18

धूल के शिखर की ओर

सन् 1941 के पहले तीन महीनों में अम्बेडकर अस्पृश्य वर्गीयों के सेनाभर्ती की समस्या के बारे में सोच-विचार कर रहे थे। उन्हें इस बात पर गुस्सा आया था कि विशेषतया महार जाति के लड़ाकू होने पर भी उन लोगों को सेना में प्रवेश नहीं मिलता था। इस संबंध में उन्होंने बम्बई के राज्यपाल से भेंट करके सरकार की सेनाभर्ती के रुख के बारे में अपनी शिकायत प्रस्तुत की। लड़ाकू और अलड़ाकू जाति- इस तरह का मूर्खतापरक फर्क करके सरकार ने महारों को व्यर्थ ही मना किया है, यह उन्होंने राज्यपाल को ध्यान दिलाया। महारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत अधिक सेवा की है। उन्हें आगे के समय में सेना में प्रवेश नकारा गया, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के समय उन लोगों की पलटन सरकार ने खड़ी की थी। युद्ध की समाप्ति होते ही सरकार ने उन्हें आर्थिक कारण दिखाकर नौकरी से हटा दिया-यह सारी हकीकत उन्होंने राज्यपाल को निवेदित की और राज्यपाल को आस्था के साथ अनुरोध किया कि महारों की एक पलटन दूसरे विश्वयुद्ध में सक्रिय भाग लेने के लिए खड़ी की जाए।

तदनुसार सरकार ने महारों की एक पलटन निर्माण करना तय किया। उस समय अम्बेडकर ने आवाहन किया कि महार अपने देश की सुरक्षा और अपने हित के लिए इस मौके का लाभ उठाकर सेना में प्रवेश करें। थोड़े ही दिनों में एक महार पलटन खड़ी कर दी गयी। महार जाति के अनेक युवकों ने उसमें प्रवेश किया। उनमें से कुछ लोगों की नियुक्ति सेनाभर्ती करने वाले अधिकारियों के पद पर की गयी। उसमें अम्बेडकर के एक नेक सहयोगी ग.म. जाधव तथा मडकेबुवा थे। वे एक कुशल संघटक थे। महारों के सैनिकीकरण के बारे में अम्बेडकर ने जो प्रयास जारी रखे थे, उस संबंध में वीर सावरकर ने अपना यह मत व्यक्त किया कि, मेरा यह

तदनुसार सरकार ने महारों की एक पलटन निर्माण करना तय किया। उस समय अम्बेडकर ने आवाहन किया कि महार अपने देश की सुरक्षा और अपने हित के लिए इस मौके का लाभ उठाकर सेना में प्रवेश करें। थोड़े ही दिनों में एक महार पलटन खड़ी कर दी गयी। महार जाति के अनेक युवकों ने उसमें प्रवेश किया। उनमें से कुछ लोगों की नियुक्ति सेनाभर्ती करने वाले अधिकारियों के पद पर की गयी। उसमें अम्बेडकर के एक नेक सहयोगी ग.म. जाधव तथा मडकेबुवा थे। वे एक कुशल संघटक थे। महारों के सैनिकीकरण के बारे में अम्बेडकर ने जो प्रयास जारी रखे थे, उस संबंध में वीर सावरकर ने अपना यह मत व्यक्त किया कि, मेरा यह विश्वास है कि अम्बेडकर के उचित मार्गदर्शन में महार बंधुओं के लश्करी गुणों को पुनश्च उजाला प्राप्त होकर उनकी लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल सांघिक शक्ति बढ़ाने में होगा। हिन्दुस्तान एक लड़ाकू राष्ट्र बने, इसलिए स्वयं सावरकर प्रयास कर रहे थे।

विश्वास है कि अम्बेडकर के उचित मार्गदर्शन में महार बंधुओं के लश्करी गुणों को पुनश्च उजाला प्राप्त होकर उनकी लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल सांघिक शक्ति बढ़ाने में होगा। हिन्दुस्तान एक लड़ाकू राष्ट्र बने, इसलिए स्वयं सावरकर प्रयास कर रहे थे।

जुलाई 1941 के अन्तिम सप्ताह में महाराज्यपाल ने अपनी कार्यकारिणी समिति में आठ भारतीय प्रतिनिधियों को लेकर उसे अधिक व्यापक और सर्वसमावेशक बना दिया। साथ ही साथ एक सुरक्षा सलाहकार समिति भी नियुक्त की। उस सुरक्षा समिति में जमनादास मेथा, रामराव देशमुख, एम. सी. राजा आदि विख्यात हिन्दी नेताओं और हिन्दी रियासतदारों के साथ अम्बेडकर को चुना गया। तथापि सिख और दलित समाज ने इसलिए नापसंदगी जाहिर की कि, महाराज्यपाल ने उनके प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में नहीं लिये।

अपने दलित समाज पर सरकार ने अन्याय किया इसलिए अम्बेडकर ने अपना विरोध व्यक्त किया। भारतमंत्री अमेरीका को तार भेज कर उन्होंने सूचित किया कि, महाराज्यपाल की कार्यकारिणी समिति में दलित समाज को ऐसा महसूस होता है कि उन पर घोर अन्याय हुआ है और सरकार ने उनसे विश्वासघात किया है। वीर सावरकर ने अम्बेडकर की मांग का समर्थन किया। वीर सावरकर ने महाराज्यपाल को तार द्वारा सूचित किया कि वे अम्बेडकर को अपनी कार्यकारिणी समिति में लें।

हरेगाँव की परिषद् में की गयी मांग पर सरकार ने विचार नहीं किया, इसलिए वहां के कार्यकर्ताओं ने 1941 के अगस्त के मध्य में सिन्नर में एक बहुत बड़ी परिषद् आयोजित की। उस परिषद् में भाषण करते समय अम्बेडकर ने कहा, ‘सरकार को एक निवेदन भेज कर मैंने यह दिखला दिया है कि यद्यपि देशपांडे और देशमुख जैसे वतनदार सरकारी कार्य से विमुक्त हो गये थे, फिर भी वे अपने वतनों का किस तरह उपभोग कर रहे थे। सरकार के इस तरह के हठवादी रुख से महारों को करबंदी जैसे अत्यंत कड़े प्रबंध के लिए विवश होना पड़ेगा, इस तरह का सरकार को इशारा दिया गया। परिषद् ने आदेश दिया कि त्रस्त हुए महार वतनदार सरकार के साथ तब तक असहकारिता का रुख धारण करें, जब तक सरकार उन पर लगाया गया अतिरिक्त कर रद्द नहीं करती।

अपने दलित समाज पर सरकार ने अन्याय किया इसलिए अम्बेडकर ने अपना विरोध व्यक्त किया। भारतमंत्री अमेरीका को तार भेज कर उन्होंने सूचित किया कि, महाराज्यपाल की कार्यकारिणी समिति में दलित समाज को ऐसा महसूस होता है कि उन पर घोर अन्याय हुआ है।

बंबई लौटने पर अम्बेडकर ने राज्यपाल रॉजर लम्ले से भेंट की। आई.ए. इजीकेल नामक एक विख्यात पत्रपटु ने अम्बेडकर का वह सिन्नर का भाषण इत्तेफाक से उनके वाचन में आ गया। उन्होंने रॉजर लम्ले को दोष दिया कि उन्होंने अस्पृश्य वर्ग को व्यर्थ ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। तद्नंतर थोड़े ही दिनों में बंबई सरकार ने ज्यादा कर का वह अन्याय आदेशपत्र खारिज किया। अम्बेडकर का आंदोलन सफल हुआ। दो सप्ताह के बाद अम्बेडकर ने सैन्य भर्ती के प्रचार के लिए अनेक सभाओं में भाषण करते हुए उन्होंने कहा, ‘यद्यपि केंद्रीय सरकार ने अपनी कार्यकारिणी में अस्पृश्य वर्ग का प्रतिनिधि लेने से इनकार किया है। फिर भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार की मदद नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपनी विवेकबुद्धि छोड़ दी है और उस बात के सापेक्ष मूल्य को भी छोड़ दिया है। वे लोग यह ध्यान में रखें कि नाजियों ने अगर यह देश हासिल किया, तो कार्यकारिणी समिति ही संघर्ष के लिए शेष नहीं रहेगी। अब इसके आगे राज्यकर्ताओं में अदला-बदली करने के लिए और स्वतंत्रता का संघर्ष पुनश्च शुरू से प्रारंभ करने के लिए हम राजी नहीं हैं। महार युवक अपना विद्याध्ययन संप्रति स्थगित करके सैनिक अधिकारियों की परीक्षा देकर उसमें उत्तीर्ण हों और महारों को सैनिक परंपरा निरन्तर जारी रखें।

इस सैनिकीकरण के आंदोलन में अम्बेडकर ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। दिसम्बर 1941 के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के दूसरे अधिवेशन के लिए वे दिल्ली में उपस्थित थे। उस समिति का तीसरा अधिवेशन फरवरी 1942 में संपन्न हुआ था। उसमें भी उन्होंने उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। इस दरमियान अम्बेडकर, ‘हिंदुओं ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया?’ ग्रंथ लिखने में दत्तचित्त हो गए थे। यह दिखाई पड़ता है कि इस ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ उन्होंने 13 फरवरी, 1942 को किया था। उस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में एक अमरीकी प्रकाशन ने उनके साथ विचार-विमर्श भी शुरू किया था। यह ग्रंथ 1945 में ‘व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हॅव इन टू दि अनटचेबल्स’ नाम से प्रकाशित हुआ। इतने में राजनीतिक माहौल में यह खबर फैल गयी कि, महाराज्यपाल अपनी कार्यकारिणी समिति में कुछ परिवर्तन करके उसे अधिक व्यापक बनाने की सोच रहे हैं। ■

(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार)

(क्रमशः शेष अगले अंक में)

दलित आत्मकथा या अम्बेडकरी स्वकथन

■ डॉ. अनिल सूर्या

अम्बेडकरी स्वकथन और दलित आत्मकथा इन शब्दों का अर्थ एक ही है, दलित समाज ने वैज्ञानिक चिंतन को स्वीकार किया है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार जीवन जीना स्वीकार किया है। विज्ञान आत्मा को नहीं मानता। इसलिए आत्मा के साथ जुड़ा हुआ यह कथा शब्द अर्थात् 'आत्म-कथा' के 'आत्म' शब्द को छोड़कर 'स्व' को स्वीकार करता है। यह 'स्व' देश-विदेश, परिवार, जात, समाज, संस्कृति और संघर्ष के साथ जुड़ा है। 'स्व' का अर्थ 'मैं' होता है। अवैज्ञानिक शब्द 'आत्म' को टालने के लिए 'स्व' शब्द को स्वीकार कर स्व-कथा या 'स्व-कथन' शब्द का प्रयोग दलित साहित्य में हो रहा है। अब 'आत्मकथा' की जगह 'स्वकथन' शब्द आ गया है। इसकी चर्चा करने के साथ ही 'दलित साहित्य' शब्द की चर्चा करना आवश्यक है, यह शब्द भी बदला है। इसका संशोधन करना आवश्यक है।

दलित साहित्य

23 अक्तूबर 1928 को सर हरि सिंह और बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के बीच 'दलित वर्ग, अस्पृश्य वर्ग' विषय पर चर्चा हुई। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्य वर्ग तथा दलित वर्ग को समान अर्थ में ग्रहण किया।

डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्य शब्द के लिए डीप्रेस्ड क्लासेज या अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया है। 'दलित' शब्द 'बहिष्कृत भारत' के 16 नवंबर 1928 के अंक में पहली बार प्रयोग हुआ। 'प्रासंगिक विचार' कॉलम में यह दलित शब्द चार बार आया है। यह कॉलम डॉ. अम्बेडकर ने खुद लिखा है। इसके बाद 1928 में ही पा.ना. राजभोज ने अपने पाक्षिक का नाम 'दलित बंधु' रखा। 1948 को मुंबई में 'दलित सेवक साहित्य संघ' की स्थापना हुई। 28 फरवरी, 1955 के आप्पा रणपिसे के 'दलित साहित्य की अनास्था' हेडलाईन के दो लेख 'जनता' और 'जयभीम' साप्ताहिक में प्रकाशित हुए। यह 'दलित' शब्द 1953 के पहले काफी जगह पर आया है। 1 मार्च, 1958 को 'प्रबुद्ध भारत' का दलित साहित्य विशेषांक प्रकाशित हुआ।

उपरोक्त संशोधन से यह स्पष्ट होता है। 1950 के बाद यह 'दलित' शब्द सब तरफ प्रयोग में लाया गया।

दलित साहित्य-अम्बेडकरी साहित्य

दलित साहित्य और अम्बेडकरी साहित्य में ज्यादा अंतर नहीं है। जिस वक्त 'दलित साहित्य' शब्द का उपयोग हो रहा था उसी वक्त 'अम्बेडकर साहित्य' संज्ञा का भी प्रयोग हो रहा था। बाबू हरदास एल.एन. ने 1935 को सर्वप्रथम 'अम्बेडकर साहित्य समाज' नामक संस्था की स्थापना की। डॉ. अम्बेडकर द्वारा 1927 का महाड़ चवदार तालाब का संघर्ष, 1930 का नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश संघर्ष, गोलमेज परिषद् संघर्ष, पूना पैक्ट, भारतीय संविधान लिखना और आजाद भारत में हर एक मानव को कायदे से बंधन मुक्त करना इत्यादि के कार्य और कर्तव्य से प्रेरित होकर उनके नाम से सारे भारत देश में संस्थाओं के नाम दिखने लगे जैसे- 'अम्बेडकरी समाज' 'अम्बेडकरी संस्था' 'अम्बेडकरवादी साहित्य' 'अम्बेडकर भारत' 'अखिल भारतीय अम्बेडकरवादी साहित्य संसद' 'डॉ. अम्बेडकर अकादमी' इत्यादि।

डॉ. अम्बेडकर जीवित थे, तब भी उनके नाम से संस्थाएं थीं। पर उनके महापरिनिर्वाण के बाद, उनके मृत्यु के पश्चात् साहित्यिकों ने, विचारवृतों ने यह निर्णय लिया कि अब दलित साहित्य का नाम 'अम्बेडकरवादी साहित्य कहा जाने लगा। इस साहित्य की व्याख्या मेरे विचार से इस प्रकार होगी- हजारों-हजारों साल तक जिन लोगों पर अमानवीय अन्याय हुआ, उन लोगों का साहित्य अम्बेडकरवादी साहित्य है। इंसानियत को केन्द्र बिन्दु मानने वाला, मानव मुक्ति का पुरस्कार करने वाला, अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करने वाला, स्वातंत्र्य, समता-बंधुता का प्रचार-प्रसार करने वाला, जो सर्व हिताय-सर्व सुखाय है, वह दलित साहित्य अर्थात् अम्बेडकरवादी साहित्य है। इस साहित्य का प्रयोजन, इस साहित्य को विज्ञान दृष्टि देना है। इसलिए इस साहित्य को क्रांति-विज्ञान साहित्य कहा जाता है।

दलित साहित्य अर्थात् अम्बेडकरवादी साहित्य के प्रेरणा-स्त्रोत

डॉ. अम्बेडकर के कार्य, विचार, तत्वज्ञान इस साहित्य के प्रेरणास्रोत हैं। डॉ. अम्बेडकर मिथ बने हुए हैं। वो एक 'कल्चरल हीरो' हैं। इसी के साथ महात्मा फुले, बुद्ध, कबीर, चार्वाक, शाहू महाराज, बिरसा मुंडा, संत रैदास, भगत सिंह, बाबू मंगूराम मुगोवालिया, जागृति के संदर्भ में कुछ हद तक कार्ल मार्क्स... इत्यादि इस साहित्य के प्रेरणास्त्रोत हैं। उपरोक्त

अम्बेडकरवादी साहित्य की व्याख्या में आने वाली हर एक घटना दलित साहित्य अर्थात् अम्बेडकरवादी-साहित्य के प्रेरणास्रोत हैं।

चरित्र-आत्मचरित्र-अम्बेडकरी स्वकथन

चरित्र- आत्मचरित्र सुनने-समझने में एक ही लगते हैं पर उनमें थोड़ी भिन्नताएं हैं। चरित्र-आत्मचरित्र से भिन्न अम्बेडकरी स्वकथन है। व्यक्ति के जीवन की गाथा चरित्र, आत्मचरित्र, अम्बेडकरी स्वकथन, इन तीनों में भी है। पर उनकी परिभाषा और समाज अलग-अलग हैं। व्यक्ति की जीवन-गाथा तीनों में रहने के बावजूद, उस जीवन-गाथा का अर्थ अपने ढंग से सामने आता है।

चरित्र- चरित्र शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द बॉयोग्राफी है। बायोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द बायोस यानि लाईफ (जीवन) और ग्रफियर यानि टू राईट (लिखना) जैसे दो शब्दों के मिश्रण का अर्थ जीवन (लिखना) होता है। ड्रायन नामक व्यक्ति ने प्रथमतः बॉयोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। एडमंड ग्रॉस चरित्र के बारे में जीवन के विविध प्रसंगों में से आत्म के वास्तविक चित्रण यानि चरित्र जैसा कहते हैं पर हॅरोल्ड निकोलस की परिभाषा अर्थपूर्ण लगती है। हैरॉल्ड निकोलस कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के घटनाओं की सच्ची यादें, कलात्मक ढंग से लिखना ही चरित्र है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्द कोश में 'बॉयोग्राफी इज द हिस्ट्री ऑफ द लाईव्स ऑफ इंडिवीज्युवल मेन, एज ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर' यह परिभाषा दी गई है।

एक वक्त ऐसा भी था कि चरित्र के नाम पर गौरव-ग्रंथ लिखे गए। विक्टोरिया रानी के वक्त इग्लैंड में चरित्र के नाम पर गौरव-ग्रंथ लिखे गए। इस सोच की वजह से राजे-महाराजे अपना चरित्र लिखवा लेते थे। नायक हो या खलनायक जन्म से मृत्यु जैसे घटनाओं का क्रम लगा के रखते थे। यह भी चरित्र का एक हिस्सा था। चरित्र का यह प्रकार बहुत पुराना है। वीर गाथा, खंड-काव्य, एक व्यक्ति को लेकर लिखा गया कीर्तन, चरित्रगाथात्मक नाट्य प्रयोग, महाकाव्य राजा-महाराजा के गौरव ग्रंथ, सम्राट अशोक के विजयगाथा जयस्तंभ, शिलालेख, देवी-देवताओं के कृति-कर्तव्यों के मंदिर के दीवार-छत पर खुदे हुए आलेख, चरित्रात्मक मूर्तिकला, छायाचित्र, राष्ट्रपति इत्यादि का गौरव-ग्रंथ, यह सब व्यक्ति दर्शन की प्रबोधनात्मक परंपरा यानि चरित्र परंपरा है।

चरित्र-आत्मचरित्र सुनने-समझने में एक ही लगते हैं पर उनमें थोड़ी भिन्नताएं हैं। चरित्र-आत्मचरित्र से भिन्न अम्बेडकरी स्वकथन हैं। व्यक्ति के जीवन की गाथा चरित्र, आत्मचरित्र, अम्बेडकरी स्वकथन, इन तीनों में भी है। पर उनकी परिभाषा और समाज अलग-अलग हैं। व्यक्ति की जीवन-गाथा तीनों में रहने के बावजूद, उस जीवन-गाथा का अर्थ अपने ढंग से सामने आता है।

आत्मचरित्र

आत्मचरित्र यानि खुद अपना लिखा हुआ चरित्र। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में आत्मचरित्र का 'ऑटोबॉयग्राफी द एकाउंट ऑफ एंड इंडिवीज्यूम ह्यूमन लाइफ रीटन बाई दि सबजेक्ट हिमसेल्फ' जैसी परिभाषा की है और यूनीवर्सल डिक्शनरी ऑफ दि इंगलिश लैंग्वेज में 'ऑटोबॉयग्राफी बाई-आर्ट एंड प्रेक्टिस ऑफ राइटिंग ए नेरेटिव ऑफ वन्स ओन लाईफ रीटन बाई ऑनसेल्फ' जैसी परिभाषा वेबस्टर ने की है।

खुद के विगत जीवन की, खुद के अब तक जिए हुए जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखना-आत्मचरित्र है। विगतस्मृति, बीता हुआ कल, खुशी की घटनाएं, दुःख की घटनाएं, गलतियों के प्रसंग, पराक्रम का इतिहास आत्मचरित्र के रूप में संग्रहीत करके रखना आत्मचरित्र का यह मुख्य उद्देश्य है। आत्मचरित्रों में कुछ नाम-रूसो (कॉनफेसन्स), कॅसेंनीव्हा (मेमीरीज़), नेहरू (आत्मचरित्र), एथेल मॅनीन (कॉनफेसन एंड इंप्रेशन), महात्मा गांधी (सत्य के प्रयोग), न.चि. केलकर (गतगोष्ठी) जैसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते। आत्मचरित्र लिखने के बाद एक समाधान आत्मचरित्रकार को मिलता है। अम्बेडकरी स्वकथनकार लिखने के बाद भी बेचैन रहता है। उसकी बैचैनी के कारण सजाए हुए, सोचे हुए परिवर्तन की क्रांति के सपनों की पूर्ति करना है।

दलित आत्मकथन अर्थात् अम्बेडकरी स्वकथन

अम्बेडकरी स्वकथन यह अम्बेडकवादी साहित्य की महत्त्वपूर्ण विधा है। अम्बेडकरवादी साहित्य के नाटक, कविता, लेख जैसे मौलिक अनेक अंगों में से 'स्वकथन' अत्यंत मौलिक विधा है। अम्बेडकरी स्वकथन प्रतिभाविलास या कल्पनाओं का आकाश नहीं। अम्बेडकरी स्वकथन यानि सामाजिक और सांस्कृतिक दस्तावेज है। यह दस्तावेज समाज का आईना है। स्वकथनकार और उनका समाज विषमता, शोषण, अन्याय का शिकार है। उनका संघर्ष, दर्द आक्रोश और सपनों का आईना अम्बेडकरी स्वकथन है।

अम्बेडकरी स्वकथन में स्वकथन लिखने वाला लेखक हमेशा दो नंबर पर ही रहता है। एक नंबर पर समाज चित्रण ही होता है। समाज में घटने वाली घटनाएं, आसपास की परिस्थिति, दु:ख, संघर्ष और 'हमें भी इंसान की तरह जीने दो' यह मांग करने वाला, और उसके लिए लड़ने वाला समाज, एक नंबर पर होता है। अम्बेडकरी स्वकथनकार नाममात्र नायक होता है। मूकनायक समाज और आसपास की परिस्थिति ही होती है। अम्बेडकरी स्वकथन लेखक खुद के अधोगति, खुद के ह्रास और समाज-व्यवस्था में छिपे हुए संदर्भ का संशोधन करता है। भूतकाल की परंपरा का संशोधन, वर्तमान पर पुनर्विचार और भविष्य के उजाले का सपना देखता है। विषम समाज, जातिवादी संरचना, अमानवीय संस्कृति के लोगों का नजरिया बदलने का मौलिक कार्य अम्बेडकरी स्वकथनकार करता है।

अम्बेडकरी स्वकथन के माध्यम से सामाजिक प्रथा का दर्शन होता है। उस व्यक्ति के समूह का, उस स्वकथनकार की जाति का, धर्म का क्या स्थान है, इसका पता चलता है। समाज-व्यवस्था ने धर्म के नाम पर खुद के फायदे के लिए बनाए नियमों को भगवान के बनाये नियम बताकर, किस ढंग से सताया है, इसका दर्शन स्व-कथन में होता है और किस अमानवीय हद तक सताया है, इसका दर्पण अम्बेडकरी स्वकथनकार और उनका समाज करता है। इस तरह का समाज का जीना। किसी स्वकथन के माध्यम से समाज के सामने आता है तो निश्चित रूप से वो एक सामाजिक दस्तावेज बन जाता है। इंसानियत को, मानवता को केन्द्र स्थान पर रखने वाले अम्बेडकरी स्वकथन सामाजिक दस्तावेज है।

अम्बेडकरी स्वकथन में स्वकथन लिखने वाला लेखक हमेशा दो नंबर पर ही रहता है। एक नंबर पर समाज चित्रण ही होता है। समाज में घटने वाली घटनाएं, आसपास की परिस्थिति, दु:ख, संघर्ष और 'हमें भी इंसान की तरह जीने दो' यह मांग करने वाला, और उसके लिए लड़ने वाला समाज, एक नंबर पर होता है। अम्बेडकरी स्वकथनकार नाममात्र नायक होता है। मूकनायक समाज और आसपास की परिस्थिति ही होती है। अम्बेडकरी स्वकथन लेखक खुद के अधोगति, खुद के ह्रास और समाज-व्यवस्था में छिपे हुए संदर्भ का संशोधन करता है। भूतकाल की परंपरा का संशोधन, वर्तमान पर पुनर्विचार और भविष्य के उजाले का सपना देखता है।

अम्बेडकरी स्वकथन का विस्तार

"हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई" यह आजाद भारत का नारा है। इस नारे में आए हुए सभी धर्म के लोगों ने अम्बेडकरी स्वकथन लिखे हैं। आत्माराम राठोड (तांडा), रामबसाखेत्रे (मातीच आकाश), नामदेव व्हटकर (कथा माइया जन्माची) और जैसे बहुत से स्वकथन लेखक हिन्दू है, अचलखांब रुस्तम (गावकी) मुस्लिम हैं, दया पवार (बलूत), शंकरराव खरात (तराल-अंतराल), नरेन्द्र जाधव (आमचा बाप आन् आम्ही), डॉ. एन.एम. निमगडे (धूल का पंछी यादों के पंख)। यह सब बौद्ध हैं, बलबीर माधोपुरी (छांग्या रुक्ख) आदिधर्मी (सिख) हैं और बाबासाहेब गायकवाड (खिस्ती महार) ईसाई हैं। अम्बेडकरी स्वकथन किसी एक जात, किसी एक धर्म में बंधा हुआ नहीं है। सभी धर्म में और सभी प्रांतों में अम्बेडकरी स्वकथन लिखा जा रहा है।

अम्बेडकरी स्वकथन को भारत देश और विदेश के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार (उचल्या) साहित्य अकादमी पुरस्कार (उपरा), फोर्ड फाउंडेशन फैलोशिप (बलूत) महाराष्ट्र उत्कृष्ट/साहित्य निर्मित पुरस्कार-(आठवणीचे पक्षी) सार्कपुरस्कार... जैसे अनेक अम्बेडकरी स्वकथनों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने तो अनेक पुरस्कार प्रदान किए। इन अम्बेडकरी स्वकथन का प्रांत की भाषा, हिन्दी और अंग्रजी में अनुवाद होने से हर प्रांत और विदेश में अध्ययन होने लगा। स्वकथन लेखकों को चीन, अमेरिका, नेपाल और अन्य देशों में बुलाया गया। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में यह पुस्तकें अभ्यास-क्रम में लगाई। इस विषय पर एम.ए., एम.फिल और पीएच.डी. कई लोगों ने प्राप्त की हैं। आज दलित आत्मकथन अर्थात् अम्बेडकरी स्वकथन हिन्दी-अंग्रेजी और अन्य प्रांतीय भाषा के साहित्य का अविभाज्य अंग है।

अम्बेडकरी स्वकथन देश और विदेश के साहित्य की मौलिक विधा है। ■

(लेखक मराठी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं।)

सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षधर: बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

■ रत्ना ओझा 'रत्न'

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जिसमें समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिले तथा सभी समान रूप से सक्षम हों।

भारत को संविधान के सूत्र में बांधने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोकी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता-पिता की चौदहवीं संतान के रूप में जन्में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जन्मजात प्रतिभा सम्पन्न थे। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। इनके पूर्वज लम्बे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता हमेशा बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे।

सन् 1894 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पिता सेवानिवृत हो गए और उसके दो साल बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी तथा इनके भाई-बहनों की देखभाल इनकी बुआ ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए किया। इनके भाई बहनों में केवल बलराम आनन्दराव, भीमराव और दो बेटियां मुंला और तुलसी ही जीवित रह पाए। अपने भाई-बहनों में केवल डॉ. अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हो पाए। उन्होंने अपनी जाति और गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि पर विजय प्राप्त करते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अपने एक देशभक्त ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अपने नाम से अम्बेवाड़ेकर हटाकर अम्बेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम "अंबावड़े" पर आधारित था।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सन् 1907 में मैट्रिक पास की तब दलितों में वे दूसरे मैट्रिक पास व्यक्ति थे लेकिन यहां तक की शिक्षा में उन्हें गहन अपमान और हेय दृष्टियों का सामना करना पड़ा था। कक्षा और शिक्षकों तथा छात्रों की हमेशा वे उपेक्षा और परिहास का शिकार होते रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पार्शियान और अंग्रेजी विषय लेकर 1912 में बी.ए. पास किया और साढ़े तीन वर्ष में उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. और पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने एम.एस.सी. और बाद में डी.एस.सी. के साथ कानून का गहरा अध्ययन करके "बार.एट.ला." की उपाधि प्राप्त की। विदेशी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वालों में डॉ. अम्बेडकर पहले महार छात्र थे, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में गायकवाड़ स्कालर की हैसियत से प्रवेश लिया था। वहां उनके अध्यापक थे विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैलिंगमैन।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, मानववंश और राजनीति शास्त्र आदि विषयों का भी अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी की प्रशासन और वित्त व्यवस्था प्रबन्ध पर उन्हें 2 जून, 1915 में एम.ए. की डिग्री प्राप्त हुई। पीएच.डी. के लिए उन्होंने जून 1916 में ही प्रस्तुत- "नेशनल डिवेडेंट ऑफ इंडिया थीसिस" आठ साल बाद 1925 में पुस्तक के रूप में लंदन से प्रकाशित हुई। इस प्रबन्ध पर कोलंबिया (अमेरिका) से पीएच.डी. लेनवाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर पहले भारतीय थे। इस ग्रंथ को मांटेंग्यू चेम्सफोर्ड ने पुनर्मुद्रित किया। इस प्रबन्ध में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि- "पूरी आर्थिक नीति ब्रिटिश उद्योगों और उद्योगपतियों के लिए है।" यह पुस्तक इतनी उपयोगी थी कि बजट अधिवेशन के दौरान भारतीय विधायक इसका उदाहरण देते थे।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, प्रोफेसरों एवं विद्वानों ने भोज देकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर को "भारत का बुकर इन वाशिंग्टन" कहकर सम्मानित किया। "द प्राब्लम ऑफ रूपी" प्रबन्ध के लिए उन्हें "डी.एस.सी." की बहुमूल्य उपाधि दी गई। सभी भारतीय जानते हैं कि, डॉ. भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के एक प्रमुख शिल्पी थे, लेकिन वे श्रेष्ठ अर्थशास्त्री भी थे, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। अपने ग्रंथ "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था" में उन्होंने कहा कि पूरी आर्थिक नीति ब्रिटिश उद्योगों और उद्योगपतियों के हित साधन के लिए है। इसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने "रायल आयोग" को एक योजना पेश, की जिसमें भारतीय वित्तीय व्यवस्था के बारे में उनका दृष्टिकोण और गहरा अध्ययन झलकता है। यही योजना भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक पीठिका का आधार थी। जिसके कारण उन्हें सिडनहम

कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी मिली थी। वहां अपने ज्ञान प्रभाव से विद्यार्थियों को ऐसे आकर्षित कर लिया कि उनके कालखंड में दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी भी पढ़ने आते थे। थोड़े ही दिनों में वे अर्थशास्त्र के पंडित के रूप में प्रख्यात हो गए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जब प्राध्यापक थे, तब मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुषंग से "साउथ बोरो कमेटी" भारत की विभिन्न जातियों के मताधिकार के बारे में पूछताछ कर रही थी। अस्पृश्य वर्ग की ओर से कर्मवीर शिंदे और अम्बेडकर की उस कमेटी के सामने गवाही हुई जो "बम्बई टाइम्स" में उपनाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा था– "स्वराज्य जैसा ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है वैसा ही वह महारों का भी है। यह बात कोई भी स्वीकार करेगा। इसलिए उच्च वर्ग के लोगों का यह कर्त्तव्य है कि दलितों को शिक्षा देकर उनका मनोबल और सामाजिक स्तर ऊंचा करने की कोशिश करें। जब तक यह नहीं होगा तब तक भारत का स्वतंत्रता दिन बहुत दूर रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

इसी समय दत्तोबा पवार नाम के एक व्यक्ति की मध्यस्थता से अम्बेडकर साहेब को राजर्षि साहूजी महाराज के साथ प्रत्यक्ष परिचय होने का संयोग प्राप्त हुआ। साहूजी महाराज ने आर्थिक सहायता देकर अम्बेडकर साहेब से एक पाक्षिक निकालने को कहा। डॉ. अम्बेडकर ने 31 जनवरी, 1920 को "मूकनायक" नामक पाक्षिक जारी किया। उसी दिन से उन्होंने मूक समाज का नायकत्व स्वीकार किया। उन्होंने पांडुरंग नंदराम भटकर को संपादक नियुक्त किया था जो महार समाज के थे। अस्पृश्यता निर्मूलन करने की दृष्टि से वह समय कितना प्रतिकूल और कठिन था इसकी कल्पना इस बात से स्पष्ट होती है कि "केसरी" समाचार पत्र ने "मूकनायक" के बारे में दो शब्द लिखना तो दूर, पैसे लेकर भी उसका विज्ञापन छापने से इंकार कर दिया। "मूकनायक" पाक्षिक की पहली प्रति में ही बाबासाहेब ने पाक्षिक के उद्देश्यों का समर्थन बहुत ही सरल, सुबोध और जोशीली साफ भाषा में किया था। उन्होंने पहले अंक में लिखा– "हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जो विषमता का मायका है। हिन्दू समाज एक मीनार है और एक-एक जाति एक-एक मंजिल है, लेकिन मीनार की कोई सीढ़ी नहीं है जो जहां पैदा हुआ है वहीं मरे। तिमंजिल का व्यक्ति चाहे वह कितना ही योग्य हो उसे ऊपर की मंजिल में प्रवेश नहीं मिलता है।"

एक अन्य लेख में डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं! "भारत की स्वतंत्रता ही होने से सब कुछ साध्य हो ऐसी बात नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए, जिसमें नागरिकों के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार समान हों और हर एक व्यक्ति को विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त हों। अंग्रेजी राज्य के खिलाफ उठाया गया हर एक एतराज ब्राह्मणों के मुंह में यदि एक गुना शोभायमान होता है तो वही एतराज ब्राह्मणी राज्य के खिलाफ किसी परिष्कृत व्यक्ति के उठाने पर हजार गुना शोभायमान होगा। यह नहीं दिखाई देता कि यह नीति अप्रस्तुत और अवास्तव है। ऐसा कहने वाला कोई पवार ही मिलेगा। अंग्रेजी राज्य में जितनी बात नहीं सही जाती उतनी लात खानी होगी, इसलिए ऐसा स्वराज्य दो जिसमें थोड़ा बहुत हमारा भी राज्य हो।"

डॉ. अम्बेडकर जब प्राध्यापक थे तब कोल्हापुर के साहूजी महाराज से उनके संबंध सुदृढ़ होने लगे थे, उस समय रियासत के मंडगाव नामक ग्राम में रियासत के अस्पृश्यों की पहली परिषद् मार्च में सम्पन्न हुई। साहूजी महाराज ने उसमें कहा– "मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों तुमने अपना सच्चा नेता खोजकर निकाला है इसलिए मैं तुम्हारा हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर तुम्हारा उद्धार किए बिना नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं एक समय ऐसा भी आएगा वे समस्त हिन्दुस्तान के नेता होंगे। मेरी अंतरात्मा मुझे ऐसा कहती है।"

डॉ. अम्बेडकर जब प्राध्यापक थे तब कोल्हापुर के साहूजी महाराज से उनके संबंध सुदृढ़ होने लगे थे, उस समय रियासत के माणगांव नामक ग्राम में रियासत के अस्पृश्यों की पहली परिषद् मार्च में सम्पन्न हुई। साहूजी महाराज ने उसमें कहा– "मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों तुमने अपना सच्चा नेता खोजकर निकाला है इसलिए मैं तुम्हारा हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर तुम्हारा उद्धार किए बिना नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं एक समय ऐसा भी आएगा वे समस्त हिन्दुस्तान के नेता होंगे। मेरी अंतरात्मा मुझे ऐसा कहती है।"

इस प्रकार अस्पृश्यों की छोटी-छोटी परिषदें सम्पन्न कराते हुए उन्होंने मई 1920 के अन्त में नागपुर में एक

समाजक्रांति के महान नेता छत्रपति साहूजी महाराज की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद् बुलाई, जिसमें उन्होंने परिषद् की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करा लिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन की यह पहली जीत थी। "मूकनायक" ने अपने भावी महान कार्य की एक झलक दी थी।

अध्ययन पूर्ति के लिए मासिक आय से काफी बचत कर और कोल्हापुर के साहूजी महाराज से आर्थिक मदद प्राप्त कर वे लंदन चले गए। लंदन से आकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर गायकवाड़ नरेश की नौकरी करने बड़ौदा पहुंचे, किन्तु जातिवादी व्यवस्था के कारण वहां उन्हें रहने तक की जगह नहीं मिली, तब बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर बम्बई आकर शेयरों आदि के बारे में सलाह देने वाली कम्पनी खोली, लेकिन छुआ-छूत का रोग यहां भी पीछा नहीं छोड़ा और प्रशंसा करने वाले ही दूसरों को बताने लगे कि यह अछूत है और लोगों ने उनके पास आना-जाना बन्द कर दिया। बाबासाहेब ने स्पष्ट कहा था– "सामाजिक जनतंत्र वही है जिसमें समता, स्वतंत्रता व बन्धुभाव हो।"

संविधान सभा में भी उन्होंने कहा था– "हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक क्षेत्र में समानता तो प्राप्त कर लेंगे, मगर सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में असमानता ही रहेगी। हमें इस असमानता को शीघ्र ही दूर करना होगा।"

डॉ. अम्बेडकर ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षित बनने, संघर्ष करने और संगठित होने का आह्वान किया लेकिन संवैधानिक तरीकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अविचल थी और उन्होंने तर्कशील जन संघर्ष के मार्ग की वकालत की। उन्होंने कहा– "हमें क्रांति के रक्तपातपूर्ण तरीकों का परित्याग कर देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को हासिल करने का संवैधानिक तरीकों के लिए भरपूर औचित्य होता था। परन्तु जहां संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं है। ये तरीके कुछ नहीं हैं बल्कि अराजकता की जड़ें हैं और जितनी शीघ्र इन्हें काट दिया जाए उतना हमारे लिए बेहतर हैं।"

डॉ. अम्बेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जिसमें समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम हों, एक ऐसा भारत जिसमें जनता के हर वर्ग को यह भरोसा हो कि देश तथा उसके भविष्य में उनका बराबर का हिस्सा है तथा ऐसा भारत जिसमें सामाजिक हैसियत व्यक्तिगत गुणों से तय हो। डॉ. अम्बेडकर की परिकल्पना एक ऐसे महान भारत की थी, जिसमें सामाजिक प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास का अवसर प्रदान करे तथा यह सुनिश्चित करे कि हमारे नागरिक सम्मानित जीवन जी सकें।

डॉ. अम्बेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जिसमें समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम हों, एक ऐसा भारत जिसमें जनता के हर वर्ग को यह भरोसा हो कि देश तथा उसके भविष्य में उनका बराबर का हिस्सा है तथा ऐसा भारत जिसमें सामाजिक हैसियत व्यक्तिगत गुणों से तय हो। डॉ. अम्बेडकर की परिकल्पना एक ऐसे महान भारत की थी, जिसमें सामाजिक प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास का अवसर प्रदान करे तथा यह सुनिश्चित करे कि हमारे नागरिक सम्मानित जीवन जी सकें।

8 अगस्त 1930 एक शोषित वर्ग सम्मेलन के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों के स्वतंत्र होने में है।

जाति प्रथा समाज विकास में कैसे बाधक बनती है? इसकी चर्चा डॉ. अम्बेडकर ने अनेक स्थानों पर की है। वे कहते हैं: "स्वतंत्रता व समानता का निर्बाध संचार आवश्यक है तथा इसका अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तम जीवन जीने के लिए वस्तु प्राप्त करना और धनमाल का अधिकार आर्थिक विकास में आवश्यक है। इस सिद्धांत के अर्न्तगत प्रत्येक मानव को अपने मतानुसार जीवन जीने एवं आर्थिक व्यवस्था को अधिकाधिक सुरक्षित करने में मदद मिलती है। यह सभी अल्पसंख्यक एवं गरीब लोगों के लिए गारंटी है। दुनिया के किसी भी भाग में बसे मानव समाज का आधार समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय होना उपयुक्त है।" अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार डॉ. अम्बेडकर ने जाति को समाज व आर्थिक विकास में सबसे अधिक बाधक माना है। अछूत प्रथा के कारण धन का बहुत अपव्यय होता है। समाजोपयोगी अनेक व्यवसाय हेय माने जाते हैं और उनको करने वालों को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है।

तथा कुछ जातियों की उन पर ठेकेदारी चलती है। समाज में श्रम का कोई मूल्य नहीं होता और क्षमता वृद्धि का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए समाज में कुछ लोग हमेशा के लिए सम्पन्न और कुछ हमेशा के लिए विपन्न गरीब बने रहते हैं। यदि आर्थिक विकास को बढ़ाना है तो जाति कल्पना को त्यागना होगा। यही उनके प्रमुख सूत्र थे।

डॉ. अम्बेडकर ने 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा को सम्बोधित करते हुए कहा– "जाति एवं पंथ के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के साथ थी, अब हमारे यहां विभिन्न तथा विरोधी राजनीतिक दल होंगे, क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे अथवा पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता परन्तु यह तय है कि यदि दल पंथ को देश से ऊपर रखते हैं तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी और शायद हम सदा के लिए इसे खो दें। हम सभी को इस स्थिति से दृढ़ संकल्प होकर बचना होगा। हमें अपने खून की आखिरी बूंद के साथ अपनी आज़ादी की रक्षा का संकल्प लेना होगा।"

अपने विवादास्पद विचारों, गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद डॉ. अम्बेडकर की अपनी प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने डॉ. अम्बेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने को आमंत्रित किया, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को डॉ. अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नये संविधान की रचना के लिए बनी मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत में भारत का संविधान लागू किया गया।

भारतीय संविधान में डॉ. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों पर एक सुपरिभाषित और व्यापक अध्याय शामिल करना निश्चित किया जिसमें अस्पृश्यता को विशेष रूप से समाप्त किया। डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि अल्संख्यकों और उनके धर्म की सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार संविधान प्रत्येक व्यक्ति को आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में राजा के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के निर्धारण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सिद्धांतों में यह अधिदेश है कि राष्ट्र एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति और सुरक्षा द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये सिद्धान्त एक सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। उन्होंने कहा– "हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना

होगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक जीवन पद्धति जो यह मानती है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। जीवन के सिद्धान्त हैं ये इस अर्थ में एक सूत्रता अथवा त्रितत्व की रचना करते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से पृथक करना लोकतंत्र के अत्यावश्यक उद्देश्यों को विफल करना है। समानता के बिना स्वतंत्रता से कुछ लोगों का प्रभुत्व बहुत से लोगों पर हो जाएगा। स्वतंत्रताहीन समानता व्यक्तिगत प्रयासों को समाप्त कर देगी। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता सहज परिघटना नहीं बन सकेगी। इन्हें लागू करने के लिए एक सिपाही की आवश्यकता होगी। सामाजिक धरातल पर हमारे भारत में सोपानबद्ध असमानता के सिद्धान्तों पर आधारित समाज है जिसका अर्थ है एक का उत्थान और अन्यों की अवनति। आर्थिक आधार पर हमारे यहां ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घोर निर्धनता में जीवनयापन करने वालों की तुलना में अथाह धन सम्पत्ति है। हम विरोधाभास का ऐसा जीवन कब तक जीएंगे। हमें यथाशीघ्र इस विरोधाभास को दूर करना होगा, अन्यथा इस असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उखाड़ फेकेंगे।

बाबासाहेब का कहना था– "वर्ण व्यवस्था कल्पना मात्र है। वास्तविकता है कि जाति बदली नहीं जा सकती, अत: आर्थिक विकास के लिए प्रथा का समूल नष्ट करना और भूमि स्वामित्व निरसन समय की गरज है।

14 अगस्त 1950 को नागपुर में डॉ. अम्बेडकर खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। डॉ. अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारम्परिक तरीके से तीन रत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बुद्ध के उपदेशानुसार धन लोभ की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य को धन की चाहत हमेशा रहती है। मनुष्य जरूरतों का उपयोग कर जीवन चलाऐ, आर्थिक संकट टाल सकता है। डॉ. अम्बेडकर ने इसका पालन किया। उन्होंने बीस बाइस लाख रुपये की राशि पढ़ने के लिए ली थी वह वापस कर दी। गाडगे महाराज को सोलह सत्रह हजार रुपये दलितों की धर्मशाला बनवाने को दिए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपने अनुयाइयों से कहा– "कि अपनी आय का बीसवां हिस्सा लोक कल्याणकारी कार्य में खर्च करना चाहिए।

1948 में डॉ. अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित हुए। जून से अक्तूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। 6 दिसम्बर 1956 को उनका देहावसान हो गया। ■

पुस्तक अंश/आठवीं किस्त: **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड-16**

कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?

■ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

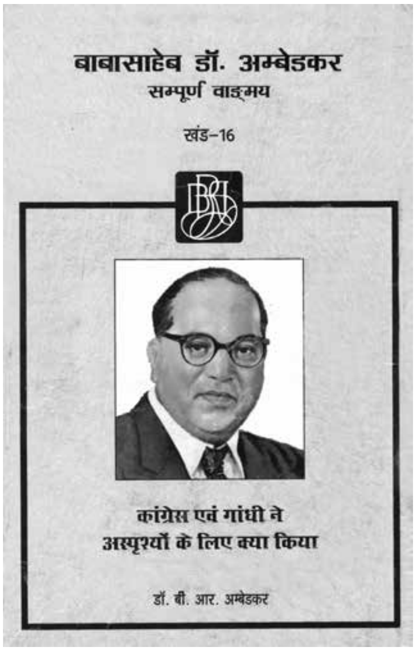

उनका दूसरा दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। धर्मभीरू लोगों की तरह दलित वर्ग के लोग भी मंदिर प्रवेश चाहते हैं अथवा नहीं है। इतना ही प्रश्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से दलित वर्गों के लोग मंदिर प्रवेश के विरूद्ध भी नहीं है। परंतु भौतिक दृष्टिकोण को अकेला नहीं रख सकते। परंतु उनका अंतिम उत्तर गांधी और हिंदुओं द्वारा इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है कि मंदिर प्रवेश के विरूद्ध भी नहीं है। परंतु भौतिक दृष्टिकोण को अकेला नहीं रख सकते। परंतु उनका अंतिम उत्तर गांधी और हिंदुओं द्वारा इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है कि मंदिर प्रवेश की अनुमति के पीछे उनका सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में दलित वर्गों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का सर्वोच्च लक्ष्य है? अथवा यह उनके उत्थान का पहला कदम है। यदि पहला कदम है, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि मंदिर प्रवेश अंतिम उद्देश्य है, तो दलित वर्ग के लोग उसे दूर से ही प्रणाम करते हैं। वास्तव में वे उसे केवल अस्वीकार ही नहीं करेंगे, वरन् यदि वे अपने आपको हिंदुओं द्वारा अस्वीकृत पाएंगे, तब वे अपना भाग्य कहीं और आजमाएंगे। दूसरी ओर, यदि मंदिर प्रवेश इस दिशा में पहला कदम है, तो वे उसका समर्थन कर सकते हैं। तब आजकल देश में जो राजनीति चल रही है, स्थिति उसके अनुकूल होगी। सभी भारतीयों ने भारत के लिए डोमीनियन स्टेटस की मांग की है। वास्तविक संविधान डोमीनियन स्टेटस के आगे बहुत कम होगा। परंतु बहुत से भारतीय उसे स्वीकार कर लेंगे। क्यों? इसका उत्तर यह है कि चूंकि लक्ष्य घोषित कर दिया गया हैं इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे एक-एक पग बढ़ा कर प्राप्त करें या एक छलांग में। परन्तु यदि ब्रिटिश सरकार स्वशासन के लक्ष्य को नहीं स्वीकार करती, तो कोई भी आंशिक सुधार स्वीकार नहीं करेगा। अभी बहुत से लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार यदि गांधी और समाज सुधारक दलित वर्गों के लिए घोषणा करते हैं कि उनका लक्ष्य हिंदू समाज में अस्पृश्यों की हैसियत बढ़ाना है, तभी दलित वर्ग मंदिर प्रवेश पर कुछ कह सकते हैं। लक्ष्य घोषित होना ऐसा धर्म है, जो उन्हें समाज में समानता का स्तर दे सके, इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं विस्तार से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही धर्मनिरपेक्ष सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक मान्यताप्राप्त आस्थाओं के बीच में एक रेखा खींचता हूँ। सभ्य समाज में सामाजिक कुरीतियों का धर्म के आधार पर औचित्य ठहराना बहुत ही घृणित और अधम कार्य है। दलित वर्ग के लोग असमानताजनित अन्यायों और अत्याचारों का जुड़ा तो उतार कर नहीं फेंक सकते, परंतु अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि अब उस धर्म को नहीं सहन करेंगे, जो अत्याचारों को जारी रखने का हामी हो।

यदि उनका धर्म हिंदू धर्म होता है, तो उस धर्म को सामाजिक समानता का धर्म होना पड़ेगा। केवल हिंदू धर्म संहिता के सबके लिए मंदिर प्रवेश को जोड़ कर संशोधन कर देने मात्र से वह धर्म सामाजिक समानता का धर्म नहीं बन जाता। यदि मैं राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप उन्हें विदेशी न मान कर स्वदेशी ही मान लें, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे इससे उस स्तर तक पहुंच जाएंगे, जहां पर वे स्वतंत्र और समान हो जाएं, क्योंकि हिंदू धर्म सामाजिक स्तर पर समानता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान नहीं करता। इसके विपरीत वह धर्म तो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की श्रेणियां बना कर असमानता का पोषण करता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक की सीढ़ी के झंडों के समान ऊपर वाला नीचे वाले को घृणा और अनादर की दृष्टि से

देखता है। हिंदू यदि सामाजिक समानता लाएं, तब उस धर्म सहिंता में केवल मंदिर प्रवेश का विधान कर संशोधन करना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत से इसको मुक्त करने की है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ही सारी असमानताओं की जननी है और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का मूल भी, जो असमानताओं के विभिन्न रूपों में व्याप्त है। जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी दलित वर्ग के लोग मंदिर प्रवेश ही नहीं वरन हिन्दू धर्म को भी अस्वीकार करेंगे। चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था दोनों ही दलित वर्गों के आत्म-सम्मान के विरूद्ध हैं। जब तक जाति व्यवस्था इस धर्म का मूल सिद्धांत रहेगी तब तक दलित वर्ग के लोग नीच समझे जाते रहेंगे। दलित वर्ग के लोग कह सकते हैं कि वे हिंदू तभी हैं, जब चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था को दफन कर दिया जाए और हिंदू शास्त्रों से उस व्यवस्था को बिल्कुल हटा दिया जाए। क्या महात्मा गांधी और समाज सुधारक इसे अपना लक्ष्य बना कर चल सकते हैं और इसके लिए कुछ कार्य करने का साहस करेंगे? मैं इस विषय में अपना विचार अंतिम रूप से निश्चित करने से पहले भविष्य में उनकी घोषणा की प्रतीक्षा करूंगा। परंतु गांधी और हिंदू चाहे इसके लिए तैयार हो अथवा नहीं एक बार ही यह सबको मालूम हो जाना चाहिए कि इससे कम में दलित वर्ग संतुष्ट नहीं होंगे और तभी वे मंदिर प्रवेश को स्वीकार करेंगे। मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लेना और उससे संतुष्ट हो जाना पाप के साथ समझौता करने और मानवता की पवित्रता का ही सौदा करने के समान होगा।

मैंने जो नीति अपनाई है, उसके विरूद्ध गांधी और हिंदू सुधारक एक तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि दलित वर्गों द्वारा मंदिर प्रवेश स्वीकार कर लेने से चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था के विरूद्ध आंदोलन करने से उन्हें कोई नहीं रोकता। यदि ऐसा उनका विचार है, तो मैं इस तर्क का अभी सीधे सामना करने को तैयार हूं और भविष्य में प्रगति के मार्ग को साफ कर देना चाहता हूं। मेरा उत्तर यह है कि यह सच्चाई है कि यदि मैं इस समय मंदिर प्रवेश स्वीकार कर लूं, तो चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलन करने का हमारा अधिकार समाप्त नहीं हो जाएगा। परंतु जब यह प्रश्न सामने आएगा, तब गांधी कहां होगे? यदि वे मेरे विरोधियों के खेमे में होंगे, तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि मैं अब उनके साथ नहीं हो सकता। यदि वह मेरे साथ होंगे तो उन्हें अभी से मेरे साथ आ जाना चाहिए।''

जब किसी दलित वर्ग के सदस्य को मंदिर में प्रवेश को अनुमति दी जाएगी, तब उसे चारों वर्णों में से किसी में भी नहीं गिन जाएगा। वरन् उसे पंचम वर्ण का कहा जाएगा, तो अंतिम और निम्न वर्ग समझा जाता है। यह कहलाने में भी गहरा कलंक है। तब उस पर अनेक धार्मिक प्रतिबंध लग जाएंगे और उसे घोर अपमान सहना होगा। दलित वर्ग के लोग इस प्रकार से प्रवेश करने वालों का हुक्का पानी बंद कर देंगे। दलित वर्ग के करोड़ों लोग जातीय बंधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे, तो वे टुकड़ों में बंट जाएंगे। कानून की जबरदस्ती से मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। गांवों में सवर्ण हिंदू खुले तौर से अथवा परोक्ष रूप में कानून का उल्लंघन करेंगे।

दीवान बहादुर आर. श्रीनिवासन ने भी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में मेरे साथ अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व किया था, मंदिर प्रवेश का समर्थन नहीं किया। उन्होंने प्रेस को अपने बयान में कहा था - जब किसी दलित वर्ग के सदस्य को मंदिर में प्रवेश को अनुमति दी जाएगी, तब उसे चारों वर्णों में से किसी में भी नहीं गिन जाएगा। वरन् उसे पंचम वर्ण का कहा जाएगा, तो अंतिम और निम्न वर्ग समझा जाता है। तब उस पर अनेक धार्मिक प्रतिबंध लग जाएंगे और उसे घोर अपमान सहना होगा। दलित वर्ग के करोड़ों लोग जातीय बंधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे, तो वे टुकड़ों में बंट जाएंगे। कानून की जबरदस्ती से मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। गांवों में सवर्ण हिंदू खुले तौर से अथवा परोक्ष रूप में कानून का उल्लंघन करेंगे। गांव के दलित वर्ग के लिए वह वैसा ही होगा जैसे कि कोई किसी कागज पर मिठाई लिख कर दे दी जाए और अस्पृश्य से उसका स्वाद लेने के लिए कहे। देश को भ्रम और गड़बड़ी से बचाने के लिए जनता के बीच उपरोक्त तथ्य लाए गए हैं।"

मैंने अपने बयान में भी गांधी के सामने जो प्रश्न रखा था, उसका उन्होंने मुझे टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा

कि वह यद्यपि अस्पृश्यता के विरूद्ध हैं, जाति के विरूद्ध नहीं हैं। यदि वह तनिक भी उसके पक्ष में होते तो अस्पृश्यता निवारण के अतिरिक्त भी वह सामाजिक सुधार का कार्य न करते। मेरे लिए अपना दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए इतना ही पर्याप्त था। मैंने अब और आगे मंदिर प्रवेश के विषय में चुप लगाए रहने का फैसला किया।

स्व. दीवान बहादुर राजा अस्पृश्य जाति के एकमात्र प्रमुख नेता थे। ऐसा कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा कि श्री राजा ने इस दिशा में खेदजनक भूमिका निभाई। श्री दीवान बहादुर वर्ष 1927 से केंद्रीय सभा के नामजद सदस्य थे। सभा के भीतर अथवा बाहर उन्हें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था। न किसी संयोगवश और न किसी भूल से ही वह कांग्रेस के पक्ष में थे। वास्तव में वह केवल कांग्रेस के आलोचक नहीं थे वरन् उसके विरोधी थे। वह सरकार के बहुत विश्वासपात्र मित्रों में से थे। वह अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन के पक्ष में खड़े हुए थे, जिसका कांग्रेस पूर्णरूपेण विरोध करती थी। वर्ष 1932 के कठिन समय में दीवान बहादुर ने अचानक सरकार का साथ छोड़ने और कांग्रेस का पक्ष लेने का फैसला किया। वह संयुक्त चुनाव और मंदिर प्रवेश के विषय में कांग्रेस के समर्थक सिद्ध हुए। सार्वजनिक जीवन में ऐसा चरित्र मिलना मुश्किल है। उनका एक ही उद्देश्य था कि अपना उल्लू सीधा करना। दीवान बहादुर एक दम कट क्यों गए? उसका कारण यह था कि सरकार ने गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें नामजद नहीं किया था। वरन् उनके स्थान पर दीवान बहादुर और श्रीनिवासन को नामजद किया था। लेकिन भारत सरकार के पास उन्हें नामजद न करने के पर्याप्त आधार थे। यह निश्चय किया गया था कि न तो साइमन कमीशन का सदस्य और न ही केन्द्रीय सभा का सदस्य गोलमेज सम्मेलन का सदस्य हो सकता है। स्व. दीवान बहादुर केन्द्रीय सभा के सदस्य थे। इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। यह स्वाभाविक स्पष्टीकरण था। परन्तु दंभ से चूर दीवान बहादुर राजा उस बात को नहीं सह सके। जब मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना, जैसे ही उन्होंने देखा कि पूना पैक्ट किस प्रकार पैरों के नीचे कुचला जा रहा है और किस प्रकार उसके विरोधी मंत्री बन गए और किस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ता होते हुए भी उनकी उपेक्षा की गई थी, वह घोर पश्चाताप करने लगे। सत्य तो यह है कि वर्ष 1932 में कठिनाई के दिनों में दीवान बहादुर साथ-साथ दौड़ ही नहीं रहे थे, वरन् अस्पृश्यता के विरूद्ध कानून बनाने का विरोध करने में कांग्रेस का साथ भी दे रहे थे। उन्होंने दो विधेयक पेश करने का श्रेय भी लिया। उनका पहला विधेयक था, अस्पृश्यता निवारण विधेयक और दूसरा था दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक।

स्व. दीवान बहादुर राजा अस्पृश्य जाति के एकमात्र प्रमुख नेता थे। ऐसा कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा कि श्री राजा ने इस दिशा में खेदजनक भूमिका निभाई। श्री दीवान बहादुर वर्ष 1927 से केंद्रीय सभा के नामजद सदस्य थे। सभा के भीतर अथवा बाहर उन्हें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था। न किसी संयोगवश और न किसी भूल से ही वह कांग्रेस के पक्ष में थे। वास्तव में वह केवल कांग्रेस के आलोचक नहीं थे वरन् उसके विरोधी थे। वह सरकार के बहुत विश्वासपात्र मित्रों में से थे। वह अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन के पक्ष में खड़े हुए थे, जिसका कांग्रेस पूर्णरूपेण विरोध करती थी। वर्ष 1932 के कठिन समय में दीवान बहादुर ने अचानक सरकार का साथ छोड़ने और कांग्रेस का पक्ष लेने का फैसला किया।

III

गांधी ने किसी विरोध पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वह विरोध चाहे सनातनी हिन्दुओं की ओर से हुआ हो, अथवा अस्पृश्यों की ओर से। वह अपने लक्ष्य की ओर दीवानगी की हालत में बढ़ते रहे। यह जानना भी दिलचस्प है कि इस आंदोलन का क्या हुआ? इस पुस्तक के सीमित पृष्ठों में प्रत्येक घटना को विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण की दिशा में मंदिर और कुएं खोल देने के बाद हिन्दुओं की मनोवृत्ति कुत्ते की पूंछ की तरह फिर टेढ़ी हो गई। गांधी के पत्र 'हरिजन' के स्तंभ 'वीक टू वीक' में जो रिपोर्ट निकला करती थी, वे धीरे-धीरे कम

होकर नदारद होने लगी। जहां तक मेरी बात का संबंध है, मुझे यह समझने में कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हिन्दू दिल को इतनी जल्दी लकवा मार जाएगा। मुझे कभी भी विश्वास नहीं था कि हिन्दुओं के सीने में कोई सहृदयता भी है। 'हरिजन' पत्र के स्तंभ वीक टू वीक में दुनियां की आंखों में धूल झोंकने के लिए गप्प छप रहा था। वास्तव में 'हरिजन' के स्तंभ का अधिकांश भाग जिन समाचारों से भरा रहा था, वह एक साजिश का हिस्सा थे, केवल कांग्रेस द्वारा दुनियां को दिखाने के लिए फरेब और प्रोपेगंडा था कि हिन्दुओं ने अस्पृश्यता निवारण का बीड़ा उठा रखा है। अधिकांश मंदिर, जो अस्पृश्यों के लिए खोले गए बताये थे, ऐसी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे कि वहां पर कुत्ते और गधों की महफिल जुड़ा करती थी। कांग्रेस आंदोलन का बुरा प्रभाव यह हुआ कि राजनीतिक मस्तिष्क वाले हिन्दुओं का एक ऐसा झुंड तैयार हो गया जिसे अपने लाभ के लिए झूठ बोलने में हिचक नहीं थी। इस प्रकार मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिसमें हिंदुओं ने साधारण जनता के सामने अपने को प्रदर्शित किया उसका अध्याय समाप्त हो गया। गुरूवयूर मंदिर सत्याग्रह के विषय में और मंदिर प्रवेश के विधेयक के संबंध में भी ऐसे ही हुआ। ये वे घटनाएं है, जिनका यह संक्षेप में इतिहास है। इनमें श्री गांधी और कांग्रेसियों की सच्ची भावनाएं झलकती हैं।

> **संक्षेप में कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण की दिशा में मंदिर और कुएं खोल देने के बाद हिन्दुओं की मनोवृत्ति कुत्ते की पूंछ की तरह फिर टेड़ी हो गई। गांधी के पत्र 'हरिजन' के स्तंभ 'वीक टू वीक' में जो रिपोर्ट निकला करती थी, वे धीरे-धीरे कम होकर नदारद होने लगी। जहां तक मेरी बात का संबंध है, मुझे यह समझने में कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हिन्दू दिल को इतनी जल्दी लकवा मार जाएगा। मुझे कभी भी विश्वास नहीं था कि हिन्दुओं के सीने में कोई सहृदयता भी है। 'हरिजन' पत्र के स्तंभ वीक टू वीक में दुनियां की आंखों में धूल झोंकने के लिए गप्प छप रहा था। वास्तव में 'हरिजन' के स्तंभ का अधिकांश भाग जिन समाचारों से भरा रहा था, वह एक साजिश का हिस्सा थे, केवल कांग्रेस द्वारा दुनियां को दिखाने के लिए फरेब और प्रोपेगंडा था कि हिन्दुओं ने अस्पृश्यता निवारण का बीड़ा उठा रखा है।**

IV

गुरूवयूर मंदिर सत्याग्रह कैसे आरंभ हुआ? मालाबार में पोन्नानि तालुक में गुरूवयूर में कृष्ण को एक मंदिर है। कालीकट का जमोरिन उस मंदिर का न्यासी है। एक हिंदू जिसका नाम केलप्पन था, मालाबार में अस्पृश्यों के लिए कार्य कर रहा था। उसने उस मंदिर में अस्पृस्यों के प्रवेश करने के लिए आंदोलन आरंभ किया। कालीकट के जमोरिन ने, जो उस मंदिर का न्यासी था, अस्पृश्यों के प्रवेश के लिए मन्दिर खोलने से इंकार किया और अपने बचाव में हिंदू धर्म दाया अधिनियम की धारा 40 का सहारा लिया, जिसके अनुसार मंदिरों के विषय में चली आ रही परंपरा और रीतिरिवाज के विरुद्ध कोई भी न्यासी कुछ नहीं कर सकता था। 20 सितंबर, 1932 को श्री केलप्पन ने सामने धूप में बैठ कर भूख हड़ताल शुरू कर दी। जमोरिन ने उस फजीहत और कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए गांधी जी से अपील की कि वह केलप्पन को कुछ समय तक अनशन स्थगित करने के लिए कहें। श्री गांधी के अनुरोध पर केलप्पन ने दस दिन अनशन करने के बाद अक्तूबर 1, 1932 को तीन महीने के लिए अपना अनशन स्थगित कर दिया। जमोरिन ने कुछ नही किया। श्री गांधी ने उसे एक तार भेजते हुए कहा कि वह कानूनी अथवा अन्य कठिनाइयों को दूर करें। श्री गांधी ने जमोरिन को भी कहा कि श्री केलप्पन ने उनके अनुरोध पर अनशन स्थगित किया था। इसलिए अस्पृश्यों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए वह जिम्मेदार हो गए हैं। नवंबर 5, 1932 को श्री गांधी ने प्रेस को निम्नलिखित बयान छपने के लिए दिया-

केरल के गुरूवयूर मंदिर में प्रवेश के लिए यह दूसरा अनशन होने वाला है। श्री केलप्पन ने मेरे तात्कालिक अनुरोध पर

तीन महीने के लिए अनशन स्थगित किया था। वह अनशन उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाने वाला था। यदि जनवरी 1, 1933 तक अथवा उसके पहले अस्पृश्यों के लिए उन्हीं शर्तो पर मंदिर नहीं खोला गया, जिन शर्तो पर सवर्णो के लिए खुला है तो मुझे विवश होकर श्री केलप्पन के साथ ही अनशन करना पड़ेगा।

जमोरिन ने इसे मानने से इंकार कर दिया और उपरोक्त बयान के जवाब में प्रेस को निम्नांकित ब्यान छपने के लिए भेजा–

"अस्पृश्य लोगों के लिए मंदिर प्रवेश की तरह-तरह की अपीलें की जा रही हैं, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यह सोचने का कोई औचित्य नहीं कि यह मेरे ही अधिकार में है कि मैं गुरूवयूर मंदिर को अवर्ण लोगों के लिए खोल दूं, जैसा कि मंदिर प्रवेश आंदोलन के समर्थक चाहते हैं।

इन परिस्थितियों में श्री गांधी के लिए अनशन करना आवश्यक हो गया था। परंतु उन्होंने अनशन नहीं किया। उन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हुए कहा कि यदि पोन्नति तालुक में जनमतसंग्रह कराया जाए, जहां पर मंदिर स्थित है और यह फैसला हो कि वहां के अधिकांश लोग असपृश्य लोगों के लिए मंदिर खोलने के विरूद्ध हैं, तो मैं अनशन रोक दूंगा। तदनुसार जनमतसंग्रह किया गया।

इन परिस्थितियों में गांधी के लिए अनशन करना आवश्यक हो गया था। परंतु उन्होंने अनशन नहीं किया। उन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हुए कहा कि यदि पदोन्नति तालुक में जनमतसंग्रह कराया जाए, जहां पर मंदिर स्थित है और यह फैसला हो कि वहां के अधिकांश लोग असपृश्य लोगों के लिए मंदिर खोलने के विरूद्ध हैं, तो मैं अनशन रोक दूंगा। तदनुसार जनमतसंग्रह किया गया। मतदान केवल उन्हीं तक सीमित था, जो वास्तव में मंदिर में जाया करते थे। जो मंदिर के अधिकारी नहीं थे और जो मंदिर नहीं जाते थे, वे मतदाता सूची से निकाल दिए गए। यही रिपोर्ट दी गई कि जो प्रतिशत मतदान करने योग्य था, उनमें से 73 प्रतिशत ने मतदान किया। परिणाम यह घोषित किया गया कि 56 प्रतिशत मंदिर प्रवेश के पक्ष में भाग नहीं लिया।

मतदान केवल उन्हीं तक सीमित था, जो वास्तव में मंदिर में जाया करते थे। जो मंदिर के अधिकारी नहीं थे और जो मंदिर नहीं जाते थे, वे मतदाता सूची से निकाल दिए गए। यही रिपोर्ट दी गई कि जो प्रतिशत मतदान करने योग्य था, उनमें से 73 प्रतिशत ने मतदान किया। परिणाम यह घोषित किया गया कि 56 प्रतिशत मंदिर प्रवेश के पक्ष में भाग नहीं लिया।

जनमतसंग्रह के इस परिणाम पर श्री गांधी को अनशन करना था, परंतु उन्होंने नहीं किया। इसके बजाय 29 दिसंबर, 1932 को गांधी जी ने निम्नलिखित बयान छपने के लिए प्रेस को दिया–

इस शासकीय घोषणा को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि मद्रास विधान परिषद में मंदिर प्रवेश के बारे में डा. सुब्बारायन द्वारा विधेयक पेश किए जाने की अनुमति संबंधी वायसराय के निर्णय की घोषणा संभवत: 15 जनवरी से पहले नही की जा सकती, अत: नव वर्ष के दूसरे दिन से आरंभ किया जाने वाला अनशन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाएगा और सरकारी फैसले तक के लिए स्थगित रहेगा। श्री केलप्पन इस स्थगन से सहमत है।

वायसराय की जिस घोषण का उल्लेख श्री गोधी ने किया, उसमें विधानमंडल मंदिर प्रवेश विधेयक पेश होने की अनुमति वायसराय देते या न देते यह निश्चित नहीं था। वायसराय ने विधेयक पेश करने की अनुमति दे दी। फिर भी श्री गांधी ने अनशन नहीं किया। उन्होंने केवल अनशन करना ही नहीं छोड़ दिया, वेरन् उस आंदोलन को ही बिल्कुल भुला दिया। तब से गुरूवयूर मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के बारे में कुछ नहीं सुना गया और आज भी मंदिर अस्पृश्यों के लिए बंद है। ■

छुट्टियां

■ विपिन बिहारी

इंचार्ज अपने चैम्बर में बैठे हिल रहे थे। चैम्बर का दरवाजा खुला हुआ था। उसमें कोई पर्दा भी नहीं लटक रहा था। उनकी घूमने वाली कुर्सी दरवाजे के बिल्कुल सामने थी। दफ्तर में कौन-आ-जा रहा था, वे सीधे देख सकते थे, और उनके चाहने पर आने-जाने वाले को टोक भी सकते थे।

किशोर कभी दफ्तर में कभी दफ्तर से बाहर जाता। अंदर-बाहर करते हुए हर बार उसकी नजर चैम्बर की तरफ होती, जैसे वह चाहता हो इंचार्ज उसे टोके। अब तक कई बार वह अन्दर-बाहर हो चुका था। इंचार्ज को लाईन में जाना था, लेकिन गए नहीं। गाड़ी निकल चुकी थी। दूसरी गाड़ी सवा एक बजे थी। जाहिर था वे सवा एक बजे से पहले वे कहीं जाने वाले नहीं थे। धर्मेश बाबू ने पूछा था पहली गाड़ी आने से पहले, "आज लाइन निकलेंगे सर?"

"नहीं, क्या काम है?"

"कुछ कागजात पर सिग्नेचर, करवाना है।"

"यहीं रहूँगा, इत्मीनान से करवा लीजिएगा। कुछ ऐसा काम पड़ा तो दूसरी गाड़ी से ही निकलूंगा।"

धर्मेश बाबू कभी इंचार्ज के पास जाता, कभी अपनी कुर्सी पर, कभी अलमारी खोलता। अभी-अभी वह अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि किशोर पर उसकी नजर पड़ गई, किस यूनिट में काम करते हो?"

"तीन में ...।" तत्परता से बतलाया था किशोर ने।

"कोई काम है मुझसे? सिर्फ आ-जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो... क्या बात है?"

"छुट्टी लेनी है"। मरियल सी आवाज थी किशोर की।

"इंचार्ज तो बैठे हुए हैं ही।" धर्मेश इतना कहकर अपने काम में व्यस्त हो गया था।

इस बार किशोर अपने दफ्तर से निकलकर बरामदे में जैसे ही गया था कि इंचार्ज की नजर उस पर पड़ गई, '' किस यूनिट में काम करते हो... देख रहा हूँ काफी देर से चक्कर लगाए जा रहे हो... क्या काम है?''

और जैसे किशोर को इसी मौके का इंतजार था, वह झट चैम्बर में दाखिल हो गया।

"क्या बात है?"

"सर तीन दिन की छुट्टी चाहिए।"

"आज ड्यूटी पर हो कि नहीं?" एक खुर्राट सवाल था इंचार्ज का।

"हूँ सर....।"

तब तुम यहां कैसे आए? तुम यहां पर हो और कहते हो ड्यूटी पर हूँ?"

"रात में गेट पर ड्यूटी की थी।"

"छुट्टी किसलिए चाहिए?"

"सर, एग्जाम है...।"

"बाबू, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारे यूनिट में ऐसे ही अबसेंटी बहुत हैं, और आदमी कम हैं। काम का हाल जानते ही हो। तीन आदमी पहले से ही छुट्टी पर हैं। एक साथ इतनी छुट्टियाँ, ये नहीं हो सकता। जहां तक मेरा अंदाजा है, तुमने जल्दी में ही छुट्टी ली थी। इस महीने में तुमने कितनी बार छुट्टियाँ ली हैं? रूको, तुम्हारे मेट से पूछता हूँ।'' इंचार्ज मेट को फोन लगाने लगे। जब फोन लग गया तो उन्होंने पूछा, मेट जी, जरा बताओ तो किशोर ने इस महीने कितनी छुट्टियां ली है?" मेट की आवाज थी,'' हाजिरी शीट देखकर बताता हूँ।'' मेट की आवाज को सिर्फ इंचार्ज ही सुन पाए। मेट हाजिरी शीट देखकर जब तक बताता इंचार्ज किशोर की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, ''तुम्हारी नौकरी के कितने दिन हुए है? अभी ठीक से साल भी नहीं गुजरा और छुट्टी पर छुट्टी लिए जा रहे हो।"

इंचार्ज का फोन बजने लगा। मेट की आवाज आई। इंचार्ज बोले, "हां. .. बोलो"। फोन रखते हुए इंचार्ज फिर किशोर की तरफ हुए, ''अभी महीना पूरा होने में पांच दिन बाकी हैं, और अब तक तुमने छः छुट्टियाँ कर ली हैं। अब तुम ही बताओ, एक महीने में इतनी छुट्टियाँ करोगे तो कैसे काम चलेगा? बाबू, काम करवाना है। यदि तुम लोगों को मनमानी छुट्टियाँ दी गई तो... सभी यही चाहते हैं कि वह छुट्टियों में ही रहें और सैलरी बनती रहे। मेरी भी जवाबदेही है काम करवाने की। ऊपर से सवाल किया जाता है... फलां काम क्यों नहीं हुआ। पहले आदमी नहीं थे, जब मिल गए प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही है। लाइन पर गाड़ी चलानी है। इसलिए बाबू, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती, धर्मेश बाबू...।'' इंचार्ज ने

आवाज लगाई थी।

''जी सर...।'' धर्मेश हड़बड़ाकर चैम्बर में घुसा था।

''देखिए तो इसके खाते में कितनी छुट्टियाँ बचीं हैं?''

धर्मेश ने लपककर अलमारी खोली थी। कुछ फाइलें जैसी निकली। फिर यूनिट का खाता चुना। पन्ने पलटकर फिर फाइलों को अलमारी में रखा। इंर्चाज के पास गया,'' ग्यारह बची है सर।''

''और छः ले चुके हो, यानि उन्हें घटाकर महज पांच छुट्टियाँ तुम्हारे खाते में हैं, और अभी साल पूरा होने में कई महीने बाकी हैं। तुम ही बताओ... आने वाले महीने में तुम छुट्टी नहीं लोगे मुझे ऐसा नहीं लगता। तब क्या होगा? छुट्टी नहीं होने पर तुम्हारी सैलरी कटेगी। कोई ऐसा प्रॉवीजन भी नहीं कि अग्रिम तौर पर तुम्हें छुट्टी दी जाए।''

''दो ही दिन दे दीजिए सर, फिर कभी छुट्टी मागूंगा ही नहीं।'' किशोर के चहरे का भाव याचक से भी निचले दर्जे का हो गया था।

''मैं तुम्हें छुट्टी किसी भी सूरत में नहीं दे सकता। यदि तुम्हें बहुत जरूरी है तो औरों की तरह ही तुम भी एबसेंट हो सकते हो।''

"वेतन कट जाएगा सर...।"

"इतना तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा।" इंचार्ज अपने सामने पड़े कागजातों को पलटने लगे थे," अब तुम जा सकते हो।"

भारी कदमों से चलकर किशोर धर्मेश बाबू की टेबल के पास आकर खड़ा हो गया था। वह कुछ बोल नहीं रहा था।''

''छुट्टियों की भी सीमा होती है किशोर।'' किशोर को देखकर धर्मेश बोल पड़ा था।

''आप ही कुछ रास्ता निकालिए सर, साहब को बोलिए न जरा, आपकी बात मानेंगे।'' किशोर के चेहरे की दयनीयता मर्मभेदी हो गई थी जैसे उसका खून निचूड़ गया था।

''जब वे खुद कह चुके हैं तो मैं नहीं समझता कि वे मेरी बात मानेंगे, क्योंकि सेक्शन की स्थिति से वे जितना परिचित हैं, उतना मैं नहीं हूँ। मैं तो दफ्तर में बैठा हूँ, सिर्फ कागजों के बारे में जानता हूँ।'' धर्मेश ने किशोर की मदद करने में अपनी असमर्थतता जतलाई थी।

''अपनी ही छुट्टी तो मांग रहा हूँ।'' धीमी आवाज थी किशोर की।

''क्या कहा अपनी छुट्टी हर कोई करता है, लेकिन छुट्टी का भी विधान है। मेरी छुट्टियाँ तो रेलमपेल हैं तो मैं बिना कहे पूछे चला जाऊँ? ये भी देखना होता है कि परिस्थिति छुट्टी लेने की है अथवा नहीं है। वैसे एक बात जान लो, छुट्टी तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन देने का अधिकार इंचार्ज का है। इंचार्ज तभी छुट्टी दे सकता है जब परिस्थितियां अनुकूल हैं। वह काम की महत्ता और जरूरत देखता है। यही सब देखने के लिए ही उसे इंचार्ज बनाया बया है। इतनी ही जरूरत है तो दो दिन का वेतन कटवाओ। तीन दिन से अधिक रहोगे तो डिपार्टमेंट द्वारा तुम पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। और भाई, जब तुम इतने प्रतिभाशाली हो तो तुम्हें इस डिपार्टमेंट में और इस पद पर आना ही नहीं चाहिए था तुम्हें, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है कि नौकरी की सख्त जरूरत पड़ गई? फ्री होकर तैयारी करते किसी बड़े पद के लिए। जब तुम जॉब में आ गए हो तो डिपार्टमेंट अपना काम करेगा ही। एक ही समय में तुम ऑफिसर भी बनना चाहते हो और चपरासी भी। ऐसी हालत में किशोर, तम्हें कुछ सहना ही पड़ेगा। दोनों काम साथ-साथ नहीं चल सकते।''

धर्मेश के चुप होने के थोड़ी देर बाद ही किशोर मरे मन से बाहर आ गया था। बाहर आकर वह पानी की टंकी के नीचे आ बैठा। गाड़ी सवा एक बजे है यूनिट में जाने के लिए। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था, वह ऊँची आवाज में रो देगा। एग्जॉम भी देना है और छुट्टी भी नहीं मिल रही है। वह इतना लाचार नौकरी में नहीं आया था, तब भी नहीं हुआ था। शायद लाचारी ही नौकरी है... जो अपने मन की नहीं करने दे, उसे ही नौकरी कहते हैं। हर कोई अपनी-अपनी जगह पर विवश है जैसे इंचार्ज। उनका भी कहना जायज है। ऐसा भी तो नहीं है कि उसके न होने पर सारे काम ठप्प पड़ जाएंगे। इतने सारे कर्मचारी हैं। इंचार्ज का कहना है कि उसे यूनिट के कई लोग एबसैंट चल रहे हैं तो उस यूनिट का काम नहीं हो रहा है? उसी तरह उसके न होने पर भी तो काम हो जाएगा? लेकिन सभी उसकी तरह ही सोचेंगे तो... एग्जॉम देने के लिए लगता है उसे भी एबसैंट होना पड़ेगा।

वह सुबह ही आया था बिना कुछ खाए-पिए ही। जब उसका निश्चय आपसैंट होने का हो गया तो उसे कुछ-कुछ भूख सताने लगी। लेकिन एबसैंट होगा, तनख्वाह कटेगी और... उसे घर का दृश्य याद आने लगा था। जब उसका एपोइन्टमेंट लेटर मिला था और उसकी अम्मा को मालूम पड़ा था। कितना खुश हुई थी अम्मा। जिस चेहरे पर हमेशा हवाइयां उड़ती रहती थीं...उसने पहली बार ही देखी थी अम्मा के चेहरे की चमक, और बाबूजी के बुढ़ाए शरीर में तो जैसे जवानी ही आ गई थी।

जब पहली बार तनख्वाह के पैसे अम्मा के हाथ में धराए थे उसने, अम्मा हरहरा कर रो पड़ी थी। अम्मा को हरहराते देखकर वह भी भावुक हो उठा था। अब घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी सालभर ही हुए हैं, लेकिन घर में बहुत कुछ बदल गया है। अम्मा

की साड़ी बदल गई है, जिस पर कभी पेबंद ही पेबंद ही होते थे, और बाबूजी चमकते हुए लगते थे। और नैना भी तो ... एक मुश्त रकम आती है तो उसी के हिसाब से घर का हुलियाँ भी बदल गया है और सभी के सभी उसी में जीना भी सीख गए हैं। उस एक मुश्त रकम में थोडी भी कमी होगी, सीधा असर घर के रहन-सहन पर पड़ेगा और वह ऐसा नहीं चाहता। अम्मा पैसे गिनने लगी है। पैसे कम होने पर सवाल भी कर सकती है... इस बार बेटा पैसे कम हैं अम्मा के सवाल का वह क्या जवाब देगा? उसे इतना कहने की हिम्मत नहीं है... अम्मा, इस बार वेतन कट गया। अम्मा तो इतना जरूर पूछेगी... वेतन कैसे कट गया। इसका जवाब तो उसके पास बिल्कुल नहीं होगा। उसे इतना कहने का धैर्य नहीं है... अम्मा, इस बार एबसैंट हो गया था।

किशोर को जोर की भूख लग रही थी। टंकी के नीचे बैठना उसे मुश्किल हो रहा था। वह उठा और चल पड़ा उधर, जिधर दुकानें थीं चाय-नाश्ते की। गाड़ी आने में अभी ढ़ाई घंटे की देरी थी। दूसरा कोई साधन भी नहीं था कि वह अपने यूनिट में ट्रेन के अलावा दूसरे साधन से पहुँच जाए और पकाए-खाए। जेब में पैसे होते हुए भी वह बाजार की चीजें खाने की कोशिश कभी नहीं करता। बाजार की चीजें उसके लिए मंहगी साबित होती हैं। पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। उसे कुछ भी खाने का मन करता है तो पका लेता है। वह अपने जेब खर्च से भी बचाने की कोशिश करता है। बचे हुए पैसे से वह किताबें खरीदता है। कहीं कोई वैकेंसी निकलती है और वह देखता है कि वह उस वैकेंसी के योग्य है तो फॉर्म भर देता है। फॉर्म भरने में भी कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं।

किशोर ग्रुप-डी का कर्मचारी है। लेकिन उसकी मेहनत और प्रतिभा को देखते हुए उसे ग्रुप-डी का कर्मचारी कतई नहीं होना चाहिए था। लेकिन जरूरत थी उसे एक अद्द नौकरी की। घर की जो हालत थी, उससे निपटने के लिए तत्काल उसे कुछ करना अत्यंत जरूरी हो गया था। और उसी का प्रतिफल हुआ कि. .. सिर्फ एक ही कोशिश में वह एपॉइन्ट हो गया था। और फिर उसकी सारी कोशिशें और प्रतिभा धरी की धरी रह गई थीं। वह अपनी अम्मा को बैल की तरह जुतते हुए नहीं देख सकता था और नैना को... हर छोटी से छोटी चीज के लिए तरसते हुए। और बाबूजी, उसे लगता था, वह अम्मा-बाबूजी पर एक बोझ है। कुछ भी हो जाए, अम्मा-बाबूजी उसे कुछ नहीं कहते थे... तू पढ़ बेटा, जितना हो सके पढ़, हम लोग तो तकलीफ सह ही रहें हैं।

जब वह कठोर हुआ। उसकी भी कोशिश होती थी, जो उस पर खर्च हो सकते थे, उसे वह निकाल ले किसी भी जुगत से। जब उसके जैसा कोई काम मिल जाता तो वह छुट्टियों में कर लेता था और उसे पढ़ाई में मदद मिल जाती थी। जरूरत पड़ने पर घर में भी काम आ जाता था। लेकिन ऐसे मौके पर अम्मा बोलती थी, ''घर में तो काम चल ही रहा है, अपने लिए रखा कर, तम्हे जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगा।

वह अम्मा को सांत्वना देता था, ''तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, रख लो। फिर देखूंगा कोई वैसा काम।''

महिनें में चार-पांच दिन काम मिल जाते थे। किशोर कभी नहीं छोड़ता था। उसने अपने लिए कपड़े भी सिलवाए थे। वह ताज्जुब करता है अपने अम्मा-बाबूजी पर कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने उसे स्कूल भेजा ताकि बेटा पढ़ जाए। खुद अनपढ़ होते हुए भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह कंधे से स्लेट लटका लेता था। अम्मा या बाबूजी उसकी ऊंगली पकड़ लेते थे। वह विहंसते हुए चलने लगता था। अम्मा...बाबूजी उसे बार-बार देखते जाते थे, जैसे वे देखते थे उसकी ऊंगली न छूट जाए। अब सोचता है वह... अम्मा-बाबूजी उसकी ऊंगली नहीं देखते थे, बल्कि उसे देख-देखकर पुलकित होते थे। जिस साल स्कूल जाना शुरू किया था उसने, उसके दो-साल के बाद स्कूलों मे मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था शुरू हुई थी। तब वह अपने साथ छिपनी लेकर जाने लगा था स्कूल।

मध्यान्ह भोजन की स्कूलों में शुरूआत हुई, पढ़ाई कम हो गई। स्कूल जाने के बाद पढ़ने की फिक्र, कम खाने की फिक्र अधिक हो जाती है। पढ़ाई के दौरान सारा ध्यान खाने पर केन्द्रित... कब दोपहर होती है और कब खाने को मिलता है। ऐसे में भूख की तीव्रता भी बढ़ जाती है। मास्टर भी खिलाने के इंतजामों में लगे रहते हैं। जब से शिक्षा मित्रों की बहाली हुई है, पढ़ाना तो दूर भोजन के पीछे ही लगे रहते हैं- जैसे कम से कम में बच्चों को भोजन कराया जाए और अधिक से अधिक उनकी जेबें भारी हों। और शिक्षा मित्र भी ऐसे कि कइयों को तो ढ़ंग से लिखना भी नहीं आता। वे क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। पैसे देकर, पैरवी के बल पर वे भर्ती हो गए। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया कि... तभी तो जिनकी सौ-पचास की भी आमदनी है तो वे भी नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में।

किशोर ऐसे ही वातावरण में पढ़ा था और कुशाग्र निकल गया। देर रात-रात तक ढिबरी की रोशनी में किताबों से अपनी आंखें फोड़ता रहता था... उसे पढ़ना ही है। अम्मा-बाबूजी को एक अच्छी जिंदगी देनी है। उनकी हालत तक नहीं देखी जाती थी उससे, जब गाँव का समंदर सिंह आ जाता था दरवाजे पर और चीखने लगता था, 'क्या हो धारी, काम पर नहीं चलना है?''

समंदर सिंह की आवाज सुनकर धारी इस कदर डर जाते थे जैसे उन पर

लाठियाँ बरसने वाली हैं,'' मालिक, आ ही तो आ रहा था कि आप आ गए।''

''समय का भी ध्यान रखा कर, रोज-रोज हम तुझे ढूढंने नहीं आएंगे।'' समंदर सिंह की आंखें ऐसी होती थीं जैसे उनसे खून टपक रहा हो।

किशोर डरता नहीं था। लेकिन धारी को सहमते देख वह भी सहम जाता था। उसकी उम्र अभी इतनी नहीं हुई थी कि वह इतना समझ पाए कि समंदर सिंह आखिर धारी को क्यों डराता है और वे क्यों डर जाते हैं।

''अम्मा, इ कौन आदमी आता है?'' मासूम सा सवाल था किशोर का।

''इ मालिक है बेटा, हमारे अन्नदाता. ..।'' धारी इस तरह मिमियाते थे जैसे समंदर सिंह उनकी पीठ पर खड़े हों।

''मालिक ऐसा होता है?''

''हाँ, ऐसा ही होता है, और चुप कर, उनके बारे में कुछ मत पूछ।'' किशोर के मुंह पर तस्सली रख देती थी अम्मा। किशोर ने देखी थी धारी की बेचैनी, जैसे वे समंदर सिंह के प्रकोप से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। उनके चेहरे पर हताशा जैसी दिखती है जैसे उनके चेहरे पर हल्दी का रंग चढ़ गया हो। अम्मा भी छटपटाती रहती है। उसने अम्मा की मुस्कुराहट नहीं देखी। वह हमेशा फिक्रमंद और परेशान ही दिखती है।

किशोर की आंखों में अम्मा-बाबूजी का चेहरा स्थायी रूप से जम गया है। वह चाहकर भी उसे नहीं निकाल सकता। वह अम्मा-बाबूजी के डर को हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहता है। उसे लगता है, समय ठहर गया है। जल्दी से जल्दी वह बड़ा होना चाहता है। जल्दी से जल्दी वह कुछ करना चाहता है। लेकिन उसके सोचने से कुछ नहीं होना हैं। जल्दी-जल्दी। सभी समयबद्ध तरीके से ही होता है। मनुष्य की सोच से प्रकृति प्रभावित नहीं होती। प्रकृति से हर चीज प्रभावित होती है। जब सारा कुछ प्रकृति से ही प्रभावित होता है तो समंदर सिंह क्यों नहीं प्रभावित होता? उसका साम्राज्य क्यों नहीं प्रभावित होता है, कि वह नायाब है, प्रकृति के बाहर का शख्स है? उसके जेहन में प्रश्नों के बुलबुले समाए हुए हैं जो बेजवाब हैं।

हाई स्कूल जाने पर उसे भी साबका पड़ा था उन छात्रों से जिन्हें सवर्ण कहा जाता है। उसकी दुरावस्था पर सभी ने ठहाके लगाऐ थे। कई किस्म के तंज कसे थे... पढ़कर क्या करेगा रे, बाप के साथ कुछ करते तो, कुछ मिलता, उसकी मदद हो जाती। जिस तरह से अम्मा-बाबूजी जीते रहे हैं समंदर सिंह के प्रकोप में, उसी तरह अब किशोर ने भी अब जीना शूरू कर दिया था। उनके तंज पर उसे गुस्सा आता है, लेकिन अकेला है, उसके पीछे कोई नहीं है, और वह अपने गुस्से को भीतर ही जज्ब कर देता है... हंस लो बेटा, देखना एक दिन मेरा भी दिन आएगा। फटेहाली के बाद भी सालाना इम्तहान का नतीजा घोषित हुआ था, उसके प्राप्तांक ने मास्टर से लेकर छात्रों तक का ध्यान खींचा था।

''नकल की है?'' मास्टर ने तफ्तीश की थी।

किशोर हड़बडा गया था मास्टर के सवाल से, ''नहीं, मास्टर साहेब...।''

''विश्वास नहीं होता कि...।'' मास्टर थे सीताराम शर्मा। उन्हें आश्चर्य हुआ था, ''कहीं ट्यूशन लेते हो?''

''नहीं...''।

''कितनी देर तक पढ़ते हो?''

''जब तक नींद नहीं आती...।''

सीताराम शर्मा को लगता है, यदि किशोर का सही मार्गदर्शन किया जाए तो वह बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। उनकी सिर्फ सोच थी, न कि वे चाहते थे... वाकई में हीरा है, लेकिन हीरे की खूबसूरती उसकी तराश पर निर्भर करती है और तराश कारीगर की दक्षता पर निर्भर करती है। किशोर को तराशा ही नहीं जाएगा। तराशने वाला कोई कारीगर ही नहीं है।

इधर धारी को खांसी होने लगी थी। वे बीमार-बीमार दिखने लगे थे। अम्मा परेशान थी उनकी खांसी से... कहीं टी. बी. तो नही हो गई? समंदर सिंह अमूमन रोज गरियाने आ जाता दरवाजे पर। धारी लाचार-बेबस होकर उसकी गारियाँ सुनते जाते थे। अम्मा कुछ नहीं बोल पाती थी। किशोर खिन्न हो जाता था गारियाँ सुनकर। वह अम्मा पर गुस्सा पड़ता, ''काहे नहीं कह देती, कोई बीमार हालत में कैसे जाएगा?''

''हमें भी गरियाने लगेगा।''

''बाबूजी को गरियाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है?''

''लगता काहे नहीं है?''

''फिर भी चुप रहती हो।''

''चुप रहने में ही हित है।''

लेकिन काम करना जरूरी है। धारी को लगता कि वे स्वस्थ हो गए हैं तो निकल पड़ते थे काम पर। वे इतना काम करते जैसे खांसी होने के समय जो काम बकाया रहे हैं, उसे भी कर डालने की सोचते। फिर भी मालिक क्यों गरियाता है उन्हें?

हाई स्कूल पास करने के बाद भी किशोर की इतनी उम्र नहीं हुई थी कि वह किसी वैकेंसी का फॉर्म भर पाए। हाई स्कूल वह इतने प्राप्तांक से उत्तीर्ण हुआ था कि वह फोकस में आ गया था। उसे ट्यूशन वगैरह दिया जाता तो सीताराम शर्मा जैसे भी मानते हैं कि वह अपने स्कूल का टॉपर हो सकता था। ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकता है? वह अपनी अम्मा को तसल्ली भी तो नहीं दे सकता है... अम्मा कुछ दिन और तकलीफ सह लो। हाई स्कूल उत्तीर्ण होने

के बाद उसमें कुछ-कुछ परिपक्वता आने लगी थी। आखिर समंदर सिंह बाबूजी से क्यों गारियों से ही बात करता है? हमेशा क्यों रौब गांठता रहता है? अपनी बात को सहजता से भी तो कह सकता है। वह उन कारणों की पड़ताल भी करने लगता... अम्मा-बाबूजी क्यों सहमे-सहमे रहते हैं उसके सामने?

जो लड़के उस पर तंज कसते थे, उन्हें जवाब देना है उसे। कॉलेज हॉई स्कूल के आस पास ही था। और कॉलेज क्या? एक कमरा... बिल्डिंग नदारद, टीचर नदारद। क्लास में भी होते है या नहीं। ऐसे में वह क्या पढ़ पाएगा। वह नियमित क्लास वाले कॉलेज में पढ़ना चाहता है। नंबर तो इतने थे ही कि अच्छे कॉलेज में भी उसका दाखिला बगैर हील हुज्जत के हो सकता है। अम्मा-बाबूजी को उसके हाई स्कूल पास करने पर कोई खास खुशी नहीं हुई थी। खुश होने के लिए समझ चाहिए।

''अम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ।'' अम्मा को उसकी बातें कुछ समझ में आई भी थीं, नहीं भी आई थीं।

''पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ेगा।''

''खरचा कहॉ से लाएगा?'' धारी बोले थे। अम्मा बोलना चाहती थी उनके पहले ही।

''आप चिंता न करें, मैं इतना कर लूंगा।''

''कैसे करेगा?'' इस बार धारी से पहले ही अम्मा बोल गई थी, ''मजूरी करेगा कि पढ़ाई करेगा?''

''वहाँ रहने के लिए अम्मा कुछ तो करना ही पड़ेगा।''

''अब तू ही समझ, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।

किशोर घर से दूर हो गया था। उसके पास जो पैसे थे, वे दाखिले में खर्च हो गए। जो कुछ बचे हुए थे, उसे अपने रहने के इंतजाम में खर्च किए। पढ़ाई के साथ-साथ वह क्या कर सकता था, फैसला लेने में कुछ वक्त जाया हो गया, लेकिन इंतजाम भी हो गया। इतना पर भी उसे बाबूजी और अम्मा की चिंता सता रही थी, दोनों कैसे रहेंगे उसके बिना। उनके साथ वह था तो उन्हें भी साहस रहता था। अब तो... और नैना भी बड़ी होने लगी है। वह उसे भी पढ़ाना चाहता है, लेकिन बामन-भूमिहार का गाँव, उसका स्कूल जाना वे कभी बर्दास्त नहीं कर पाएंगे।

''पढ़ने का जी नहीं करता?'' नैना से पूछा था किशोर ने।

''करता नहीं है?'' नैना सकुचाती हुई बोली थी,'' लेकिन घर-दुआर कौन देखेगा, अम्मा-बाबूजी तो दिन भर काम में होते हैं।''

काम की भीड़ में नैना अम्मा-बाबूजी के हाथ बंटाती है। उसकी मजूरी से घर में हरियाली कुछ बढ़ जाती है ऊपरी कमाई की तरह।

किशोर अब कोशिश कर रहा था, पढ़ाई खर्च से अतिरिक्त भी कमाई हो जाए और अम्मा-बाबूजी के हाथों में कुछ दे, लेकिन ऐसा सुयोग कम ही नसीब हो पाता। फिर भी अम्मा-बाबूजी के लिए साड़ी-धोती के पैसे बचा ही लेता था। नैना जब अम्मा-बाबूजी की साड़ी-धोती देखती तो वह भी ठुनकन लगती, ''मेरा भी फ्रॉक फट गया है, मेरे लिए पैसे नहीं हैं क्या?''

किशोर वादा करता, ''अबकी तेरे लिए भी फ्रॉक लेता आऊंगा।''

''क्या-क्या लाएगा?'' अम्मा डांटते नैना को। वह समझती है, किशोर पढ़ने गया है न कि कमाने, ''और तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ऐसा नहीं कि हम लोग उघाड़े देह रहते हैं। पहले अपना देख, हमारी चिंता छोड़... तेरे भी तो खरचे हैं बाहर का मुकान और कितना कमा लेता है? तब पढ़ाई कब करता होगा?''

स्नातक करते-करते किशोर के सब्र का बांध टूट पड़ा था। धारी बीमार पड़े थे। घर की तकलीफ बढ़ गई थी। अम्मा की बलिहारी कि इस हाल में भी संभाले थी घर को। नहीं, अब कुछ करना जरूरी हो गया है। जिससे उसके हाथ में एक मुश्त रकम आ जाए, घर की तकलीफ दूर करने में वह मदद करे। वह अंतिम इम्तिहान दे चुका था। उसके बाद उसका भविष्य सामने खड़ा हो गया था मुँह फाड़कर। क्या कर सकता है वह? आगे की पढ़ाई करेगा कि किसी नौकरी चाकरी के लिए हाथ-पाँव मारेगा? कई दिनों के मनन-चिंतन के बाद उसने फैसला लिया था... पहले जो हाथ लग जाए, उसे स्वीकार कर लेना है, और उसके बाद अपनी योग्यता के अनुसार हाथ-पाँव मारते रहना है। ग्रुप-डी की एक बड़ी वैकेंसी निकली हुई थी। उसने बिना सोचे-विचारे ही फॉर्म भर दिया था। और जिस तरह की उसकी तैयारी थी, वह हल्के में ही हो गया था।

घर में खुशी का वातावरण था। सभी खुशियों के घूंट भर रहे थे। अभी खुशियों का भरपूर सास्वादन करना चाहते थे कि समंदर सिंह आ गया। वह तीखे तेवर में बोलने लगा, '' अब तो धारी, तेरा बेटा कमाने लगा, हमारे यहाँ तो काम नहीं करेगा?''

धारी मौन। वे क्या जवाब दें? सोचने लगे थे... बेटे की पहली कमाई, और घर की हालत ऐसी कि पटरी पर लाने के लिए बहुत समय लगेगा। उसके भरोसे रहना अभी ठीक नहीं होगा... सो...सो.।

''बोला कुछ नहीं? धारी के सिर चढ़ पड़ेगा जैसे समंदर सिंह।

''नहीं मालिक, उसकी कमाई अभी ऊंट के मुँह में जीरा जैसी है। उस पर अभी भरोसा नहीं कर सकते हम। काम काहे नहीं करेंगे? जब तक हमारा सत्

बल चलता रहेगा, लगे रहेंगे मालिक।'' धारी पहले की तरह नहीं गिड़गिड़ा रहे थे बल्कि उनकी आवाज में एक मजबूती की धमक थी और उनकी इस धमक को समंदर सिंह ने भी महसूस किया था।

समंदर सिंह चला गया तो किशोर सोचने लगा... बाबूजी को काम पर जाने से मना कर दें कि नहीं, उन्हें मना करना क्या उचित होगा? वह कुछ देर के बाद ही बोला, ''यकायक काम मत बंद कीजिए, लेकिन अपनी देह से जबरदस्ती भी मत कीजिए। जितना आप कर सकते हैं, उतना ही कीजिए। मन करे तब ही कीजिए। किसी को ये न लगे कि आपने काम करना बंद कर दिया है।''

किशोर की चिंता है नैना... वह थोड़ा भी पढ़ जाती। पढ़ाई की ताकत का अंदाजा हो गया है उसे। लेकिन वह इतनी बड़ी हो गई है कि बच्चों के साथ स्थूल देह लेकर... उसकी उम्र की लड़कियाँ होती तो... और वह अकेली गई तो... एक डर भी उसके जेहन में अंकुरने लगा था। वह सिहर-सिहर जाता था सोचकर। कोई सरल रास्ता नहीं निकल पा रहा था नैना की पढ़ाई का।

ग्रुप-डी की नौकरी भी क्या, वह भी रेल में? उसकी यूनिट एक तरह से टांड पर ही थी। रेल का आवागमन नहीं होता तो ये भी नहीं लगता कि वहाँ आदमी भी रहते हैं। गाड़ी के समय थोड़ी चहल-पहल दिखती है, फिर सन्नाटा। माल-गाड़ियों का आना-जाना सन्नाटे को भंग करता है। रहने की व्यवस्था रेल द्वारा की हुई है। एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। उसी में यूनिट के सारे पोस्टेड कर्मचारी रहते हैं। उसका भी बिस्तर कोने में लगा हुआ है। उसकी यूनिट का कार्यक्षेत्र सात किलोमीटर का है। समय पर ड्यूटी में हाजिर होने के लिए भोर में ही जागना पड़ता है। उसी समय से वह क्या, सभी ड्यूटी पकड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। संयोग ही है कि उसने गैस का एक छोटा सिलेंडर खरीद लिया है। तीन किलो गैस भरवाता है तो लगभग एक महीने काम चल जाता है जब गैस खत्म हो जाती है तो पाँच स्टेशन दूर जाना पड़ता है गैस लाने के लिए। चूल्हे पर खाना पकाना होता तो उसे और ही दिक्कत होती। उठकर वह पहले फरागत होता है। फिर बैटरी वाली लैम्प जलाकर कुछ देर पढ़ता है। पढ़ लेने के बाद खाना पकाने में जुटता है।

खाना पकाकर झटपट नहाता है और... सुबह में वह खाना नहीं खाता। टिफिन ले लेता है। गर्मियों में साढ़े छह बजे और जाड़े में साढ़े सात बजे ड्यूटी लगती है। बिल्कुल समय पर टूल्सबॉक्स पर पहुँच जाना होता है। थोड़ी भी देर हुई कि मेट नागा लगा देता है हाजिरी शीट में। मेट टूल्स बॉक्स के पास यदि देर से पहुँचता है तब ही किसी की कुछ देरी स्वीकार की जाती है, अन्यथा...। सात किलोमीटर के अंदर कहाँ और किस टाइप का काम करना है, यह मेट तय करता है। मेट सेक्शन इंजीनियर से प्रोग्राम लेता है। स्टेशन इलाके में काम होता है तो कुछ राहत होती है। बीच सेक्शन में काम होता है तो... कार्यस्थल तक पैदल ही सब्बल पंजा-गैंता लेकर जाना होता है। जाते-जाते कंधा दुखने लगता है। फिर काम के बाद लौटना। यानि कि सुबह को निकला तो शाम में ही वापस आना होता है। आते-आते हालत खराब। थकावट इतनी कि... अब तो आदत सी पड़ गई है, नहीं तो शुरू के दिनों में कभी-कभी बिना पकाए-खाए ही रह गया है वह। लेकिन इतने पर भी उसने किताबें नहीं छोड़ी। आगे निकल जाने की उसकी उम्मीद अब भी बाकी है। बीच सेक्शन में यदि काम होता है तो दोपहर में टिफिन के समय कोई सो रहा होता है, कोई आराम कर रहा होता है, लेकिन वह पढ़ रहा होता है।

छह महीने में ही घर की हालत बहुत सुधर गई थी अम्मा के चेहरे की चमक में इजाफा होता जा रहा था और धारी साफ-सुथरे दिखने लगे थे। अम्मा की सारी उम्मीदें अब किशोर पर टिक गई थी। रेस्ट में वह जब भी आता, अम्मा की कोई न कोई फरमाइश उसे सुननी पड़ जाती थी। घर का रहन-सहन एक निश्चित आय के अनुकूल हो गया था। थोड़ा भी कम पड़ने का असर साफ दिखन लगेगा। कम मिलने पर अम्मा सवाल भी कर बैठेगी... जो देते रहे हो उससे कम क्यों है। यदि वह तीन-चार दिन एबसेंट हो गया, अपनी ड्यूटी से और उसका वेतन कट गया तो... अब अम्मा चुटकियों में थूक लगाकर रुपए गिनना भी सीख गई है।

किशोर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करे... फाइनल एग्जाम है और उसने पूरी उम्मीद कर रखी है कि इस बार निकाल लेगा, लेकिन थोड़ी और मेहनत की जरूरत उसे महसूस हो रही थी। कई एग्जामों में उसने हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ ही नम्बरों से पिछड़ गया। ऐसा क्यों हुआ, वह बाखूबी समझता है। कड़े काम के बाद पढ़ाई। दस-बीस दिन की छुट्टियाँ मिल जाती तो तैयारी करने में सहूलियत हो जाती, लेकिन एक तो नई नौकरी और उस पर काम का दवाब। इतने दिनों की छुट्टियाँ नामुमकीन ही थी। एक ही उपाय था काम से एबसैंट होना, जो वह किसी भी हालत में नहीं कर सकता था।

लगता है उसका सपना पूरा नहीं होगा वह योग्य होकर भी ग्रुप-डी का ही कर्मचारी बनकर रह जाएगा। कई तीखे सवाल उसके जेहन में जमे हुए थे बर्फ की तरह। दुकान से नाश्ता कर वह स्टेशन की तरफ निकल रहा था। गाड़ी आने में अब भी देरी थी, फिर भी पानी की टंकी के नीचे यात्रियों की चहल-पहल बढ़ी हुई थी। ■

मुद्रा चिकित्सा: कमाल उंगलियों का

■ ओशो सिद्धार्थ औलिया एवं डॉ. रमेश पुरी

हमारा समय बहुत तनावों भरा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े - सब तनाव से ग्रस्त हैं और यह अनेक असाध्य रोगों को जन्म दे रहा है। न तो हमारी खान-पान की आदतें सुधर रही हैं और न ही हमारे पास व्यायाम के लिए समय है। परिणाम? मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की! आज इलाज़ के लिए लोगों को ज़मीन-मकान तक बेचने की नौबत आ रही है। नए रोग सामने आ रहे हैं और पुराने रोगों से पीड़ितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कई तो जड़ी-बूटियां भी इतनी महंगी हैं कि गरीब जनता उसे आज़माने में असमर्थ है।

एलोपैथिक से इतर चिकित्सा-पद्धति के रूप में आसन और प्राणायाम की चर्चा बहुत होती है। परन्तु आसन-प्राणायाम भी प्राय: स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकते हैं और इनके लिए खाली पेट रहना भी अनिवार्य-सा है। ऐसे में, मुद्रा चिकित्सा इसका एक शानदार विकल्प है। लोगों को इसकी थोड़ी-बहुत जानकारी भी है, मगर फिर भी वे इनका प्रयोग नहीं करते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि हम बिना दवा के ठीक हो सकते हैं।

यह वैकल्पिक चिकित्सा आचार्य केशव देव की देन है, जिसे स्विटजरलैंड की मैडम जी. हिरषी ने प्रचारित कर पश्चिम में काफी लोकप्रियता हासिल की है। इसमें न किसी डाक्टर की आवश्यकता है, न अस्पताल की, न ही यंत्र और न पैसों की। घर बैठे अपना इलाज करिए - बिल्कुल मुफ्त और दुष्परिणाम की चिंता से मुक्त होकर।

मुद्रा चिकित्सा का अर्थ है-हाथ की उंगलियों को मोड़कर बनाई गई मुद्राएं। ये मुद्राएं किसी भी दवा से ज्यादा प्रभावी हैं, आज़मा कर देखिए तो सही। दूसरी बात, अधिकतर मुद्राएं हर स्थिति में- चलते-फिरते, सोते-जागते, उठते-बैठते किसी भी स्थिति में की जा सकती हैं। कुछ ही मुद्राओं को आसन विशेष के साथ करने की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर जिन पाँच तत्वों-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से मिलकर बना है, हमारी पांचों उंगलियां उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हीं पांचों तत्वों का संतुलन जब बिगड़ता है, तो हम अस्वस्थ होते हैं। ये पांचों तत्व नीचे के पांच चक्रों से जुड़े हैं। प्रत्येक चक्र एक-एक सौ नाड़ियों में जीवन ऊर्जा के प्रवाह को संचालित करता है। विभिन्न मुद्राओं के प्रयोग द्वारा हम इन चक्रों को जागृत कर असाध्य रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जो स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी इनकी बड़ी उपयोगिता है।

हमारे शरीर में पांचों तत्व - अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। हमारी हर बीमारी का एक ही मतलब है कि शरीर में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है।

मुद्रा-विज्ञान योग एवं आयुर्वेद के तत्व-विज्ञान पर आधारित है। इसके अनुसार, हाथ की पांचों उंगलियां पांच तत्वों का निम्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं-

कनिष्ठा - जल तत्त्व

अनामिका - पृथ्वी तत्त्व

मध्यमा - आकाश तत्त्व

तर्जनी - वायु तत्त्व

अंगुष्ठ - अग्नि तत्त्व

आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त एवं कफ के असंतुलन से रोग पैदा होते हैं। तर्जनी व मध्यमा वात को, अंगुष्ठ पित्त को तथा अनामिका व कनिष्ठा अंगुलिया कफ को नियंत्रित करती हैं।

हर उंगली के तीन भाग हैं- शीर्ष, मध्य और मूल या जड़। उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबाया जाए, तो मध्य भाग स्वाभाविक रूप से दबता है।

मुद्रा चिकित्सा की मान्यता है कि किसी भी उंगली के शीर्ष को अंगूठे के शीर्ष भाग से मिलाने से तत्व सम होता है, जड़ में लगाने से तत्व विशेष बढ़ने लगता है और उंगली को मोड़कर अंगूठे के अग्रभाग से दबाने पर घटने लगता है।

अधिकांश मुद्राएं शरीर के तत्व को परिवर्तित करने में 45 मिनट का वक्त लेती हैं। लेकिन कई मुद्राओं का असर कुछ ही मिनट में दिखने लगता है।

कहीं भी किसी भी स्थान पर उठते-बैठते आप मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा एक हाथ से भी लगाई जा सकती है लेकिन अधिकतम परिणाम के लिए अच्छा हो कि मुद्रा दोनों हाथों से बनाई जाए। बाएं हाथ की मुद्रा से दाएं और दाएं हाथ की मुद्रा से बाएं भाग का शरीर प्रभावित होता है।

पृथ्वी तत्त्व के असन्तुलन से शरीर में जड़ता, मन में उदासी, तामसिकता,

शरीर में भारीपन व कमजोरी, अस्थि रोग इत्यादि हो जाते हैं।

जल के असन्तुलन से सर्दी जुकाम, कफ, अस्थमा, मूत्ररोग, शरीर में सूजन, प्रजनन अंगों के रोग इत्यादि हो सकते हैं।

अग्नि तत्त्व के असंतुलन से गर्मी सम्बन्धी रोग- बुखार, ऊर्जा में कमी; त्वचा रोग- सोरायसिस, खुजली, दाद; गैस, एसिडिटी, मधुमेह, मानसिक असन्तुलन आदि रोग होते हैं। वायु तत्त्व के असंतुलन से स्नायु तंत्र, हृदयरोग, शारीरिक पीड़ा, निराशा, अवसाद, रक्तचाप आदि रोग होते हैं।

आकाश तत्त्व के असंतुलन से त्रिदोष, गले के रोग, खाँसी, थायरायड, स्वर तंत्र के रोग होते हैं।

पृथ्वी तत्त्व - मूलाधार चक्र, जल तत्त्व- स्वाधिष्ठान चक्र, अग्नि तत्त्व- मणिपुर चक्र, वायु तत्त्व - अनाहत चक्र और आकाश तत्त्व - विशुद्धि चक्र से सम्बन्धित है। रीढ़ में स्थित ये पाँचों चक्र और मस्तिष्क में स्थित आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र मिलकर हमारे हार्मोन्स स्रावों पर नियंत्रण रखते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सक्षम बनाते हैं। इन्हीं चक्रों के साथ 72864 नस-नाड़ियाँ जुड़ी हैं। यदि इन चक्रों में कहीं भी कोई भी गड़बड़ होती है, तो हम अस्वस्थ होते हैं और इन चक्रों में तभी असन्तुलन होता है, जब इन पाँचों तत्त्वों का आपसी संतुलन बिगड़ता है। इन पाँच तत्वों के स्विच हमारी उंगलियों में हैं। कह सकते हैं कि हमारे हाथों की अंगुलियां दिव्य औषधालय जैसी हैं।

अग्नि आँखों को, वायु त्वचा को, आकाश कान को, पृथ्वी गंध को तथा जल तत्व श्वास को नियंत्रित करते हैं।

अंगूठे का संबंध बुद्धि से, तर्जनी का मन से, मध्यमा का गले से, अनामिका का शक्ति से और जल का यौवन से है।

अंगूठा परमात्मा का, तर्जनी आत्मा की, मध्यमा सतोगुण, अनामिका रजोगुण और कनिष्ठका तमोगुण की प्रतीक है।

इन अंगुलियों के माध्यम से ही पांचों तत्वों का सन्तुलन होता है और यदि यह सन्तुलन बिगड़ जाता है तो इन्हीं अंगुलियों के प्रयोग से पुनः सन्तुलन बना सकते हैं और निरोग हो सकते है। इस सन्तुलन के बिगड़ने से पैदा किसी भी रोग का निवारण अंगुलियों के माध्यम से किया जा सकता है।

पांचों तत्त्वों के संतुलन हेतु मुख्यतः आठ मुद्राएं हैं जिन्हें तत्त्व मुद्राएं कहते हैं- चारों अंगुलियों को बारी-बारी से अंगूठे के साथ जोड़कर चार और चारों उंगलियों को बारी-बारी से मोड़कर भी चार और मुद्राएं बनती है। हमारे शरीर में पांच प्रकार की वायु (प्राण) है। इन पांच प्राणों के आधार पर पांच प्राणिक मुद्राएं बनती हैं। कुछ ही मुद्राओं के लिए दोनों हाथों को मिलाना होता है। कुछ रोगों के लिए दोनों हाथों में अलग-अलग मुद्राएं बनानी होती हैं।

एक-दो उदाहरण देखें। यदि आपको छींके आ रही हों तो अनामिका उंगली के मूल पर अंगूठे से दबाव बनाएं तुरंत छींक बंद हो जाएगी। यह पृथ्वी मुद्रा है। शून्य मुद्रा यानी मध्यमा को अंगूठे की जड़ में लगाने से दो-तीन मिनट में ही कान दर्द ठीक हो जाता है। यदि किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो, तो अपान वायु मुद्रा करने से तुरन्त लाभ होता है। हार्ट अटैक प्रायः प्रातः 3 से 6 बजे के बीच ही होता है। उस समय आप डाक्टर को नहीं बुला सकते, आपको तुरन्त अस्पताल भागना पड़ता है और थोड़ा सा भी विलम्ब हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपान वायु मुद्रा लगाकर आप जीवन दान पा सकते हैं।

जिस हाथ में हम यह मुद्राएं बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। कई मुद्राएं तो इन्जैक्शन से भी जल्दी अपना असर करती हैं। मुद्राओं को 10 से 15 मिनट करने से ही लाभ दिखने लगता है। पुराने रोगों में लंबे समय तक इनका अभ्यास रोज़ाना लगभग 45 मिनट करना पड़ता है।

पांचों तत्त्वों के संतुलन हेतु मुख्यतः आठ मुद्राएं हैं जिन्हें तत्त्व मुद्राएं कहते हैं- चारों अंगुलियों को बारी बारी से अंगूठे के साथ जोड़कर चार और चारों उंगलियों को बारी-बारी से मोड़कर भी चार और मुद्राएं बनती है। हमारे शरीर में पांच प्रकार की वायु (प्राण) है। इन पांच प्राणों के आधार पर पांच प्राणिक मुद्राएं बनती हैं। कुछ ही मुद्राओं के लिए दोनों हाथों को मिलाना होता है। कुछ रोगों के लिए दोनों हाथों में अलग-अलग मुद्राएं बनानी होती हैं।

मुद्राएं आध्यात्मिक साधना व आत्म-विकास में भी बहुत उपयोगी हैं। मुद्रा कोई भी हो, केवल एक बात का ध्यान रखना होता है कि भोजन के तुरन्त बाद कोई मुद्रा नहीं लगानी चाहिए-सिवाए आपात् स्थिति के। एक मुद्रा के बाद दूसरी मुद्रा तुरन्त लगाई जा सकती है। यदि गहरे-लम्बे श्वास के साथ मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो लाभ शीघ्रता से होता है। ■

(लेखक भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान, ओशोधारा नानक धाम, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा से सम्बद्ध हैं।)

भेरू सिंह 'क्रान्ति' की लघुकथाएं

सबक

नगरपालिका का चुनाव परिणाम घोषित हुआ। एक प्रत्याशी निराशा लिए अपने मित्र से कह रहा था–'आगामी चुनाव में इस वार्ड से नहीं दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ूंगा।

मित्र बोला–'हार जीत तो होती रहती है। वार्ड बदलने की क्या जरूरत है।'

पराजित प्रत्याशी कहने लगा–'अरे, इस वार्ड के लोग बड़े निकम्मे और नालायक हैं। दस लाख लुटाए, कई कार्टून अंग्रेजी शराब पिलाई पर वादा करके मुकर गए।' उसके स्वर में दर्द भरा रोष था।

एक सज्जन यह सुन रहा था बोला–'वे लोग निकम्मे और नालायक नहीं हैं। उन्होंने तुम्हें सिखलाया है कि वोट पैसों और शराब से नहीं, सेवा, सद्व्यवहार, ईमानदारी और विकास से मिलते हैं। वार्ड नहीं अपने चरित्र को बदलने की जरूरत है।

कलंक

माँ, मैं दुनिया को देखने के लिए बड़ी बेताब हूँ। मैंने अभिमन्यु की तरह तुम्हारी कोख में तुम्हारे और पिताजी के द्वन्द्व को सुन लिया है। पिताजी को बेटी पैदा होना पसंद नहीं है।' गर्भस्थ अजन्मी बेटी की आवाज थी।

'बेटी मैं तुम्हारी मनः पीड़ा को अच्छी तरह समझ रही हूँ। मेरा मातृ हृदय अपनी ममता का स्वप्न में भी गला घोंटना नहीं चाहता है लेकिन तुम्हारे पिता पत्थर हृदय है। दादीजी दादाजी के कलेजे तो वज्र के हैं। तुम्हारी बुआ तो इनसे भी चार कदम आगे है। वह आग में घी डालती रहती है।' कहते–कहते माँ बिलख उठी।

'माँ, अबला मत बनो। तुम शक्ति रूप हो। सबला हो। मैं सुनीता विलियम्स बनना चाहती हूँ। मेरे अरमानों को उड़ान भरने से मत रोको। परिवार आज जो मुझे नकार रहा है एक दिन मेरे पर गर्व करेगा। शक्तिपुंज बन तुम इनका प्रतिरोध करो।' अजन्मी बेटी ने माँ के मनोबल को दृढ़ता दी।

माँ का मातृत्व जगा। वह सशक्त स्वर में परिवार वालों से बोली– 'मैं अपनी कोख को भ्रूण हत्या का कलंक न लगने दूंगी। मेरी बेटी अपने अरमानों की दुनिया देखेगी।'

चरित्र संस्कार

विक्रम और विद्या सेवानिवृत्त हो गए। दोनों बेटे सुधांशु और हिमांशी सपरिवार बाहर थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात् अकेलापन दोनों को नीरस लग रहा था। बेटों को गांव आने के लिए फोन किया लेकिन दोनों ने ऑफिस की व्यस्तता व बच्चों की पढ़ाई की वजह से आने से मना कर दिया। मन मसोस कर सोचा भगवान ने बेटी दी होती तो वह बीच–बीच में आकर संभाल जाती।

सत्संग में जाकर अब दोनों अपने एकाकीपन की पीड़ा को कम करने लगे। एक दिन सत्संग में स्वामीजी को अपनी मनः व्यथा बतलाते हुए विक्रम बोला–'स्वामीजी, दोनों पुत्रों की उच्च शिक्षा व भौतिक सुख–सुविधाओं पर अधिक से अधिक धन व्यय कर हमने दोनों को योग्य बनाया। आज दोनों उच्च पदों पर है। लेकिन हम आज बेटों और पौत्रों से मिलने के लिए तरस रहे हैं।'

स्वामीजी बोले–'बच्चों को शिक्षा के साथ–साथ संस्कार चाहिए। तुम दोनों अर्थोपार्जन में लगे रहे। बच्चों को माता–पिता का जो स्नेह, ममता और सान्निध्य मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिला। स्नेह, ममत्व व सान्निध्य हृदय को हृदय से जोड़ते हैं। यही जुड़ाव संस्कार सृजन का आधार होता है। संस्कारों से ही चरित्र संगठित होता है। चरित्र व संस्कार मोहल्ले, बाजार व स्कूलों में नहीं मिलते।

समय

नोबेल पुरस्कार से नवाजे जाने पर मीडिया टीम प्रातः लेखिका के आवास पर साक्षात्कार के लिए जा पहुंची। कॉलबेल बजने पर विदुषी साहित्यकार द्वार पर आई और बोली–'प्रातः इस समय आपका कैसे आगमन हुआ?

'मैडम, आपको सर्वोच्च नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है एतदर्थ मीडिया की ओर से हार्दिक बधाइयां। हम साक्षात्कार के लिए आपका कुछ समय लेना चाहते हैं।' मीडिया प्रमुख ने आग्रहपूर्वक कहा।

'सर मैं साहित्यकार होने के साथ–साथ एक माँ भी हूँ। मेरा यह समय अपने शिशु को संस्कार शिक्षण और वात्सल्य प्रदान करने का है। मैं उसे इससे वंचित नहीं रख सकती। क्षमा चाहती हूँ।

मीडिया टीम को लगा माँ की सच्ची परिभाषा यही तो है।

बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष 2015-16 के दौरान डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रमों/आयोजनों का ब्यौरा

i) **डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय 'केंद्र':** भारत सरकार ने 15, जनपथ, नई दिल्ली में लगभग 195 करोड़ रुपये की लागत से डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के अनुमोदनोपरांत दिनांक 20.04.2015 को 15, जनपथ, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री ने 'केन्द्र' का शिलान्यास किया था।

ii) **प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को 'राष्ट्रीय सामाजिक समरसता दिवस' के रूप में मनाना:** प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को 'राष्ट्रीय समरसता दिवस' के रूप में मनाने के लिए मंत्रालय ने 24 जून, 2015 को अधिसूचना जारी की थी।

iii) **राष्ट्रीय समिति की बैठक:** डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं देश-व्यापी जयंती मनाने के संबंध में राष्ट्रीय समिति की बैठक दिनांक 23.7.2015 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें इस देश-व्यापी जयंती वर्ष को मनाने की प्रबंध व्यवस्था एवं दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श किया गया। इस राष्ट्रीय समिति को दिनांक 30 मई, 2015 को अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

iv) **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का स्मारक डाक टिकट जारी करना:** डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का स्मारक डाक टिकट, बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष मनाने के एक भाग रूप में, पीआईबी सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत द्वारा 30.9.2015 को जारी किया गया था।

v) **100 अनुसंधान छात्रों का यूएसए और यूके का अध्ययन दौरा:** डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के वर्ष भर 125वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में और अभिज्ञात गतिविधियों में से एक गतिविधि के रूप में, कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके में 25-25 अनुसंधान छात्रों के चार समूहों अर्थात् कुल 100 अनुसंधान छात्रों के अध्ययन दौरा कार्यक्रम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने अनुमोदित कर दिया था। इन दोनों शैक्षिक संस्थानों में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अक्टूबर और नवम्बर, 2015 के दौरान, अनुसंधान छात्र कोलंबिया विश्वविद्यालय, यूएसए और लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स, यूके गए थे।

vi) **'संविधान दिवस' मनाना:** डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष में वर्ष भर समारोह आयोजित करने के भाग के रूप में और इस हेतु अभिज्ञात गतिविधियों में से एक गतिविधि के रूप में, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को "संविधान दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 19 नवम्बर, 2015 को तत्संबंधी अधिसूचना जारी की, ताकि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों का संवर्द्धन किया जा सके। तद्नंतर, देश भर में 26 नवम्बर को प्रथम "संविधान दिवस" समुचित ढंग से मनाया गया था।

vii) **विदेश स्थित भारतीय मिशनों में 125वीं जयंती मनाना:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों में डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए विदेश मंत्रालय को 20.11.2015 को 2.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसके अलावा, विदेश स्थित भारतीय मिशनों में जयंती मनाने के लिए 6.4.2016 को 1.25 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त मंजूर की जा चुकी है।

viii) **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पर संस्मरण सिक्का जारी करना:** बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में 06.12.2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त मंत्री और श्री थावरचंद गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की उपस्थिति में 7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पर 10 रुपए तथा 125 रुपए का संस्मरण सिक्का जारी किया।

ix) **डॉ. अम्बेडकर का 60वां "महापरिनिर्वाण दिवस" मनाना:** संसद भवन लॉन में 6.12.2015 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का 60वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। भारत के राष्ट्रपति ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने में राष्ट्र की अगुवाई की। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा अध्यक्ष (डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान) ने भी डॉ. अम्बेडकर को पुष्पाजंलि अर्पित की। अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिष्ठित नेताओं तथा आम जनता से काफी संख्या में लोगों ने भी इस अवसर पर भाग लिया।

x) **'औद्योगीकरण और उद्यमिता' पर डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों और विचारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन:** वर्ष भर चलने वाले समारोहों तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के अभिज्ञात कार्यकलापों के एक भाग के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 29 दिसम्बर, 2015 को दलित चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के सहयोग से औद्योगिक और उद्यमित पर डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों तथा विचारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को सह-प्रायोजित किया।

xi) **राष्ट्रीय एकता के लिए युवा दौड़:** वर्ष भर चलने वाले समारोह तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के अभिज्ञात कार्यकलापों के एक भाग के रूप में 12.01.2016 को नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से लखनऊ में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय एकता के लिए युवा दौड़' के एक कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई।

xii) **डॉ. अम्बेडकर पर झांकी:** वर्ष भर चलने वाले समारोह तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के अभिज्ञात कार्यकलापों के एक भाग के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस अर्थात् 26 जनवरी, 2016 को राजपथ, इंडिया गेट, नई दिल्ली में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पर एक झांकी प्रदर्शित की।

xiii) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए करना:** मंत्रिमंडल ने 27.01.2016 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए करने को अनुमोदित कर दिया है।

xiv) **डॉ. अम्बेडकर से संबद्ध दो प्रमुख स्थानों का विकास:** (i) नागपुर स्थित दीक्षा भूमि के जीर्णोद्धार (ii) एम एस विश्वविद्यालय, बड़ौदरा, संकल्प भूमि के निकट, बड़ौदा में स्थापित एक नए डॉ. अम्बेडकर

पीठ के लिए महाराष्ट्र सरकार को 941.00 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की संस्वीकृति दिनांक 12.01.2016 को दी गई।

xv) **भारतीय संविधान, संविधान सभा तथा बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की जीवनी एवं कृति के बारे में एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता :** डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ने पूरे भारत में भारतीय संविधान, संविधान सभा तथा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी एवं कृति के बारे में दिनांक 16.01.2016 को एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया।

xvi) **कार्यकारी समिति की बैठक :** डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के राष्ट्रव्यापी समारोह से संबद्ध कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 01.02.2016 को माननीय गृह मंत्री तथा माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की सह-अध्यक्षता में गृह मंत्रालय के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। कार्यकारी समिति ने राष्ट्रीय समिति के सदस्यों के सुझावों तथा दिनांक 23 जुलाई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। कार्यकारी समिति को दिनांक 23 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया।

xvii) **डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता ने माध्यमिक एवं माध्यमिकोत्तर कक्षा के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार प्रदान किए एवं डॉ. अम्बेडकर की संगृहीत कृतियों का ऑडियो बुक (सीडी) जारी किया :** वर्ष भर चलने वाले समारोहों तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के लिए चिह्नित कार्यकलापों के भाग के रूप में, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने दिनांक 03.02.2016 को इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया, माध्यमिक एवं माध्यमिकोत्तर कक्षा के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार प्रदान किया गया तथा डॉ. अम्बेडकर की संगृहीत कृतियों का ऑडियो बुक (सीडी) जारी किया।

xviii) **डॉ. अम्बेडकर का लोगो टैग-लाइन:** माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता ने डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर दिनांक 17.02.2016 को एक लोगो टैग-लाइन अनुमोदित किया।

xix) **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक तथा 6ठा डॉ. अम्बेडकर स्मारक व्याख्यान :** माननीय प्रधानमंत्री ने डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, 26, अलीपुर रोड, दिल्ली की आधार शिला रखी तथा माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) तथा माननीय मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान) की उपस्थिति में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिनांक 21 मार्च, 2016 को छठवां डॉ. अम्बेडकर स्मारक व्याख्यान दिया।

xx) **नये अम्बेडकर पीठों की स्थापना:** वर्ष भर चलने वाले समारोहों तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के लिए चिह्नित कार्यकलापों के भाग के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने दिनांक 17.03.2016 को भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थाओं में 11 नये डॉ. अम्बेडकर पीठों के लिए अपना अनुमोदन दिया।

xxi) **डॉ. अम्बेडकर के बारे में एक वर्चुअल संग्रहालय :** सी-डैक, पुणे, डीईआईटीवाई को डॉ. अम्बेडकर के बारे में एक वर्चुअल संग्रहालय का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है। संग्रहालय का निर्माण कार्य काफी हद तक हो चुका है।

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारकः 26, अलीपुर रोड़, दिल्ली

06 दिसम्बर 1956 को बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर जी ने इसी स्थल पर अंतिम सांसे ली थी।

तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 02 दिसम्बर 2003 को डॉ. अम्बेडकर के परिनिर्वाण स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया था।

डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों द्वारा दिनांक 21 मार्च 2016 को इस भव्य स्मारक का शिलान्यास किया गया, जिसका मॉडल

जाति प्रथा एक समस्या : कारण और निवारण

■ प्रो. अजमेर सिंह काजल

''सही राष्ट्रवाद है, जाति भावना का परित्याग और जाति-भावना गहन साम्प्रदायिकता का ही रूप है।''

-बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज और संस्कृति में व्याप्त शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने वाले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज को तार्किक, नैतिक और चेतन बनाने में लगा दिया। उन्होंने दलित-बहुजन समाज को शिक्षित संगठित और संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए कई तरह के आंदोलन चलाए जिससे उनमें अधिकार बोध पैदा हुआ। डॉ. अम्बेडकर के बौद्धिक व्यक्तित्व की धमक कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक से होती हुई भारत तक आ पहुंची थी। इसी बदौलत वे वायसराय कौंसिल संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, संसद सदस्य और कानून मंत्री के रूप में ख्यात हुए। लेकिन हिंदू समाज और संस्कृति ने उनकी प्रतिभा और बौद्धिकता को जातीय में से ही देखा जिसके कारण उन्होंने शासन, सत्ता और संस्कृति के विभिन्न केंद्रों में मौजूद जातीय सैद्धांतिकी को चुनौती दे डाली। इसी कालखंड में उनकी पहचान एक गंभीर अध्येता, आंदोलनकर्मी के रूप में बनी। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को अमेरिका और लंदन में पढ़ते हुए सामाजिक समानता का जो अहसास हुआ वह भारतीय जीवन से कहीं नहीं था। उन्होंने मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा पर रोक की खिलाफत करते हुए संकल्प लिया कि मानवीय शोषण की इस राष्ट्रीय समस्या से शोषित वर्ग को मुक्ति दिलवाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फलत: इस बीमारी को मिटाने हेतु संघर्ष का बिगुल बजा दिया।

जाति हिंदू सामाजिक व्यवस्था की एक ऐसी सामाजिक पहचान है जिसके तहत व्यक्ति को बिना किसी अपराध के दंडित और बिना किसी कार्य के सम्मानित किया जाता है। यह क्रमिक असमानता की ऐसी इकाई है जिसे सामाजिक स्तरीकरण के मानक के रूप में धर्म - शास्त्रों में मान्यता प्राप्त है। यह सामाजिक यथास्थितिवाद की परिचायक है जिसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शीर्ष जाति के सदस्य अन्य जाति के सदस्यों पर लोक जीवन में वर्चस्व बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। जाति व्यवस्था ने हिंदुओं को मानसिक रूप से बीमार और अनैतिक बना दिया है। जिसके कारण अनेक जातियां पुश्तैनी छुआछूत की शिकार हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आर्डर इन कौंसिल (आज्ञापत्र) भाग में 9 भागों में विभक्त इस सूची में 429 जातियां सम्मिलित थीं जो वर्तमान में बढ़कर एक हजार से अधिक हो चुकी हैं। ''इस प्रकार हिन्दुओं की अस्पृश्यता एक अजीब दस्तूर है संसार के किसी दूसरे हिस्से में आज तक कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती।[1]

बाबासाहेब अछूतों और हिन्दुओं के जाति-प्रथा संबंधी रवैए के अंतर को जानते थे। वे गांधी जी की छुआछूत मिटाने की दृष्टि और हृदय परिवर्तन के अभियानों की असलीयत भी जान चुके थे। यही कारण था कि वे आर्य समाज लाहौर के जात-पांत तोड़क मंडल के मंत्री संतराम द्वारा सितम्बर 1935 को जाति प्रथा संबंधी प्रश्नों पर आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु आमंत्रित करने पर कहते हैं- "सैद्धान्तिक रूप से मैं ऐसे किसी आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं करता, जो सवर्ण हिन्दुओं द्वारा चलाया गया हो। सामाजिक सुधार के प्रति उनका रवैया मुझसे इतना भिन्न है कि मेरे लिए उनके साथ काम करना कठिन है। वास्तव में, मेरे और उनके विचारों में विभिन्नता के कारण मुझे उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अध्यक्षता करने का अनुरोध किया तो मैंने उसे अस्वीकार कर दिया था।''[2]

आयोजकों के बार-बार आग्रह के बाद उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। बाबासाहेब ने 27 अप्रैल 1936 को जात-पांत तोड़क मंडल के नेता हरभगवान को पत्र लिखकर कहा था "जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को ढ़ोया जाता रहेगा, व्यक्ति तार्किक नहीं बनेगा। वह भावुकता का पुलिंदा बना रहेगा। डॉ. अम्बेडकर ने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हुए गहन अध्ययन के बाद एक विस्तृत शोध आलेख तैयार किया, लेकिन इस आलेख को पढ़ने के बाद मंडल सदस्यों की धार्मिक आस्थाएं जवाब देने लगी। परिणामत: इस आयोजन का त्रासदीपूर्ण अंत हुआ। ''निश्चय ही मेरे जीवन में यह पहला अवसर है, अब कि सवर्ण हिन्दुओं के किसी सम्मेलन की

अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। मुझे अफसोस है कि त्रासदी में इसका अंत हुआ किन्तु ऐसे कठोर संबंधों से कोई भी क्या आशा कर सकता है, जहां-जहां सवर्ण हिन्दुओं के सुधारवादी और अछूतों के आत्म-सम्मानी वर्ग के बीच संबंध इतने कठोर हों कि सवर्ण हिन्दुओं को अपने कट्टरपंथी साथियों से अलग होने की कोई इच्छा न हो और आत्म-सम्मानी अछूत वर्ग के पास सुधारों पर जोर देने के अलावा कोई विकल्प न हो।"

जाति प्रथा की समस्या पर सुधारवादी दृष्टि अपनाने को लेकर किए जा रहे कार्यों को आखिरकार डॉ. अम्बेडकर की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि वे वास्तव में सुधारवादी थे तो उन्हें अंबेड्कर के विचारों को अध्यक्षीय भाषण के रूप में स्वीकार करना चाहिए था। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हुआ? हो सकता है वे डॉ. अम्बेडकर के बहाने अछूत समाज और विशेषकर पंजाब के अछूतों में मंगूराम के नेतृत्व में पैदा हो रहे आद्धर्मी यानी मूलनिवासी जैसे आत्म-सम्मानी आंदोलन को भटकाना चाहते हों, लेकिन भाषण पढ़कर उन्हें यह भांपने में देरी नहीं की कि डॉ. अम्बेडकर की बौद्धिकता उनसे कहीं आगे की चीज है और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों से मंडल में खलबलाहट मच गई थी। यदि मंडल का लक्ष्य जाति प्रथा समाप्ति था, जैसा उनके नाम से ज्ञात होता है तो बाबासाहेब को सम्मान देना चाहिए था। वे उन पर राजनीति करना चाहते थे मगर डॉ. अम्बेडकर ने उनकी योजना को ध्वस्त कर दिया और साबित कर दिया कि उनकी बौद्धिकता में दृढ़ता हैं और इसी दृढ़ता के बल पर वे जाति उन्मूलन संबंधी संघर्ष को जारी रखेंगे। उपरोक्त घटना साबित होता है आर्य समाज सनातनी हिन्दू व्यवस्था का नया संस्करण मात्र है। यदि वे वास्तव में जाति प्रथा की समाप्ति चाहते तो इस ऐतिहासिक अवसर को मुफ्त में ही गंवाना नहीं चाहिए था।

समाजशास्त्री व अध्येता गेल ओमवेट अम्बेडकर के हिन्दू समाज, धर्म और जाति संबंधी विचारों पर गांधी जी की प्रतिक्रिया पर कहती है- ''उनका मत था कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मग्रन्थों से नहीं निकली है।... उन्होंने आगे कहा कि मेरी बुद्धि तथा मेरे आध्यत्मिक अनुभव के अनुसार धर्मग्रन्थों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।... इस प्रकार गांधी ने न केवल चार वर्णों में अपना विश्वास दोहराया बल्कि स्वधर्म में भी विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण, किसान, कारीगर और सफाई कर्मचारी के अपने-अपने पारंपरिक पैसे में बने रहने की वकालत की। यह उग्र दलितों के लिए अस्वीकार्य था। अम्बेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया।... 1932 के बाद डॉ. अम्बेडकर ने गांधी को कभी भी सुधारक नहीं माना, बल्कि उन्हें जाति को बढ़ावा देने वाला हिन्दू धर्म का समर्थक माना। उन्होंने कहा कि गांधी भारतीय गांवों को अनायास ही महिमामंडित करते हैं। दरअसल ये स्थितिवादी हैं, वे समाज में बुनियादी परिवर्तन नहीं चाहते। 1939 में 'फेडरेशन सर्वेज़ फ्रीडम' विषयक व्याख्यान में उन्होंने कड़े शब्दों में अपने निर्णय की घोषणा की - 'मेरे मन में कोई संदेह नहीं कि गांधी का युग भारत के लिए अंधकार का युग है। इस युग में भविष्य के आदर्शो को पाने के लिए जोर दिया जाता है, लेकिन लोगों को पुराने युगों की मान्यताओं में धकेला जा रहा है।''[5]

बाबासाहेब अम्बेडकर के सांस्कृतिक आंदोलन का आगाज सांस्कृतिक विसंगतियों की आलोचना से प्रारम्भ होकर मनुस्मृति दहन और आगे बढ़कर बौद्ध धम्म के अंगीकार तक पहुंचता है। ''ब्राह्मणवादी परम्पराओं को दी गई डॉ. अम्बेडकर की चुनौती ने उन्हें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी के सामने ला खड़ा किया। कहना न होगा कि अम्बेडकर का राष्ट्रवाद अपनी जगह बरकरार था। गोलमेज सम्मेलन के समय से लेकर 1935 में डॉ. अम्बेडकर की इस घोषणा कि "मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूंगा'' के समय तक डॉ. अम्बेडकर-गांधी द्वारा दी आवाज पूरे भारत में सुनाई पड़ती थी।''[6]

सामाजिक विखण्डन, घोषणा और असहिष्णुता की ऐतिहासिक बुराईयों पर बौद्धिक विमर्श को तवज्जों ने देने के अर्थ और उद्देश्य को डॉ. अम्बेडकर जानते थे। हिन्दू शास्त्रों की पवित्रता पर सवाल उठाए बिना जाति व्यवस्था को ढ़हाना असंभव है। यह सौ फीसदी सच है कि सवर्ण हिन्दुओं (पहले तीन वर्ण) के सामाजिक सुधार और अछूतों और भाद्र समूहों के सामाजिक सुधार की मानसिकता अलग-अलग है। शोषक और शोषित जैसी स्थिति है। वे इधर-उधर घूमकर समाज को धर्म के दायरों में फिट करने की हर संभव कोशिश करते हैं तो अछूत समाज सुधारक इन दायरों को तोड़ने की हर संभव कोशिश। इस तरह दोनों दृष्टियों में दिन-रात जैसा अंतर है। इसे गांधी और फूले-अम्बेडकर की वैचारिकी से समझा जा सकता है। एक जातीय श्रेष्ठता बनाए रखने का अभियान चलाता है तो दूसरा आत्म-सम्मान प्राप्ति का। डॉ. अम्बेडकर के भाषण को पढ़कर आर्य समाज तिलमिला उठा, क्योंकि उसे जात-पांत तोड़ने से ज्यादा मोह इसमें था कि वेद धर्म पर कोई आपत्ति कैसे कर सकता है? "मैंने हिन्दुओं की आलोचना की है। मैंने महात्मा के प्रभुत्व पर संदेह प्रकट किया है, जिन्हें वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे मुझसे घृणा करते हैं। उनके लिए मैं उनके बाग में एक सांप के समान हूँ। मंडल से इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष के चुनने में शास्त्रीय निषेधादेश की अवज्ञा क्यों की।"[7]

हिन्दू धर्म का अर्थ है, ब्राह्मण

की श्रेष्ठता और अन्य की हीनता। यह क्रमानुसार हीनता बोध का दर्शन है। समानता होगी उसी दिन यह गैर-बराबरी का धर्म समाप्त हो जाएगा। जाति प्रथा द्वारा मानवीय पहचान को तार-तार किए जाने के उदाहरणों की कमी नहीं है। जिस अतीत का गौरव गान चलाया जा रहा है उसकी वास्तविकता यह थी कि मराठा राज्य में पेशवाओं के शासनकाल में हिन्दुओं के सड़क पर रहते अछूतों को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी। ''अछूत के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी कलाई या गर्दन में निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधे, जिससे कि हिन्दू गलती से उससे छूकर अपवित्र होने से बच जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना आवश्यक था, जिससे कि उसके चलने के पीछे की धूल साफ होती रहे और ऐसा न हो कि कहीं उसे रास्ते से चलने वाला कोई हिन्दू उससे अपवित्र हो जाए। पूना में अछूतों के लिए यह आवश्यक था कि जहां भी वे जाएं, अपने थूकने के लिए मिट्टी का एक बर्तन अपनी गर्दन में लटका कर चले, क्योंकि ऐसा न हो कि कहीं जमीन पर पड़ने वाले उसके थूक से अनजान में वहां से गुजरने वाला कई हिन्दू अपवित्र हो जाए।''[8]

अछूत बच्चों के सरकारी स्कूलों में जाने, अछूत महिलाओं द्वारा धातु के आभूषण पहनने, अच्छे साफ धारण करने, कुआें का प्रयोग करने और भोजन में घी का प्रयोग करने तक की पाबंदी लगाने वाली हिन्दू संहिता कितनी जालिम है इसका विवरण 'जाति प्रथा उन्मूलन' में किया गया है। तत्कालीन समाज में कायम ऐसी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए बाबासाहेब कहते हैं। ''जब आप अपने ही देश के अछूतों जैसे एक बड़े वर्ग को सार्वजनिक स्कूल का प्रयोग नहीं करने देते तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं का प्रयोग नहीं करने देते तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें अपनी पसंद के आभूषण और वेशभूषा धारण नहीं करने देते तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य है? जब आप उन्हें अपनी पसंद का भोजन नहीं करने देते तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं''?[9] सवाल उठता है कि ब्रिटिश सत्ता को हटाकर अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आंदोलित हिन्दू क्या राजनीतिक आज़ादी के योग्य हैं? राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक आजादी लागू करने की मांग करने वालों की आलोचना की गई, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से इन आरोपों से बचते हुए कहा कि हिन्दू समाज में भेदभाव नहीं, लेकिन ज्ञान शीलता के सामने तथाकथित सुधारवादी ठहर नहीं पाए।

अछूत बच्चों के सरकारी स्कूलों में जाने, अछूत महिलाओं द्वारा धातु के आभूषण पहनने, अच्छे साफ धारण करने, कुओं का प्रयोग करने और भोजन में घी का प्रयोग करने तक की पाबंदी लगाने वाली हिन्दू संहिता कितनी जालिम है इसका विवरण 'जाति प्रथा उन्मूलन' में किया गया है। तत्कालीन समाज में कायम ऐसी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए बाबासाहेब कहते हैं। ''जब आप अपने ही देश के अछूतों जैसे एक बड़े वर्ग को सार्वजनिक स्कूल का प्रयोग नहीं करने देते तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं?

राजनीतिक आज़ादी से पूर्व सामाजिक आजादी के प्रश्नों पर गोलमेज सम्मेलनों के दौरान लंदन में गांधी हिन्दू नेताओं और डॉ. अम्बेडकर के बीच तीखी बहसें हुई थीं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक आजादी के लिए तैयार होने से पहले हमें सामाजिक एकता और बंधुता बनानी चाहिए, अन्यथा राजनीतिक आजादी हमारे काम नहीं आएगी। ''इतिहास समान्यत: इस प्रस्ताव को बल देता है कि राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद हुई हैं। लूथर द्वारा आरम्भ किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोगों की राजनीतिक मुक्ति का अग्रदूत था। इग्लैंड में प्यूरिटनवाद के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना हुई। प्यूरिटनवाद ने नए, विश्व की स्थापना की। प्यूरिटनवाद ने ही अमरीकी स्वतंत्रता को जीता। प्यूरिटनवाद एक धार्मिक आंदोलन था। यही बात मुस्लिम साम्राज्य के संबंध में भी सत्य है। अरबों के राजनीतिक सत्ता बनने से पहले वे पैगंबर मुहम्मद साहब द्वारा आरम्भ सम्पूर्ण धार्मिक क्रांति से गुज़रे थे। यहां तक कि भारतीय इतिहास भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। चन्द्रगुप्त द्वारा संचालित राजनीतिक क्रांति से पहले बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी। शिवाजी के

नेतृत्व में राजनीतिक क्रांति भी महाराष्ट्र के संतो द्वारा किए गए धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बाद हुई थी। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक द्वारा की गई धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी। यहां और अधिक दृष्टांत देना अनावश्यक है। इन दृष्टांतों से यह बात प्रकट हो जाएगी कि मन और आत्मा की मुक्ति जनता के राजनीतिक विस्तार के लिए पहली आवश्यकता है।''[10]

व्यक्ति के जीवन में धर्म का बड़ा प्रभाव रहता है, इसलिए इसे पहले धार्मिक और सामाजिक स्तर पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि जो देश की राजनीतिक आज़ादी चाह रहे हैं, लेकिन सामाजिक भेदभाव, असहिष्णुता वाले समाज और धर्म को जरा भी बदलना नहीं चाहते, हां इस बदलाव का नाटक बार-बार करते दिखाई देते हैं। यह नाटक यथास्थितिवाद का ही द्योतक है। यहां एक पुजारी मजिस्ट्रेट से भी ताकतवर और प्रभावी बनकर जीवनयापन करता है।

समाजवादी क्रांति से पहले जाति प्रथा की समाप्ति आवश्यक है क्योंकि जाति के ध्वस्त पर ही वर्ग का निर्माण हो सकता है। ''तर्क के लिए मान लिया जाए कि क्रांति हो जाती है और समाजवादी सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या उन्हें उन समस्याओं से नहीं निपटना होगा, जो भारत में प्रचलित विशेष सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई हैं। मैं नहीं समझता कि उन पक्षपातों द्वारा उत्पन्न समस्याओं का सामना किए बिना, जो भारतीय लोगों में ऊँच-नीच, स्वच्छ-अस्वच्छ के भेदभाव पैदा करती हैं, भारत में कोई सामाजिक राज्य एक सैकंड भी कार्य कर सकता है।... चाहे आप किसी भी दिशा में देखें, जाति एक ऐसा दैत्य है, जो आपके मार्ग में खड़ा है। आप जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे, आप न कोई राजनीतिक सुधार कर सकते हैं, न कोई आर्थिक सुधार।''[11]

जाति प्रथा श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। व्यवसाय बदलने पर रोक के कारण पेशागत गतिशीलता (मॉबिलिटी) और कार्य-कुशलता प्रभावित हुई है। दुनिया के इतिहास में मानवीय शोषण का ऐसा उदाहरण मिलना दूभर है। ''श्रम का यह विभाजन स्वत: नहीं होता। यह स्वाभाविक अभिरूचि पर आधारित नहीं है। सामाजिक और वैयक्तिक कार्य-कुशलता के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की क्षमता का इस बिन्दु तक विकास किया जाए कि वह अपनी जीविका का चुनाव स्वयं कर सकें। जाति प्रथा में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को पहले से ही कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है, जिसका चुनाव प्रशिक्षित मूल क्षमताओं के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि माता-पिता के सामाजिक स्तर पर होता है।... इस प्रणाली में जो बड़ा कष्ट है, वह यह है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हैं, जिनके प्रति उनकी प्रवृत्ति नहीं है।... भारत में अनेक ऐसे व्यवसाय हैं, जिन्हें हिन्दू निकृष्ट मानते हैं, इसलिए जो लोग उनमें लगे हैं, वे उनसे पीछा छुड़ाने को आतुर रहते हैं। ऐसी व्यवस्था में क्या कार्यकुशलता हो सकती है, जिसमें न तो लोगों के दिल और न दिमाग अपने काम में होते हैं? इसलिए एक आर्थिक संगठन के रूप में जाति प्रथा एक हानिकारक व्यवस्था है।..[12]

आधुनिक भारत में मनु सैद्धांतिकी की उपस्थिति लोकतंत्र के लिए खतरा है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर मनु की समाज विभाजन संबंधी दृष्टि पर कहते हैं- ''वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किन्तु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा।... जाति प्रथा मनु से पूर्व विद्यमान थी। वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया, परन्तु निश्चित रूप से हिन्दू समाज का वर्तमान रूप जारी नहीं रह सकता।"[13] हिन्दू जाति प्रथा को रक्त शुद्धता और बंधुता के रूप में पेश करते हैं। डॉ. अम्बेडकर, भंडारकर को उद्धृत करते हुए कहते है "भारत में शायद ही कोई ऐसा वर्ग या जाति होगी, जिसमें विदेशी वंश मिश्रण न हो। न केवल राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो इस सुखद भ्रांति में है कि वे सभी विदेशी तत्वों से मुक्त हैं।... जहां तक शारीरिक क्षमता का संबंध है... वह छोटे आकार के बोनों की जाति है, जिनका शारीरिक विकास अवरुद्ध है और जिनमें 'दम' नहीं है। भारत ऐसा राष्ट्र है, जिसकी नब्बे प्रतिशत जनता सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। इससे स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा आधुनिक वैज्ञानिकों की सुजननिकी (यूरनिक्स) की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जो हिन्दू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झूठी शान और स्वार्थ की प्रतीक है, जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार इतने समृद्ध थे कि उन्होंने इस जातिप्रथा को प्रचलित किया और इस प्रथा को अपनी जोर जबरदस्ती के बल पर अपने से निचले तबके के लोगों पर लागू किया।... जाति प्रथा से आर्थिक उन्नति नहीं होती। जाति प्रथा से न ही नस्ल या प्रजाति में सुधार हुआ है और न ही होगा। लेकिन इससे एक बात अवश्य सिद्ध हुई है कि इससे हिन्दू समाज पूरी तरह छिन्न-भिन्न और हताश हो गया है।''[14]

जाति प्रथा के रहते हुए समाज में कभी भी सद्भाव, संगठन भांति और सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि जातियां एक दूसरे से विरोधी आचरण करती हैं। कार्य स्वस्तंत्रता के घोर अभाव में जातियों में उदासीनता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ''हिन्दू समाज अनेक जातियों का समूह है, और क्योंकि हर-एक जाति बंद निगमित संस्था की तरह है, इसलिए धर्म-परिवर्तन व्यक्ति के लिए (किसी भी जाति में) कहीं कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार इस जाति-प्रथा

ने ही हिंदुओं को हिंदू धर्म फैलाने से रोका और अन्य धार्मिक समुदायों को इसमें लीन होने से रोका। अतः जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिन्दू धर्म को प्रचारात्मक धर्म नहीं बनाया जा सकता और शुद्धि न मूर्खता होगी, बल्कि निरर्थक भी होगी।... जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिन्दुओं में संगठन नाम की कोई बात नहीं रहेगी और जब तक उनमें संगठन नहीं होगा हिन्दू कमजोर और डरपोक रहेंगे। हिन्दू कहते है कि उनकी कौम बड़ी सहनशील है। मेरे मत से यह बात सही नहीं है।... उदासीनता किसी समुदाय को लगने वाली सबसे घातक बीमारी है। हिन्दू परस्पर इतने उदासीन क्यों है? मेरे विचार से यह उदासीनता जाति प्रथा के कारण है और इनके कारण किसी अच्छे काम के लिए भी उनमें संगठन और सहयोग होना असंभव हो गया है।''[15]

यह नितांत समाजहित और देश हित में है कि वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की पहचान पैदा करने वाले नामों को नष्ट किया जाए। यह अवगुणों की खान है। इन पहचानों को समाप्त करने के लिए धर्माचार्यों को पहल करनी चाहिए। ''जब तक ये नाम बने रहेंगे, तब तक ये नाम बने रहेंगे, तब तक हिन्दू जन्म के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऊंचे से लेकर निम्नतम जाति के सोपानक्रम में मानते रहेंगे और तद्नुसार व्यवहार करेंगे। हिन्दुओं को यह सब कुछ भूल जाना होगा। लेकिन जब तक ये पुराने नाम बने रहेंगे, तब तक वह इन्हें कैसे भुला सकेंगे-ये तो उनके दिमाग में उनकी पुरानी धारणाओं को पुनः जागृत करते रहेंगे। अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो इन्हें नया नाम देना भी जरूरी है। पुराने नाम को बनाए रखने का अर्थ किसी भी सुधार को निरर्थक बना देना होगा।''[16]

भारत में सामाजिक क्रांति न होने के एक कारण के रूप में वर्ण और जाति व्यवस्था द्वारा पैदा की गई बाधाएं हैं। ''विश्व के अन्य देशों में सामाजिक क्रांतियां होती हैं। भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई, यह एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे सदैव कष्ट देता रहा है। मैं इसका केवल एक ही उत्तर दे सकता हूँ और वह यह है कि चातुर्वर्ण्य की इस अधम व्यवस्था के कारण हिन्दुओं के निम्न वर्ग सीधी कार्रवाई करने में पूर्णतः असक्त बन गए हैं।''[17] भारतीय इतिहास और समाज के वे काल गौरवपूर्ण हैं जहां वर्ण व्यवस्था को भंग कर दिया गया था। ''भारतीय इतिहास में केवल एक काल ऐसा है, जिसे स्वतंत्रता, महानता और गौरवपूर्ण युग कहा जाता है। वह युग है, मौर्य साम्राज्य। सभी युगों में देश में पराभव और अंधकार छाया रहा है। लेकिन मौर्य-काल में चातुर्वर्ण्य को जड़-मूल से समाप्त कर दिया गया था। मौर्य युग में शूद्र, जिनकी संख्या काफी थी, अपने असली रूप में आए और देश के शासक बन गए।''[18] बौद्ध धर्म एक क्रांति थी। यह उतनी ही महान् क्रांति थी, जितनी फ्रांस की क्रांति। यद्यपि यह धार्मिक क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई, तथापि यह धार्मिक क्रांति से बढ़कर थी। यह सामाजिक और राजनैतिक क्रांति बन गई थी।''[19]

यदि हिन्दू जाति प्रथा को न मानें तो उनके हिन्दू होने पर सवाल उठने लगते हैं। यदि लोग सामाजिक जीवन में व्याप्त पाखंड और गैर बराबरी के आचरण से मुक्त हो जाएं तो समाज में सुधार की संभावना बन सकती है। ''मेरी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को अपराध या रक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति-व्यवस्था की नींव पर आप कोई भी निर्माण करेंगे, वह चटक जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा।''[20]

सामाजिक अत्याचार के मुकाबले राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है। सामाजिक बीमारियों का विरोध करने वाले राजनीतिज्ञों से अधिक साहसी होते हैं। ''यह जात-पात मानने के लिए लोग दोषी नहीं है। मेरी राय में उनका धर्म दोषी है, जिसके कारण जाति-व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ है। यदि यह बात सही है तो स्पष्ट है कि वह शत्रु जिसके साथ आपको संघर्ष करना है, वे लोग नहीं है जो जात-पात मानते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं, जिन्होंने जाति-धर्म की शिक्षा दी है।... ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी समेत अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले समाज सुधारक यह महसूस नहीं करते हैं कि लोगों के कार्य उन धर्म-विश्वासों के परिणाम हैं, जो शास्त्रों द्वारा उनके मन में पैदा किए गए हैं।... आपको शास्त्रों की केवल उपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी सत्ता स्वीकार करने से इंकार करना होगा, जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिन्दुओं से यह करने का साहस रखना चाहिए कि दोष उनके धर्म का है- वह धर्म जिसने आपमें यह धारणा पैदा की है कि जाति व्यवस्था पवित्र है। क्या आप ऐसा साहस दिखाएंगे?[21]

जाति समाप्ति के आंदोलन का नेतृत्व कौन करे? इस प्रश्न का उत्तर देते बाबासाहेब कहते हैं ''इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या यह आशा उचित है कि ब्राह्मण लोग ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सहमत होंगे, जिसके परिणामस्वरूप ब्राह्मण जाति की भक्ति और सम्मान नष्ट हो जाएगा। क्या धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों से यह आशा करना उचित होगा कि वे पुरोहित-ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए आंदोलन में भाग लेंगे। मेरे निर्णय के अनुसार धर्मनिपेक्ष ब्राह्मण ों में भेद करना व्यर्थ है। वे दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। एक शरीर की दो भुजाएं

हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का अस्तित्व बनाए रखने हेतु लड़ने के लिए बाध्य है।... वास्तव में, सामाजिक सुधार के मामले में किसी ब्राह्मण से एक क्रांतिकारी बनने की आशा करना उतना ही बेकार हैं जितना कि ब्रिटिश सांसद से यह आशा करना, जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था कि वह ऐसा अधिनियम पारित करेंगे, जिसके अनुसार सभी नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाएगी''।[22]

सामाजिक सुधार या जाति व्यवस्था के विध्वंस में बुद्धिजीवि वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए डॉ. अम्बेडकर कहते हैं ''यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का सम्पूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेंगा।... आपको यह सोचकर खेद होगा कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम हैं। आप इस बात पर खेद व्यक्त करेंगे कि ये दोनों एक हैं।... लेकिन सच्चाई यह है कि ब्राह्मण लोग ही हिन्दुओं का बुद्धिजीवी वर्ग है, वह केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं है, बल्कि यह वह वर्ग है, जिसका कि शेष हिन्दू लोग बहुत आदर करते हैं।... जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष हिन्दू समाज पर नियंत्रण कर रखा है जाति-व्यवस्था में सुधार करने का विरोधी है, तभी मुझे जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन करने वाले आंदोलन का सफल होना नितांत असंभव दिखाई देता है।''[23]

सामाजिक सुधार में तर्क और नैतिकता जैसे शक्तिशाली हथियारों के बिना जाति प्रथा की राष्ट्रीय समस्या पर जारी संघर्ष में जीतना असंभव है। "जाति व्यवस्था के चारों तरफ बनाई गई दीवार अभेद्य है और जिस सामग्री से इसका निर्माण किया गया है, उसमें तर्क और नैतिकता जैसी कोई ज्वलंतशील वस्तु नहीं हैं। इसी दीवार के पीछे ब्राह्मणों की फौज खड़ी है– उन ब्राह्मणों की जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उन ब्राह्मणों की जो हिन्दुओं के प्राकृतिक नेता हैं, उन ब्राह्मणों की जो वहां मात्र भाड़े के सैनिक के रूप में नहीं हैं, बल्कि अपने देश के लिए लड़ती हुई सेना के रूप में हैं... लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डाइनामाइट लगाना होगा, क्योंकि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलग हटाते हैं और वेद तथा शास्त्र किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं।''[24]

जाति प्रथा के आधार हिंदू धर्म के आदेश और निषेध है। ''एक बात आप लोगों को साफ-साफ बता देते हैं कि यह धर्म, धर्म नहीं है, यह वस्तुतः एक कानून है। तब आप यह कहने की स्थिति में होंगे कि इसमें संशोधन किया जाए या इसे समाप्त किया जाए। जब तक लोग इसे धर्म मानते रहेंगे, तब तक वे इसमें संविधान के लिए तैयार नहीं होंगे।... चाहे आप ऐसा करें या न करें, आप अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार देना होगा, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के, संक्षेप में, प्रजातंत्र के अनुरूप हो।''[25]

सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों के लिए व्यक्तिगत ईमानदारी और वैचारिक दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। अछूतों के सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के प्रश्न पर विचार देते हुए बाबासाहेब कहते हैं- ''ये विचार उस व्यक्ति के हैं, जो व्यक्ति न तो सत्ता का औजार है और न ही बड़ों का चाटुकार है। ये विचार ऐसे व्यक्ति के हैं, जिसका सार्वजनिक जीवन गरीब और दबे-कुचले लोगों की स्वतंत्रता के लिए समर्पित है, लेकिन जिसकी राष्ट्रीय नेताओं और समाचार-पत्रों ने निंदा की। मैं बिना दांव-पेंच खेले यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं का साथ देने से मैं इंकार करता हूं, जो निरंकुश, सवर्ण तथा रईस के धन से दबे-कुचले लोगों को स्वतंत्रता दिलाने का चमत्कार दिखाना चाहते हैं।... इसमें संदेह नहीं कि जात-पात हिन्दुओं की धड़कन है।... मेरे विचार से हिन्दू समाज जब एक जातिविहीन समाज बन जाएगा, तभी इसके पास स्वयं को बचाने के लिए काफी शक्ति होगी। इस अतिरिक्त ताकत के बिना हिन्दुओं के लिए स्वराज, गुलामी की ओर केवल एक कदम होगा।''[26]

राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए डॉ. अम्बेडकर कहते हैं- "सही राष्ट्रवाद है, जाति भावना का परित्याग और जाति-भावना गहन सांप्रदायिकता का ही रूप है।"[27] जाति व्यवस्था की गुलामी को मानते हुए स्वराज्य प्राप्ति केवल छलावा सिद्ध होगा। धर्मांतरण से जाति की मानसिकता से मुक्ति पा सकते हैं। स्वराज्य के सुखद परिणामों को जाति व्यवस्था चौपट कर देगी इसलिए जाति व्यवस्था के दुष्परिणामों पर डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि को अभिव्यक्त करते हुए धनंजय कीर कहते है- "डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू समाज सुधारकों के बारे में अपना अभिप्राय बड़ी निर्भीकता से व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दू समाज सुधारक जाति में जीवन व्यतीत करते हैं, जाति में विवाह करते हैं और जाति में मरते हैं। गांधीजी अस्पृश्यों की ओर से स्पृश्य हिन्दुओं से संघर्ष नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं धर्मांतरण करने से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? इसका उत्तर है कि स्वराज्य से भारत को क्या लाभ होगा? हिन्दुस्तान को जितनी स्वराज्य की आवश्यकता है, उतनी ही अस्पृश्यों को धर्मांतरण की। धर्मांतरण और स्वराज्य का अंतिम प्रयोजन है स्वतंत्रता प्राप्ति।..... मैं तुम्हें बताता हूँ, धर्म मनुष्य के लिए है। मनुष्य धर्म के लिए नहीं। इस विश्व में अगर तुम्हें संगठन करना है, समाज इकट्ठा करना है और इस विश्व में यश प्राप्ति करनी है, तो हिन्दू धर्म का

त्याग करो। जो धर्म तुम्हें मनुष्य के रूप में पहचानने के लिए तैयार नहीं, जो तुम्हें पानी प्राप्त नहीं कराता, वह 'धर्म' संज्ञा के लिए अपात्र है। जो धर्म तुम्हें शिक्षा प्राप्त नहीं कराता, तुम्हारी ऐतिहासिक उन्नति के मार्ग में बाधा बनकर प्रस्तुत होता है; वह 'धर्म' संज्ञा के लिए अपात्र है। जो धर्म अपने अनुयायियों को अपने धर्म बांधवों के साथ इंसानियत से बर्ताव करना नहीं सिखाता है, परन्तु मनुष्य का स्पर्श अमंगल मानता है, वह धर्म न होकर रोग है।... वह धर्म न होकर एक सजा है।... तुम अपनी बुद्धि की शरण लो।''[28]

इतिहासकार रामचन्द्र गुहा डॉ. अम्बेडकर और गांधी के मतभेत को रेखांकित करते हुए 'अछतों ने गांधी पर अविश्वास क्यों किया' नामक अध्याय में लिखते हैं- ''गांधी जी धर्मोपदेश या सीख देने की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। इसकी जानकारी बम्बई प्रेसीडेंसी के अछूतों को पहली बार 1929 में उस समय हुई जब उन्होंने मंदिर प्रवेश, कुओं-तालाबों से पानी लेने जैसे नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हिन्दुओं के विरुद्ध सत्याग्रह किया। उन्हें गांधी जी से समर्थन और आशीर्वाद मिलने की आशा थी, क्योंकि सत्याग्रह गलत कार्यों के समाधान के लिए स्वयं उनके द्वारा अपनाया जाने वाला तरीका ही था। जब उन्होंने गांधी जी से समर्थन मांगा तो उनके द्वारा समर्थन देना तो दूर, उलटे स्टेटमेंट जारी करके हिन्दुओं के विरूद्ध सत्याग्रह करने पर अछूतों की निंदा कर डाली। गांधी जी का यह व्यवहार चालाकी भरा था। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह को अपने लोगों और देशवासियों के विरुद्ध प्रयोग किया जाना चाहिए। चूंकि अछूतों संबंधी और देशवासी थे इसलिए उनके विरूद्ध इस औजार का प्रयोग किए जाने से बहिष्कृत कर दिए गए थे। यह मूर्खतापूर्ण आचरण की हद थी। इससे गांधीजी ने सत्याग्रह को अर्थहीन बना दिया था। गांधीजी ने ऐसा क्यों किया था? केवल इसलिए कि वे हिन्दुओं को नाराज और उत्तेजित नहीं करना चाहते थे।''[29]

वर्णाश्रम की संस्कृति और जाति संरचना पर नए भारत के निर्माण को डॉ. अम्बेडकर ने गोबर के ढेर पर महल का निर्माण करने जैसा कहकर नई पीढ़ी को आगाह किया था। वे 1938 में जनता में मार्क्सवाद की आधारभूत अवसंरचना पर लिखते हैं। ''यदि हम आधार बदलना चाहते हैं तो हमें उस बुनियाद पर बनी इमारत को गिराना होगा। इसी प्रकार यदि हम समाज के आर्थिक संबंधों को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक और अन्य संस्थाओं को ध्वस्त करना होगा।"[30] "डॉ. अम्बेडकर की बुनियादी लड़ाई एक स्वाधीनता की लड़ाई थी। यह लड़ाई भारतीय समाज के सर्वाधिक संतप्त वर्ग की मुक्ति की लड़ाई थी। उनका संग्राम उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे स्वाधीनता संग्राम से वृहद और गहरा था। उनकी नज़र नवराष्ट्र के निर्माण पर थी... दलित-बहुजन समाज में भी ज्योतिराव फुले, इंयोथी थास, पेरियार, मंगूराम तथा अछूतानंद जैसे प्रखर विद्वान उभरे जिन्होंने संघर्ष को बुंलदी व आवाज प्रदान की। वे उपनिवेशकाल में भारत के उच्च जाति के विद्वानों से कतई पीछे न थे। सही मायनों में वे आधुनिकतावादी थे जो एक नए उदात समाज का आगाज करना चाहते थे।... उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के इस मूल मंत्र को भारत में ही बुद्ध द्वारा हजारों साल पूर्व ही गई शिक्षा में पा लिया।''[31]

जाति दासता विरोधी डॉ. अम्बेडकर के महान संघर्ष की तुलना मार्टिन लूथर किंग ने नस्ल दासदा विरोधी संघर्ष से की जा सकती है। ''मार्टिन लूथर किंग और डॉ. अम्बेडकर ने अपने-अपने देश में मानवीय मूल्यों की रक्षा और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया था। वे विद्रोही स्वभाव के थे, लेकिन हिंसक नहीं। इन दोनों महापुरुषों ने ही उस आम आदमी को जगाने का प्रयास किया था, जिसे विदेशी कही जाने वाली जातियों तथा नस्लों ने अलग-अलग कर दिया था। उन्होंने उस बड़े वर्ग को न सिर्फ इतिहास से जोड़ा, बल्कि उसका इतिहास बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।''[32]

सारांश यह है कि जाति के प्रति सम्मान भाव और गर्व की अभिव्यक्ति के पीछे वर्चस्व की परंपराएं काम कर रही हैं जिन्हें धर्म-शास्त्रों में ताकत मिलती है। इसलिए इन बेसिर-पैर की पोषणकारी असहिष्णु परंपराओं की समाप्ति के लिए धर्मग्रंथों के समानता विरोधी प्रकरणों पर सवाल उठाए जाने चाहिए। जब तक लोक-जीवन और लोक-व्यवहार में इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठेगी, जाति श्रेष्ठता का भाव समाप्त होना मुश्किल है। जाति किसी व्यक्ति के द्वारा मेहनत, विद्वता और देशभक्ति से अर्जित की गई वस्तु नहीं जिससे उसकी प्रशंसा हो, इसकी प्राप्ति तो जन्मजात होती है। कौन किस जाति में जन्म ले, जन्मने वाले को ऐसी कोई छूट नहीं है। बाबासाहेब जाति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर बहस करते हुए प्रश्न उठाते हैं कि इस लोकतंत्र विरोधी प्रथा की समाप्ति के बिना हिंदू समाज में कभी भी स्थायी भांति, सहिष्णुता और विकास संभव नहीं है। इसकी समाप्ति के बिना लोकतंत्र की हालात गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसी होगी। जातियों में बंद व्यक्तियों की हालत पिजड़ों में कैद पक्षियों की तरह है। सामाजिक गुलामी की द्योतक जाति प्रथा राष्ट्रविरोधी और सांप्रदायिक आचरण की शरण स्थली है। किसी भी राज्य में नागरिकों की राष्ट्रीय भावनाएं किसी विदेशी पेड़ पर लगे फल को खाने से विकसित नहीं होती, बल्कि उनका निर्माण और विकास देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार होता है। एक

जमाना था जब वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का पालन सामाजिक आदर्श के साथ-साथ राष्ट्रवाद भी था, उस वक्त में भी अनेक योद्धाओं ने गुलामी का विरोध करते हुए अपनी आजादी की खातिर गर्दनें और अंगूठे कटवाए थे। लेकिन अब उस जमाने को गणतंत्र ने मिटा दिया है इसलिए अब ऐसे आदर्शों की स्वीकृति या अनुपालन न्याय विरोधी, संविधान विरोधी और जनविरोधी है। पुरातन राष्ट्रवाद (वर्ण और जाति व्यवस्था) आधुनिक नागरिकों के काम नहीं, इसलिए इसका उन्मूलन करना ही आधुनिक राष्ट्रवाद है।

भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के साथ काशी विद्यापीठ में संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करने पर उसे गौमूत्र, गोबर और दूध से शुद्ध करना दलित समाज के उपप्रधानमंत्री की हैसियत को दर्शाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष रामधन जी द्वारा दलितों पर हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए जब गुजरात का दौरा किया तो जातिवादी हिंदुओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके कपड़े फाड़ डाले और वापस दिल्ली लौटने को मजबूर कर दिया।''[33] अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पी.एल. पूनिया को 2014 में तिरूपति मंदिर में प्रवेश करने से रोकना, भारत की सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कुमारी शैलजा से गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में जाने पर जाति पूछना (नवंबर 2015 में प्रथम संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित विदेश सत्र में इसकी जानकारी देते हुए वे रो पड़ी थी।) ये ऐसी घटनाएं हैं जिससे साबित होता है कि जब देश का नेतृत्व कर रहे दलित समाज के नेता ही बार-बार जातीय आधार पर अपमानित होते हों वहां इनके अधिकारियों, कर्मचारियों और साधारण लोगों की तो औकात ही क्या है? इसी जातीय घृणा के कारण "हरियाणा के हिसार जिले के दौलतपुर गांव में 26 वर्षीय खेत मजदूर राजेश का हाथ उस समय धारदार हथिहार से काट डाला गया जब उसने खेत में रखे घड़े से पानी पीने का प्रयास किया था।"[34] जनवरी 2016 में मामला इसी मानसिकता का परिणाम है। 28 अप्रैल 2016 को केरल में विधि छात्रा जीशा से बलात्कार और क्रूरतम तरीके से हुई हत्या इसी मानसिक बीमारी का फल है। जाति प्रथा ऐसा जहर है जिसे पी-पीकर या जबरदस्ती पिला-पिलाकर समाज को लकवाग्रस्त बना दिया गया है। इसलिए राज्य को वैधानिक रूप से और धर्माचार्यो के बल पर इसे समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल करनी होगी। इसकी समाप्ति के बिना किसी भी तरह के सामाजिक सुधार लाभकारी नहीं हो पाएंगे। लोकतांत्रिक भारत में जाति के नाम पर किसी की श्रेष्ठता और किसी की हीनता को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता।

अत: बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने जाति प्रथा को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखकर विचार करते हुए पाया कि जातिभेद के कारण हिंदू समाज उदासीन और निष्क्रिय पड़ा है। उसका जीवन जाति के संकीर्ण दायरों में कैद हो गया है और उसकी लड़ाई जाति केन्द्रित बन गई है। इसी घिनौनी जाति प्रथा ने दलित-बहुजनों से उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए हैं। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा अपमानजनक परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर है तो इसके लिए क्या विदेशी लोग जिम्मेदार हैं? जातिमुक्ति की विचारधारा को सुदृढ़ करने हेतु बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर धर्म, समाज, संस्कृति और राजनीति की अनेक ताकतों से संघर्ष करते रहे। वे चाहते थे कि इसके उन्मूलन हेतु राजसता, धर्मसता और अर्थसता के जरिए एक साथ प्रहार किए जाएं ताकि जाति के नाम पर पैदा किए विविध आयामी शोषण का ऐतिहासिक अंत संभव हो सके और मानवीय समाज वास्तव में मानवीय गरिमा का जीवन जी सके। ■

(लेखक जेएनयू में प्रोफेसर हैं।)

संदर्भ :

1. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण आड्मय, खंड-14, पृ. 24, जून 1998, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली-2013
2. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय, खंड-1, पृ. 42 (भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास)
3. वही, पृ. 43
4. वही, पृ. 51
5. गेल ओमवेट, डॉ. अम्बेडकर-प्रबुद्ध भारत की ओर, अनुवादक : डॉ. पूरनमचंद टंडन, पृ. 66-68, पेंगुइन बुक्स इंडिया, गुडगांव, 2005
6. वही, पृ. 51
7. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वांड्मय, खण्ड-1, पृ. 54
8. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वांड्मय खण्ड-1, पृ. 56
9. वही, पृ. 58
10. वही, पृ. 61-62
11. वही, पृ. 66
12. वही, पृ. 66-67
13. वही पृ. 28-29
14. वही, पृ. 66-69
15. वही, पृ. 75-76
16. वहीं, पृ. 81
17. वही, पृ. 85
18. वही, पृ. 86
19. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय, खंड-7, पृ. 17. अप्रैल 1998
20. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर वांड्मय, खण्ड-1, पृ. 89
21. वही, पृ. 91-92
22. वही, पृ. 93-94
23. वही, पृ. 95
24. वही, पृ. 99
25. वही, पृ. 101-102
26. वही, पृ. 106
27. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय, खण्ड-14, पृ. 42
28. धनंजय कीर डॉ. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर, जीवन-चरित, अनुवाद: गजानन सुर्वे, पृ. 262-263, पाप्युलर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
29. रामचन्द्र गुहा, मेकर्स ऑफ मोडर्न इंडिया, पृ. 221-222, पेंगुइन बुक्स इंडिया, गुड़गांव, 2012
30. गेल ओमवेट, अम्बेडकर-प्रबुद्ध भारत की ओर, अनुवादक: डॉ. पूरनमचंद टंडन, पृ. 79
31. वही, पृ. 149
32. मोहनदास नैमिशराय डॉ. अम्बेडकर और मार्टिन लूथर किंग का जीवन संघर्ष, नीलकंठ प्रकाशन नई दिल्ली
33. मूलचंद, हिंदू व्यवस्था की भाल्य चिकित्सा, पृ. 71, बीपीटी प्रकाशन अशोक नगर नई दिल्ली, 1999
34. द हिंदू, 17.02.2012 नई दिल्ली

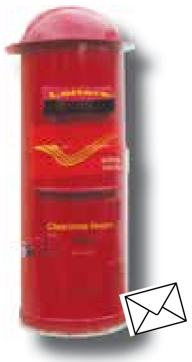

सम्पादक के नाम पत्र

सम्पादकीय बहुत गंभीर, खोजपरक व धार-धार होते हैं

सम्पादक महोदय,

सामाजिक न्याय संदेश बाबासाहेब के विचारों को प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका सामाजिक न्याय संदेश का मैं प्रारंभ से ही पाठक रहा हूँ। बाद में पत्रिका कुछ वर्ष बन्द भी रही। 2013 से यह पत्रिका निरन्तर प्रकाशित हो रही है। www.ambedkarfoundation.nic.in पर मैं पत्रिका को नियमित रूप से पढ़ता हूँ। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पत्रिका में उतरोतर सुधार हो रहा है। सरकार के द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में सामाजिक न्याय संदेश सबसे अलग और प्रेरणादायी है।

सम्पादक महोदय से निवेदन है कि पत्रिका भविष्य में कभी बन्द न हो और बाबासाहेब के विचारों को प्रसारित व प्रसारित करने का काम जारी रहे इसकी मुकम्मल व्यवस्था करवाने की कृपा करें। आपके प्रत्येक अंक के सम्पादकीय बहुत गंभीर, खोजपरक व धार-धार होते हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

मदन मोहन भास्कर

पत्रिका सरकारी विभाग स्कूल पुस्तकालयों को भेजी जाए

सम्पादक महोदय,

सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका का जनवरी 2016 का अंक पढ़ा। सर्वप्रथम तो सुधीर हिलसायन की अति प्रिय संपादकीय ने मन मोह लिया।

लेख-वयस्क मताधिकार की अवधारणा, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125 वीं जयंती, श्री प्रणव मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संदेश, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन चरित बेहद रोचक शिक्षाप्रद और सूचना प्रद लगे।

मुख्य पृष्ठ का चित्र भी प्रिय लगा/आपकी पत्रिका बच्चे बड़े बूढ़े सभी बड़े चाव से पढ़ते हैं। पत्रिका में बाल रचनाएं- युवा कहानी कविताएं नियमित पढ़ने को दें।

पत्रिका हर सरकारी विभाग स्कूल पुस्तकालयों को भेजी जाए। ताकि इसका अधिक से अधिक पाठक लाभ उठा सकें। लेखकों का रचना के साथ पूरा पता प्रकाशित किया जाए। साथ ही पारिश्रमिक और लेखकीय प्रति भी भेजी जाएं।

बद्री प्रसाद वर्मा अनजान
गल्ला मंडी पो. गोलाबाजार,
गोरखपुर, उ.प्र.

सामाजिक न्याय संदेश का बेसब्री से इंतजार

सम्पादक महोदय,

मैं 'सामाजिक न्याय संदेश' का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मार्च अंक में आपने स्त्रीवादी अम्बेडकर और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान खींचने की कोशिश की है। बेहद उत्कृष्ट अंक है। जातिवाद और भेदभाव से ग्रसित देश में जहां जाति और धर्म के नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान से भयंकर भेदभाव, नफरत, शोषण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी ही महिलाओं, माताओं, बहनों, बेटियों का भी शोषण करने से बाज नहीं आता है।

आजादी के 70 साल बाद भी देश की आधी आबादी को अभी भी पिछड़ा बनाए रखने के लिए निश्चित ही यहाँ का सामाजिक ढ़ांचा जिम्मेदार है और सरकारों का महिलाओं के प्रति ईमानदार ना होना भी दर्शाता है। हर सरकार में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, इसकी सभी सरकारें या पार्टियां ढिंढ़ौरा पीटती हैं, लेकिन इस्तेमाल तो रबर स्टांप की तरह ही करती हैं। हिन्दू कोड बिल का आज तक पास ना होना, हर सरकार का महिलाओं के प्रति रुखे रवैये को दर्शाता है। अंतत: मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबासाहेब जैसे सच्चे स्त्रीवादी की नीतियों को दरकिनार कर महिलाओं की मुक्ति का रास्ता नहीं बनाया जा सकता।

चंद्रमणि मौर्या
द्वारका,
दिल्ली

पुराने अंक कैसे उपलब्ध हो सकते हैं

सम्पादक महोदय,

आपके द्वारा संपादित सामाजिक न्याय संदेश का मार्च अंक पढ़ा। जिसमें बाबासाहेब ने महिलाओं के सम्मान में 1930 में आयोजित कराया था। मुझे बहुत खुशी है कि इस लेख में हिन्दू कोड बिल की चर्चा है। जब मैंने पाया है कि हिन्दू कोड बिल पर लोग खुल कर बात नहीं करते। मुझे यह लेख बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही खुशी है कि इस पत्रिका के सभी लेख जन जागरूकता का काम कर रहे हैं।

पत्रिका में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर जी के विचारों को बहुत ही सरल भाषा शैली के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस पत्रिका का एक-एक अंक मैं पढ़ना चाहूंगी। पुराने अंक कैसे उपलब्ध हो सकते हैं।

अर्चना विश्वा
शाहदरा,
दिल्ली

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

सम्पादक : सुधीर हिलसायन

सम्पादकीय सम्पर्क : 011-23320588/सब्सक्रिप्शन सम्पर्क : 011-23357625

जनवरी 2016

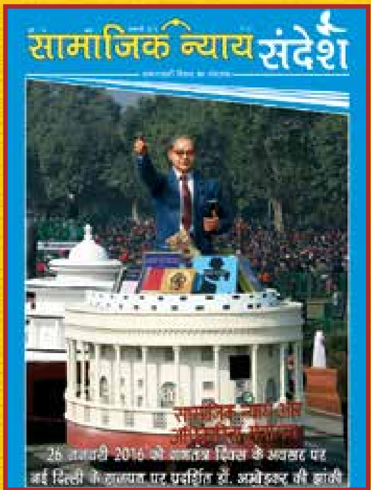

फरवरी 2016

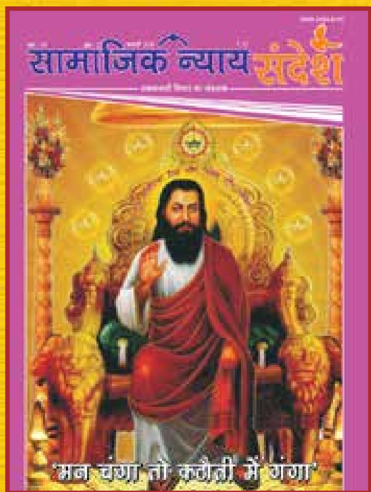

मार्च 2016

अप्रैल 2016

मई 2016

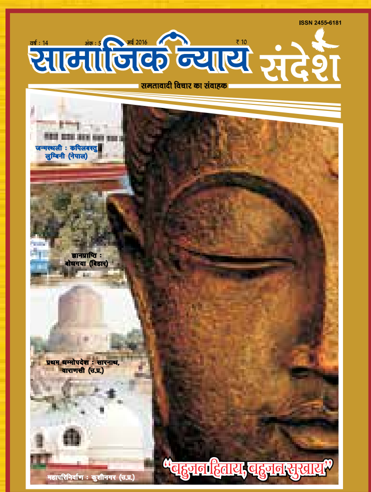

जून 2016

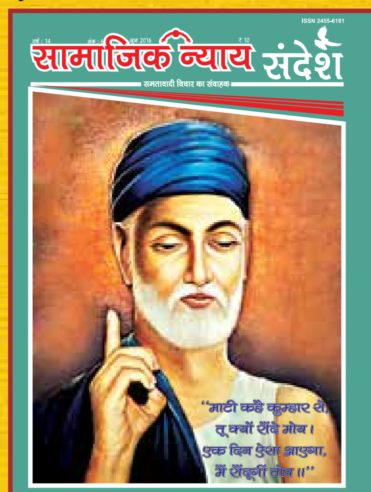

स्वयं पढ़े एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पाठक सदस्य बनें

कार्यालय : 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23320588, 23320589, 23357625 फैक्स: 23320582

E-mail: hilsayans@gmail.com / Website: www.ambedkarfoundation.nic.in

पत्रिका उपर्युक्त वेबसाइट पर पढ़ी/देखी जा सकती है।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन नियमित जारी है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' से बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन को जानने/समझने में मदद मिलेगी ही तथा फाउन्डेशन के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों परिवार-समाज के सदस्यों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए **एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-,** का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा। पत्रिका को फाउन्डेशन की बेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी देखी/पढ़ी जा सकती है।

- सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

शुल्कः वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर..दिनांक........................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर 'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन' के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन कोड ....

फोन/मोबाईल नं.....................................ई.मेलः ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001 फोन न. 011-23320588, 23320589, 23357625

lkekftd U;k; vkSj vf/kdkfjrk ea=h Jh FkkojpUn xgyksr] 1 twu 2016 dks ubZ fnYyh esa jk"Vªeamy [ksy lsa Hkkjrh; u=ghuk tMks ind fotsrkvksa dk lEekfur djrs gq,A blds volj ij lkekftd U;k; vkSj vf/kdkfjrk jkT; ea=h Jh Ñ".kiky xqtZj vkSj MhbiMCyw;Mh ds lfpo Mk- fouksn vxzoky Hkh mifLFkr gSA

ekuuh; lkekftd U;k; vkSj vf/kdkfjrk ea=h Jh FkkojpUn xgyksr ,oa mPp ij fn[kkbZ ns jgs gSa lkekftd U;k; lfpo ,oa fo'ks"kKksa dk lEekfur djrs gq, lkekftd U;k; vkSj vf/kdkfjrk ea=h Jh FkkojpUn xgyksr ,oa epa ij fn[kkbZ ns jgs gSa lkekftd U;k; lfefr lnL; Mk- iHkq pkSèkjh] ik- 'kyUndqekj 'kek ,oa vU;

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के.द्विवेदी द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन